



सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
(सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र)
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
(सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र)
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ टिप्पणियां
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-x
प्रस्तावना		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली		1-5
भाग-I - विद्युत क्षेत्र		
अध्याय-1		
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली		
प्रस्तावना	1.1	7-8
राज्य में बिजली की मांग, उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति	1.2	8
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का गठन	1.3	8-9
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण	1.4	9
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.5	9-10
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	1.6	10-11
हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं से मिलान	1.7	11-12
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	1.8	12-13
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.9 से 1.21	13-26
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां	1.22	26
निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद	1.23	26
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.24 से 1.26	27-28
अध्याय-2		
विद्युत क्षेत्र - निष्पादन लेखापरीक्षा		
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्यचालन	2.1 से 2.12	29-66
अध्याय-3		
विद्युत क्षेत्र - अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
परिहार्य व्यय	3.1	67-68
जनरेटर ट्रांसफार्मर की अवैध खरीद	3.2	69-70
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
ठेकेदार को अनुचित लाभ	3.3	70-72
सहमत विनिर्देशों के अनुरूप न होने पर केबल की स्वीकृति	3.4	72-74
उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा में संशोधन न होने के कारण हानि	3.5	74-76

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
मानव-रहित सब-स्टेशनों पर निष्फल व्यय	3.6	76-77
स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटरों की अपर्याप्तता	3.7	77-78
भाग-II - विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त		
अध्याय-4		
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यप्रणाली		
प्रस्तावना	4.1 से 4.2	79-80
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	4.3 से 4.4	80-81
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	4.5	81
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता	4.6	82-83
हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	4.7	83
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	4.8	83-85
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों को अंतिम रूप न देने का प्रभाव	4.9	85
राज्य विधानमंडल में सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	4.10	85-86
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन	4.11 से 4.24	86-96
निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करना	4.25	96-97
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	4.26 से 4.27	97-98
अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद	4.28	98
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.29 से 4.31	98-100
अध्याय-5		
विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त- अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		
उच्च दर पर जन संपर्क एजेंसी को काम पर लगाना	5.1	101-102
मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वित्तपोषण के लिए असंगत संसाधन का संग्रहण	5.2	102-104
गैर-बाधा रहित साइट के आवंटन के कारण हानि	5.3	104-105
हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड		
आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करना	5.4	105-106
अविवेकशील वित्तीय प्रबंधन	5.5	106-107
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम		
लघु अवधि ऋणों पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.6	108-109
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड		
कस्टम मिल्ड राइस का दुरुपयोग	5.7	110-111

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.	परिशिष्ट 1	1.9, 1.14 तथा 1.20	113
2.	परिशिष्ट 2	2.2	114
3.	परिशिष्ट 3	2.7.2.1	115-120
4.	परिशिष्ट 4	2.10.1	121-122
5.	परिशिष्ट 5	4.3 तथा 4.25	123-125
6.	परिशिष्ट 6	4.7	126-127
7.	परिशिष्ट 7	4.8.1	128
8.	परिशिष्ट 8	4.11, 4.13, 4.18 तथा 4.19	129-131
9.	परिशिष्ट 9	4.16	132-134
	संकेताक्षरों की शब्दावली	-	135-137

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संव्यवहार करता है।

सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियों के रूप में मानी गई कंपनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, समय-समय पर यथा संशोधित, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों की पूरक लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन हैं तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणियां देते हैं या उन्हें संपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कंपनियां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अध्यक्षीन हैं।

सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के प्रावधानों के अंतर्गत, राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं, जो वर्ष 2018-19 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। जहां आवश्यक समझे गए वर्ष 2018-19 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, भी शामिल कर लिए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा-मानकों के अनुसार ही लेखापरीक्षा की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, ब्याज की हानि, वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने इत्यादि से संबंधित ₹ 863.15 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित 'हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्यचालन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 14 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

हरियाणा राज्य में 27 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (25 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) और पांच अकार्यरत कंपनियां थी। इनमें से, हरियाणा सरकार ने 25 सा.क्षे.उ. (23 कार्यरत और दो निष्क्रिय) में निवेश किया है। 31 मार्च 2019 को 32 सा.क्षे.उ. में कुल निवेश (प्रदत्त पूंजी, दीर्घावधि ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी) ₹ 1,29,536.19 करोड़ था। राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान 15 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए ₹ 21,117.55 करोड़ का अंशदान दिया।

(अनुच्छेद 1.1, 1.5, 1.6, 4.1, 4.4 तथा 4.6)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

23 कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनमें हरियाणा सरकार ने निवेश किया था, में से 19 सा.क्षे.उ. ने सितंबर 2019 तक अपने लेखे प्रस्तुत किए। इनमें से 16 लेखाओं ने लाभ दर्शाया। लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. में से केवल एक सा.क्षे.उ. ने ₹ 2.15 करोड़ का लाभघोषित किया।

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने उदय योजना के अंतर्गत अनुमत केवल 25 प्रतिशत इक्विटी की बजाय ₹ 7,785 करोड़ के 100 प्रतिशत अनुदान को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया।

(अनुच्छेद 1.15, 1.21.4, 4.8.1 तथा 4.19)

2. विद्युत क्षेत्र

'हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्यचालन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार हैं:

कंपनी का प्रसारण घाटा 2014-15 के दौरान 2.62 प्रतिशत से घटकर 2018-19 के दौरान 2.05 प्रतिशत हो गया। कंपनी ने वर्ष 2017-19 के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

(अनुच्छेद 2.6)

वर्ष 2014-19 के दौरान कंपनी द्वारा शुरू की गई 32 परियोजनाओं में से 30 को 3 से 98 माह की देरी के साथ पूरा किया गया। इसके फलस्वरूप, इक्विटी पर रिटर्न की वसूली तथा देरी के साथ पूर्ण की गई ₹ 950.18 करोड़ मूल्य की प्रसारण संपत्तियों पर ₹ 228.02 करोड़ की राशि के मूल्यहास को स्थगित कर दिया गया था।

(अनुच्छेद 2.7.2.1)

कंपनी ने 2015-18 के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रसारण प्रणाली उपलब्धता (टी.एस.ए.) के मानदंडों को प्राप्त नहीं किया। इसके कारण, पूर्ण प्रसारण लागत को वसूल नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त राजस्व ₹ 15.51 करोड़ की सीमा तक कम हो गया।

(अनुच्छेद 2.8.3)

परियोजना के कार्यान्वयन की खराब गति के कारण, कंपनी सस्ती दरों पर उपलब्ध विश्व बैंक ऋणों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साथ महँगी धन व्यवस्था का सहारा लिया, जिसकी लागत ₹ 24.63 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी को विश्व बैंक ऋण का लाभ न उठाए गए हिस्से पर फ्रंट एंड फीस के रूप में ₹ 31.32 लाख वहन करने पड़े।

(अनुच्छेद 2.10.2)

बैंक गारंटी की शर्तों की अवहेलना करके कंपनी ने गारंटी देने वाले दो बैंकों में से एक को सभी अग्रिम भुगतान जारी कर दिए, परिणामस्वरूप, यह बैंक गारंटी जारी करने वाले एक बैंक से ₹ 9.57 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.10.5)

कंपनी द्वारा 'सकल राजस्व आवश्यकता' प्रस्तुत करने में देरी हुई जिसके वजह से 2014-15 से 2017-18 के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रसारण प्रभारों के अंतिमकरण में देरी हुई। इसके परिणामस्वरूप कंपनी लघु अवधि ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं से ₹ 2.11 करोड़ के प्रसारण प्रभारों की वसूली नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.11.1)

सब-स्टेशनों और प्रसारण लाइनों की असमकालिक कमीशनिंग, प्रसारण क्षमता के कम उपयोग, मूल्यहास और ब्याज माफी के विरुद्ध अग्रिम के लाभ न देने से संबंधित कंपनी की अक्षमता के कारण 2014-19 के दौरान राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर ₹ 168.64 करोड़ का अनुचित भार पड़ा।

(अनुच्छेद 2.12.1)

प्रसारण प्रणाली उपलब्धता की अप्राप्ति, लागत लाभ विश्लेषण किए बिना सरकारी गारंटी के विरुद्ध मध्यावधि ऋण प्राप्त करने, सकल राजस्व आवश्यकता दाखिल करने में देरी, समय पर होल्डिंग लागत का दावा न करने और कार्यशील पूंजी मानदंडों का पालन न करने जैसी अक्षमताओं के कारण कंपनी की लाभप्रदता 2014-19 के दौरान ₹ 70.08 करोड़ तक बुरी तरह प्रभावित हो गई थी।

(अनुच्छेद 2.12.2)

अध्याय 3 में अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल की गई हैं, जो राज्य सरकार की विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के प्रबंधन में उन कमियों को प्रकट करती हैं, जिनके विशिष्ट वित्तीय प्रभाव थे। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

- कंपनी ने 2016-17 के दौरान कोयले के कम उठान के लिए मुआवजे के रूप में ₹ 27.29 करोड़ का भुगतान किया, क्योंकि इसने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की संशोधित परिचालन आवश्यकता के अनुरूप कोल इंडिया लिमिटेड के साथ कोयले की वार्षिक अनुबंधित मात्रा में कमी के लिए समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की।

(अनुच्छेद 3.1)

- कंपनी ने अपने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन के लिए ₹ 9.35 करोड़ मूल्य के जनरेटर ट्रांसफॉर्मर की अविवेकशील खरीद की।

(अनुच्छेद 3.2)

दक्षिण हरियाणा विजली वितरण निगम लिमिटेड

- कंपनी ने अनुबंध में सहमति के रूप में कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि की गणना के आधार को बदल दिया और ठेकेदार को ₹ 1.97 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया।

(अनुच्छेद 3.3)

- कंपनी ने ₹ 53.15 लाख मूल्य के 35.268 कि.मी. केबल स्वीकार किए जो खरीद आदेश में निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थे।

(अनुच्छेद 3.4)

- हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुरूप प्रतिभूति जमा न रखने के कारण कंपनी को ₹ 72.50 लाख का नुकसान उठाना पड़ा।

(अनुच्छेद 3.5)

उत्तर हरियाणा विजली वितरण निगम लिमिटेड

- कंपनी ने मानव-रहित सब-स्टेशनों के निर्माण और बाद में उनके पारंपरिक रूपांतरण पर ₹ 11.14 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(अनुच्छेद 3.6)

- कार्यात्मक स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटरों की अपर्याप्तता के कारण कंपनी को ₹ 59.83 करोड़ का प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद 3.7)

3. विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त

अध्याय 5 में विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य सरकार की कंपनियों तथा सांविधिक निगम के प्रबंधन में कमियों को प्रकट करने वाली अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

- कंपनी ने जन संपर्क एजेंसी के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता को नजरअंदाज कर दिया और पुनः निविदाकरण में दूसरे बोलीदाता को काम सौंप दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 5.1)

- मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वित्तपोषण के लिए सस्ता कैश क्रेडिट/टर्म ऋण की उपलब्धता के बावजूद कंपनी ने अधिक ब्याज वाला हुडको ऋण लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.24 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 5.2)

- कंपनी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवंटी को बाधा रहित साइट प्रदान करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान प्रक्रिया को स्थगित किया गया जिससे ₹ 45.96 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.3)

हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

- कंपनी ने अग्रिम आयकर जमा नहीं किया और आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.09 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(अनुच्छेद 5.4)

- कंपनी ने अधिशेष निधियों को ब्याज की अधिकतम उपलब्ध दरों पर निवेश नहीं किया और ₹ 40.41 लाख का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(अनुच्छेद 5.5)

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम

- हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने खरीफ विपणन सीजन 2017-18 के दौरान भारतीय खाद्य निगम से कस्टम मिल्ड राइस पर ब्याज प्रभार का दावा करने में देरी की और उसे ₹ 1.06 करोड़ का परिहार्य ब्याज प्रभार वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद 5.6)

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

- एक मिलर, जिसे खरीफ विपणन सीजन (के.एम.एस.) 2017-18 के लिए फतेहाबाद की जिला मिलिंग समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, को धान आवंटित किया गया था। इस मिलर ने ₹ 1.28 करोड़ मूल्य के कस्टम मिल्ड राइस का दुरुपयोग किया।

(अनुच्छेद 5.7)

प्रस्तावना

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

सामान्य

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) में सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगम सम्मिलित होते हैं। सा.क्षे.उ. लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2019 तक, हरियाणा, में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दो सांविधिक निगमों¹ और 30 सरकारी कंपनियों (पांच² निष्क्रिय³ सरकारी कंपनियों) सहित कुल 32 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम थे। एक सा.क्षे.उ.⁴ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध था।
2. 30 सितंबर 2019 को अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन इस रिपोर्ट में शामिल है। सा.क्षे.उ. की प्रकृति और खातों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1: रिपोर्ट में शामिल सा.क्षे.उ. की प्रकृति

सा.क्षे.उ. की प्रकृति	कुल संख्या	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त लेखाओं की संख्या						सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखे 30 सितंबर 2019 तक बकाया (बकाया कुल लेखे) हैं
		2018-19 के लेखे	2017-18 के लेखे	2016-17 के लेखे	2015-16 के लेखे	2014-15 के लेखे	कुल	
कार्यरत सरकारी कंपनियां	25	8	13	3	2	2	28	17 (33)
सांविधिक निगम	2	-	2	0	0	0	2	2 (2)
कुल कार्यरत सा.क्षे.उ.	27	8	15	3	2	2	30	19 (35)
निष्क्रिय सरकारी कंपनियां	5	0	2	0	0	0	2	2 (2)
कुल	32	8	17	3	2	2	32	21 (37)

30 सितंबर 2019 को कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 41,355.12 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2018-19 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (₹ 7,07,126.33 करोड़) के 5.85 प्रतिशत के बराबर था। कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 970.61 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मार्च 2019 को इनके पास लगभग 24,276 कर्मचारी थे।

¹ हरियाणा राज्य भण्डारण निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम।

² हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड, हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम, हरियाणा खनिज लिमिटेड तथा सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड।

³ निष्क्रिय सा.क्षे.उ. वे हैं जिन्होंने अपने परिचालन बंद कर दिए हैं।

⁴ हरियाणा वित्तीय निगम।

पांच निष्क्रिय सा.क्षे.उ. में कुल ₹ 21.67 करोड़ का निवेश है, जिसमें पूंजी (₹ 17.98 करोड़) तथा दीर्घकालिक ऋण (₹ 3.69 करोड़) शामिल हैं। दो सा.क्षे.उ.⁵ की परिसमापन प्रक्रिया 15 से 20 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि निष्क्रिय सा.क्षे.उ. में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं करता है।

उत्तरदायित्व की रूपरेखा

3. सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रियाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गई हैं। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है तथा इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल होती है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिन की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में यह प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, पहले लेखापरीक्षक को नि.म.ले.प. द्वारा कंपनी के पंजीकरण की तारीख से साठ दिनों के भीतर नियुक्त किया जाना है और यदि नि.म.ले.प. उक्त अवधि के भीतर इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करते हैं, तो कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों को इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होती है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, नि.म.ले.प., धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के अंतर्गत आवृत्त किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा करवा सकते हैं और ऐसी परीक्षण लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तथा केंद्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित सरकारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। 31 मार्च 2014 को या उससे पहले शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होना जारी रहेगा।

⁵ हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4. सरकारी कंपनियों (अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) अथवा (7) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय विवरणों सहित अन्य बातों के साथ नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भण्डारण निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा की जाती है तथा पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है।

सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता

5. अधिनियम 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट, इसकी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी होती है और तैयार होने के बाद नि.म.ले.प. द्वारा बनाए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा उन पर किन्हीं टिप्पणियों या पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ सदन या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह यंत्रावली राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है। अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

इसके अलावा, अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त ए.जी.एम. में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए। अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

सरकार और विधानमंडल की भूमिका

6. राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन और उपयोग पर भी नज़र रखता है। इसके लिए, अधिनियम 2013 की धारा 394 के अंतर्गत अथवा संबंधित अधिनियमों में निर्धारितानुसार राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में निवेश

7. हरियाणा सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में उच्च वित्तीय हिस्सा है। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं:

- **शेयर पूंजी और ऋण** - शेयर पूंजी योगदान के अलावा, हरियाणा सरकार समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** - हरियाणा सरकार जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अनुदान और परिदान के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **गारंटी** - हरियाणा सरकार वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्राप्त ऋण के ब्याज सहित पुनर्भुगतान की गारंटी भी देती है।

8. 31 मार्च 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हरियाणा सरकार के निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 2: सा.क्षे.उ. में हरियाणा सरकार का क्षेत्रवार निवेश

सेक्टर का नाम	सरकारी कंपनियां		सांविधिक निगम		कुल	निवेश ⁶ (₹ करोड़ में)		
	कार्यरत	निष्क्रिय	कार्यरत	निष्क्रिय		इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
विद्युत	4	1	0	0	5	29,303.48	11.36	29,314.84
वित्त	3	1	1	0	5	288.80	0.00	288.80
सेवा	10	0	0	0	10	70.17	0.00	70.17
मूलभूत संरचना	4	1	0	0	5	209.00	1.39	210.39
अन्य	4	2	1	0	7	20.68	8.15	28.83
कुल	25	5	2	0	32	29,892.13	20.90	29,913.03

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।


पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र पर था। विद्युत क्षेत्र को कुल ₹ 29,913.03 करोड़ के निवेश में से ₹ 29,314.84 करोड़ (98 प्रतिशत) का सरकारी निवेश प्राप्त हुआ।

⁶ निवेशों में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

तथापि, 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हरियाणा सरकार के संसाधनों से भिन्न निवेश सहित कुल निवेश नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट 1: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

(आंकड़े ₹ करोड़ में)



विद्युत क्षेत्र में निवेश के महत्वपूर्ण रूप से उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन के भाग-I⁷ में पांच विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. और इस प्रतिवेदन के भाग-II⁸ में 27 सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।

⁷ भाग-I में अध्याय-1 (विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली), अध्याय-2 (विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा) तथा अध्याय-3 (विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां) शामिल हैं।

⁸ भाग-II में अध्याय-4 (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों की कार्यप्रणाली) तथा अध्याय-5 (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां) शामिल हैं।

भाग - I
विद्युत क्षेत्र

अध्याय-1
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

भाग-I**अध्याय 1****विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली****प्रस्तावना**

1.1 विद्युत क्षेत्र की कंपनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) में भी उल्लेखनीय रूप से वृद्धि करता है। राज्य में विद्युत क्षेत्र के पाँच उपक्रम हैं। इन पाँच सा.क्षे.उ. में से एक¹ सा.क्षे.उ. निष्क्रिय है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के लिए विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका में मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए हरियाणा के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर और स.रा.घ.उ. का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.1: हरियाणा के स.रा.घ.उ. की तुलना में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर	27,716.88	29,475.63	32,169.09	34,370.70	36,818.34
हरियाणा का स.रा.घ.उ.	4,41,864.26	4,92,656.90	4,34,607.93	6,08,470.73	7,07,126.33
हरियाणा के स.रा.घ.उ. से टर्नओवर की प्रतिशतता	6.27	5.98	7.40	5.65	5.21

2013-14 के लिए हरियाणा की स.रा.घ.उ.: ₹3,95,747.73 करोड़, 2013-14 के लिए टर्नओवर: ₹22,256.12 करोड़।

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार संबंधित वर्षों (उन्नत अनुमान) की वर्तमान कीमतों पर वर्ष-दर-वर्ष की तुलना में विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. के टर्नओवर और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों पर आधारित संकलन।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई है और यह 2014-19 की अवधि के दौरान 6.35 प्रतिशत और 24.54 प्रतिशत के बीच रही, जबकि इसी अवधि के दौरान हरियाणा के स.रा.घ.उ. में वृद्धि -11.78 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के बीच रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि 12.31 प्रतिशत थी। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि विविध समयावधि में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। स.रा.घ.उ. की 12.31 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 10.59 प्रतिशत की मामूली वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इससे विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2014-15 में 6.27 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 5.21 प्रतिशत हो गई।

¹ सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी को बंद करने का निर्णय (29 मार्च 2019) लिया है।

हरियाणा राज्य सहित राज्य की बिजली वितरण उपयोगिताओं की स्थापना के बाद से उनके संचालन में लगातार नुकसान हो रहा था। बिजली वितरण उपयोगिताओं पर 31 मार्च 2016 को वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 29,063.67 करोड़ के संचित घाटे का बोझ था। उन पर उस तारीख के अनुसार ₹ 24,836.31 करोड़ के ऋण भी थे। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने (20 नवंबर 2015) राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) नामक योजना शुरू की। उदय के प्रावधानों और दो बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉमस) द्वारा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर भी इस अध्याय में चर्चा की गई है।

राज्य में बिजली की मांग, उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति

1.2 2014-15 से 2018-19 के दौरान बिजली की अधिकतम मांग, इसकी उपलब्धता, और राज्य की अपनी बिजली उत्पादन उपयोगिता, हरियाणा विद्युत उत्पादन कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) के माध्यम से हिस्सेदारी नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.2: एच.पी.जी.सी.एल. के विद्युत उत्पादन के विवरण

वर्ष	एच.पी.जी.सी.एल. की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	अधिकतम मांग (मेगावाट में)	विद्युत की उपलब्धता (मेगावाट में)	अधिकतम मांग से ऊपर टाईड-अप अतिरिक्त विद्युत की प्रतिशतता	कुल विद्युत आपूर्ति (मिलियन यूनिट में)	एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा आपूर्ति विद्युत (मिलियन यूनिट में)	कुल आपूर्ति में एच.पी.जी.सी.एल. का हिस्सा (प्रतिशत में)
2014-15	3,230.20	9,152	11,271.47	23.16	51,107	12,675	24.80
2015-16	2,782.40	9,113	11,294.47	23.94	50,900	9,796	19.25
2016-17	2,792.40	9,262	11,332.42	22.35	51,264	8,885	17.33
2017-18	2,792.40	9,671	11,442.42	18.32	54,735	10,084	18.42
2018-19	2,792.40	10,270	12,181.42	18.61	56,994	9,983	17.52

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट, एच.पी.जी.सी.एल. के वार्षिक लेखे और हरियाणा बिजली खरीद केंद्र द्वारा आपूर्ति डाटा।

राज्य ने अपनी अधिकतम मांग से अधिक बिजली के लिए टाई-अप (विद्युत खरीद अनुबंध) किए हुए हैं, जिसका अर्थ है कि हरियाणा, बिजली आधिक्य वाला राज्य है। साथ ही, राज्य में कुल बिजली आपूर्ति में एच.पी.जी.सी.एल. की हिस्सेदारी इसकी उच्च परिवर्तनीय लागत के कारण अन्य विद्युत उत्पादकों जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और निजी बिजली उत्पादकों की तुलना में लगातार घटती जा रही है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

1.3 पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (बोर्ड) का गठन 3 मई 1967 को बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड, राज्य में बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण के लिए उत्तरदायी था। राज्य में बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण के लिए बोर्ड जिम्मेदार था। बोर्ड अपने परिचालन में लाभदायक नहीं था और 31 मार्च 1993 तक इसकी संचित हानि ₹ 1,358.67 करोड़ थी। बोर्ड ने मुख्य रूप से एक टैरिफ संरचना के कारण हानि उठाई जो कि पारिश्रमिक, उच्च प्रसारण एवं वितरण हानि, कृषि क्षेत्र को सब्सिडी वाली बिजली की आपूर्ति और इसके अपने थर्मल पावर स्टेशनों में कम संयंत्र भार घटक के कारण नहीं थी।

इन हानियों ने विकास गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अड़चनों को दूर करने के लिए, राज्य सरकार ने बोर्ड का पुनर्गठन (1998) किया और विद्युत उत्पादन का व्यवसाय हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) को हस्तांतरित कर दिया, प्रसारण और वितरण कार्य हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) को हस्तांतरित कर दिए गए थे। विद्युत वितरण कार्य को बाद में दो वितरण कंपनियों अर्थात् उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) को हस्तांतरित (1999) कर दिया गया था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य में चालू वर्ष के दौरान दो अन्य सा.क्षे.उ. थे - यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (2018-19 के दौरान बंद हो गई) और सौर उर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड, ने मार्च 2019 में बंद करने का निर्णय लिया क्योंकि पंचायत विभाग ने इकाई को अपना व्यवसाय करने के लिए उप-पट्टे की अनुमति नहीं दी।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

1.4 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा राज्य के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुनर्गठन या निजीकरण नहीं किया गया था।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.5 31 मार्च 2019 को बिजली क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश² का गतिविधि-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.3: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	सा.क्षे.उ. की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)						
		हरियाणा सरकार की इक्विटी	अन्य की इक्विटी	हरियाणा सरकार के दीर्घ अवधि ऋण	अन्यों से ऋण	हरियाणा सरकार से अनुदान *	कुल	
							हरियाणा सरकार	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+5+7	9=4+6
विद्युत का उत्पादन	1	2,906.33	145.00	0	1,210.04	0.86	2,907.19	1,355.04
विद्युत का प्रसारण	1	3,520.66	0	0	4,589.85	18,967.65	22,488.31	4,589.85
विद्युत का वितरण	2	22,876.49	984.27	11.36	5,333.28	59,808.52	82,696.37	6,317.55
कुल	4	29,303.48	1,129.27	11.36	11,133.17	78,777.03	1,08,091.87	12,262.44

स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित।

* अनुदान केवल हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया गया।

31 मार्च 2019 तक, विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी, दीर्घ अवधि ऋण और अनुदान एवं सब्सिडी) ₹ 1,20,354.31 करोड़ था। निवेश में 25.29 प्रतिशत इक्विटी, 9.26 प्रतिशत दीर्घ अवधि ऋण और 65.45 प्रतिशत अनुदान/सब्सिडी शामिल हैं।

² निवेश में हरियाणा सरकार और अन्य द्वारा विस्तारित प्रदत्त पूंजी, दीर्घ अवधि ऋण और अनुदान शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्राप्त अनुदान/सब्सिडी (₹ 26,612.17 करोड़) के घटक-वार विश्लेषण से पता चला कि परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए अनुदान/सब्सिडी दी गई थी, जिसमें से 99.93 प्रतिशत (₹ 26,593.61 करोड़) ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सिडी (किसानों को रियायती दरों पर बिजली की आपूर्ति के लिए) के लिए जारी किए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम दिए गए दीर्घ अवधि ऋणों में कुल दीर्घ अवधि ऋणों का 0.10 प्रतिशत (₹ 11.36 करोड़) संगठित किया, जबकि कुल दीर्घ अवधि ऋणों का 99.90 प्रतिशत (₹ 11,133.17 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया। हालाँकि, 2015-16 और 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने 30 सितंबर 2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना³ (उदय) के अंतर्गत डिस्कॉम के बकाया ऋण (समग्र पेंशन ट्रस्ट और पी.एफ. ट्रस्ट की ओर डिस्कॉम की देयताओं के खाते में ₹ 1,149 करोड़ सहित ₹ 34,600 करोड़) का ₹ 25,950 करोड़ (75 प्रतिशत) लिया है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.6 हरियाणा सरकार (जी.ओ.एच.) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण, अनुदान/परिदान, बड़े खाते डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के लिए बजटीय निर्गम का सारांशित विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 1.4: पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
पूँजीगत इक्विटी ⁴ (i)	4	3,225.49	4	10,644.44	4	13,302.48 ⁵
दिए गए ऋण (ii) ⁶	3	1,974.67	3	550.70	2	52.84
प्रदान किए गए अनुदान/परिदान ⁷ (iii)	3	10,501.35	2	4,864.00	3	7,370.28
कुल निर्गम (i+ii+iii)		15,701.51		16,059.14		20,725.60
बड़े खाते डाले गए ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	4	5,494.92 ⁸
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	3	5,531.99
जारी की गई गारंटियां	3	87.39	3	263.18	3	1,120.59
प्रतिबद्ध गारंटियां	4	5,563.18	4	4,204.17	3	1,758.09

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

³ डिस्कॉमज के वित्तीय और परिचालन बदलाव के लिए विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम।

⁴ इसमें उदय स्कीम के अंतर्गत प्राप्त इक्विटी अर्थात् वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 1,297.50 करोड़ और वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 5,190 करोड़ शामिल हैं।

⁵ इसमें ₹ 7,785 करोड़ की अनुदान राशि भी शामिल है जिसे वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।


⁶ इसमें वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 3,460 करोड़ के उदय स्कीम के अंतर्गत दिए गए ब्याज वहन करने वाले ऋण शामिल नहीं है।

⁷ इसमें 2016-17 के दौरान उदय स्कीम के अंतर्गत प्राप्त ₹ 3,892.50 करोड़ का अनुदान शामिल है।

⁸ यह ऋण का कुल पुनर्भुगतान है और समाप्त किये ऋण शून्य है।

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और अनुदान/परिदान के प्रति बजटीय समर्थन का विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दिया गया है:

चार्ट 1.1: इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/परिदान के लिए बजटीय सहायता



उदय स्कीम के अंतर्गत, 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के डिस्कॉमज द्वारा ₹ 15,570 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से ₹ 5,190 करोड़ के ऋण को चुकाया गया और 2017-18 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र की दो राज्य डिस्कॉमज कंपनियों की इक्विटी में नया अंशदान (₹ 5,190 करोड़) किया गया। विभिन्न पूंजी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अतिरिक्त इक्विटी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान डिस्कॉमज और ह.वि.प्र.नि.लि. दोनों को ₹ 5,190 करोड़ के ऋण की राशि को चुकाने और ₹ 7,785 करोड़ की राशि के अनुदान को इक्विटी में बदलने के लिए ₹ 12,975 करोड़ की राशि जारी की।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन गारंटी देती है और दो प्रतिशत की दर पर गारंटी फीस प्रभारित करती है। गारंटी प्रतिबद्धता 2016-17 में ₹ 5,563.18 करोड़ से घटकर 2018-19 के दौरान ₹ 1,758.09 करोड़ हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार को सात करोड़ रूपए की गारंटी फीस दी गई थी।

हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं से मिलान

1.7 राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए आंकड़ों के समान होने चाहिए। आंकड़ों के समान न होने पर संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। वित्त लेखाओं के अनुसार और कंपनी के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2019

को इक्विटी, ऋण और गारंटी के आंकड़ों में अंतर थे जैसा कि नीचे बताया गया है:

तालिका 1.5: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण और गारंटी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वित्त लेखाओं के अनुसार	कंपनी लेखाओं के अनुसार	अंतर
1	2	3	4	5 = 3 - 4
इक्विटी				
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	3,301.00	2,906.33	394.67
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	3,169.47	3,520.66	-351.19
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	8,104.00	12,134.99	-4,030.99
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	6,866.67	10,741.50	-3,874.83
ऋण				
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	57.61	0.00	57.61
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	6,413.61	11.36	6,402.25
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड			
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड			
गारंटी				
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	47.47	47.47	0.00
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1,549.00	1,549.00	0.00
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	1,251.36	1,084.67	166.69
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	373.42	373.42	0.00

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

अंतरों के मिलान का मामला भी समय-समय पर सा.क्षे.उ./विभागों के साथ उठाया गया था।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार और सा.क्षे.उ. को समयबद्ध तरीके से अंतरों का मिलान करना चाहिए।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

1.8 31 मार्च 2019 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के दायरे में विद्युत क्षेत्र के पांच उपक्रम थे। वर्ष 2018-19 के लिए चार कार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा 30 सितंबर 2019 तक सांविधिक आवश्यकता के अनुसार लेखा प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में बकायों के विवरण

नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.6: विद्युत क्षेत्रों के उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	सा.क्षे.उ. की संख्या	5	4	5	5	4
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	5	2	6	8	4
3.	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने चालू वर्ष के लेखे अंतिमकृत किए	3	0	2	5	4
4.	चालू वर्ष के दौरान अंतिमकृत किए गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या	2	2	4	3	0
5.	लेखाओं में बकाया वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	2	4	3	0	0
6.	लेखाओं में बकाया की संख्या	2	4	3	0	0
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष	-	-

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के आधार पर संकलित।

अब विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के लेखाओं को अंतिम रूप देने में कोई बकाया नहीं है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन


1.9 30 सितंबर 2019 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणामों के विवरण **परिशिष्ट 1** में दिए गए हैं।

सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उचित लाभ देने की उम्मीद की जाती है। 31 मार्च 2019 को विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. में कुल निवेश की राशि इक्विटी के रूप में ₹ 30,432.75 करोड़, दीर्घ अवधि ऋणों के रूप में ₹ 11,144.53 करोड़ और अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 78,777.03 करोड़ को मिलाकर ₹ 1,20,354.31 करोड़ थी। इसमें से, हरियाणा सरकार ने विद्युत क्षेत्र के चार सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 29,303.48 करोड़ की इक्विटी और ₹ 11.36 करोड़ के दीर्घ अवधि ऋणों और ₹ 78,777.03 करोड़ के अनुदान/सब्सिडी को मिलाकर ₹ 1,08,091.87 करोड़ का निवेश किया है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. में इक्विटी, दीर्घ अवधि ऋणों और अनुदान/सब्सिडी के रूप में हरियाणा सरकार के निवेश की वर्ष-वार स्थिति

निम्नानुसार है:

चार्ट 1.2: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में हरियाणा सरकार का कुल निवेश



विद्युत क्षेत्र में हरियाणा सरकार का कुल निवेश 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 1.65 गुना बढ़ा, जैसा कि चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

किसी कंपनी के वित्तीय निष्पादन और लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से निवेश पर रिटर्न, इक्विटी पर रिटर्न और नियोजित पूंजी पर रिटर्न के माध्यम से किया जाता है जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

निवेश पर रिटर्न

1.10 निवेश पर रिटर्न कुल निवेश में लाभ या हानि का प्रतिशत है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान विद्युत क्षेत्र के सभी कार्यरत उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि⁹ की समग्र स्थिति को नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.3: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि



⁹ आंकड़े, संबंधित वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार हैं।

विद्युत क्षेत्र के सभी चार सा.क्षे.उ. द्वारा 2018-19 में अर्जित लाभ संचयी रूप से ₹ 687.91 करोड़ था जिसमें एच.पी.जी.सी.एल. ने ₹ 209.99 करोड़ और एच.वी.पी.एन.एल. ने ₹ 196.98 करोड़ का योगदान दिया।

2014-15 से 2018-19 के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति, जिन्होंने लाभ अर्जित किया/हानि उठाई, नीचे दी गई है:

तालिका 1.7: विद्युत क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने लाभ अर्जित किया/हानि उठाई

वित्तीय वर्ष	विद्युत क्षेत्र में कुल सा.क्षे.उ.	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने लाभ अर्जित किया	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने हानि उठाई	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने मार्जिनल लाभ/हानि उठाई
2014-15	4	1	2	1
2015-16	4	1	2	1
2016-17	4	3	1	0
2017-18	4	4	0	0
2018-19	4	4	0	0

निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर रिटर्न

1.11 राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र के सभी चार उपक्रमों में इक्विटी, ऋण और अनुदान/परिदान के रूप में निधियों का निवेश किया। चार सा.क्षे.उ. से निवेश पर रिटर्न की गणना हरियाणा सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. में इक्विटी, दीर्घ अवधि ऋणों और अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋणों के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋणों को ही निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और इसलिए सरकार द्वारा इक्विटी निवेश की प्रकृति इस हद तक होती है कि ऋणों को पुनर्भुगतान के नियमों एवं शर्तों के अनुसार चुकाया जाना है।

₹ 231.90 करोड़ की आरंभिक संचित हानियों के समायोजन के बाद ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2018-19 के अंत में 31 मार्च 2019 को विद्युत क्षेत्र के इन चार सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार का निवेश ₹ 1,07,848.61 करोड़ (₹ 1,08,080.51 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ और ऋणों को लेखे में नहीं लेना था क्योंकि सभी ऋण ब्याज वाले ऋण थे) था।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर रिटर्न नीचे दिया गया है:

तालिका 1.8: ऐतिहासिक लागत आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न

वित्तीय वर्ष	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	वर्ष के कुल अर्जन/हानियां (₹ करोड़ में)	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
2014-15	64,166.76	-3,453.86	-5.38
2015-16	72,213.08	-2,017.26	-2.79
2016-17	84,642.42	-7.91	-0.04
2017-18	94,960.85	794.66	0.84
2018-19	1,07,848.61	687.91	0.64

विद्युत क्षेत्र के चार सा.क्षे.उ. में निवेश पर रिटर्न 2014-15 में (-) 5.38 प्रतिशत से सुधरकर 2017-18 में 0.84 प्रतिशत हो गया, लेकिन लाभ में कमी के साथ युग्मित अधिक इक्विटी

और अनुदान/सब्सिडी के कारण 2018-19 में घटकर 0.64 प्रतिशत रह गया। हरियाणा सरकार द्वारा उदय के अंतर्गत निधियों के निवेश और ए.टी. एंड सी. हानि में कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में निवेश पर रिटर्न में सुधार हुआ है।

निवेश का वर्तमान मूल्य

1.12 विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के मद्देनजर, राज्य सरकार के नजरिए से ऐसे निवेश पर वास्तविक रिटर्न की दर (आर.ओ.आर.आर.) जरूरी है। निवेश पर रिटर्न की पारंपरिक गणना निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित है, जो कि निवेश पर रिटर्न की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसी गणना पैसे के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। इसलिए, इसके अतिरिक्त, आर.ओ.आर.आर. की गणना निवेश की ऐतिहासिक लागत के वर्तमान मूल्य को देखते हुए की जाती है।

31 मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य पर लाने के उद्देश्य से राज्य सा.क्षे.उ. में हरियाणा सरकार द्वारा निवेशित पिछले निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-दर-वर्ष औसत दर पर संयोजित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार को निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में माना जाता है। इसलिए, इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2019 तक इक्विटी, प्रचालन एवं प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान एवं परिदान और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई थी। हालांकि, चार सा.क्षे.उ. में वर्ष 2017-18 से आगे निवेश पर सकारात्मक रिटर्न मिला। इसलिए, केवल वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए, निवेश पर रिटर्न की गणना की गई है और वर्तमान मूल्य के आधार पर दर्शाई गई है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना में निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई थीं:

- जहां सा.क्षे.उ. को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था और बाद में इक्विटी में बदल दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष¹⁰ के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए मिश्रित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश की दिशा में सरकार द्वारा वहन की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और परिदानों को कम विनिवेश के माध्यम से पारंपरिक रूप से वास्तविक प्रतिफल की दर पर पहुंचने के लिए माना जाता था।

2014-15 (तीन कंपनियों), 2015-16 (तीन कंपनियों), 2016-17 (केवल एक कंपनी) की अवधि के लिए, जब इन कंपनियों को नुकसान हुआ था, निष्पादन का एक और अधिक

¹⁰ सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (हरियाणा सरकार) पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों से अपनाई गई थी जिसमें भुगतान किए गए ब्याज के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

उपयुक्त उपाय घाटे के कारण निवल मूल्य का क्षरण है जिस पर टिप्पणी अनुच्छेद 1.14 में दी गई है।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक रिटर्न की दर (आर.ओ.आर.आर.)

1.13.1 31 मार्च 2019 तक इन कंपनियों की स्थापना के बाद से विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (वास्तविक रिटर्न) की समेकित स्थिति नीचे दी गई तालिका में इंगित की गई है:

तालिका 1.9: 1999-2000 से 2018-19 तक सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (वास्तविक रिटर्न)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त इक्विटी	प्रचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान/परिदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन
1	2	3	4	5=(3+4)	6=2+5	7	8=(6x7/100)+6	9=6x7/100	10
1999-2000		448.11*	412.00	860.11	860.11	12.05	963.75	103.64	-445.55
2000-01	963.75	265	769.30	1,034.30	1,998.05	11.40	2,225.83	227.78	-221.63
2001-02	2,225.83	38.71	850.05	888.76	3,114.59	10.50	3,441.63	327.03	-182.55
2002-03	3,441.63	97.36	839.72	937.08	4,378.71	10.74	4,848.98	470.27	26.48
2003-04	4,848.98	112.27	988.12	1,100.39	5,949.38	10.20	6,556.21	606.84	239.68
2004-05	6,556.21	162.93	1,164.79	1,327.72	7,883.94	8.49	8,553.28	669.35	-371.08
2005-06	8,553.28	359.29	1,284.51	1,643.80	10,197.08	8.95	11,109.72	912.64	-377.65
2006-07	11,109.72	777.80	3,755.42	4,533.22	15,642.94	9.20	17,082.09	1,439.15	-416.21
2007-08	17,082.09	930.16	2,560.17	3,490.33	20,572.42	7.43	22,100.95	1,528.53	-649.1
2008-09	22,100.95	855.72	2,908.30	3,764.02	25,864.97	7.82	27,887.61	2,022.64	-1246.5
2009-10	27,887.61	898.82	2,771.09	3,669.91	31,557.52	9.29	34,489.22	2,931.69	-1,460.84
2010-11	34,489.22	882.18	5,905.77	6,787.95	41,277.17	9.22	45,082.92	3,805.75	-592.08
2011-12	45,082.92	573.35	7,153.15	7,726.50	52,809.42	9.73	57,947.78	5,138.36	-10,194.3
2012-13	57,947.78	198.62	10,258.26	10,456.88	68,404.66	9.86	75,149.36	6,744.70	-3,833.76
2013-14	75,149.36	100	10,544.22	10,644.22	85,793.58	9.83	94,227.09	8,433.51	-3,849.89
2014-15	94,227.09	66.94	5,234.63	5,301.57	99,528.66	9.33	1,08,814.68	9,286.02	-3,453.86
2015-16	1,08,814.68	1,619.42	6,426.90	8,046.32	1,16,861.00	8.64	1,26,957.79	10,096.79	-2,017.26
2016-17	1,26,957.79	1,927.99	10,501.35	12,429.34	1,39,387.13	8.00	1,50,538.10	11,150.97	-7.91
2017-18	1,50,538.10	5,454.43	4,864.00	10,318.43	1,60,856.53	8.10	1,73,885.91	13,029.38	794.66
2018-19	1,66,100.91 ¹¹	13,302.48	7,370.28	20,672.76	1,86,773.67	8.81	2,03,228.43	16,454.76	687.91
कुल		29,071.58	78,777.03[#]	1,07,848.61[#]					

* सा.क्षे.उ. को हस्तांतरित ₹ 680.01 करोड़ से ₹ 231.90 करोड़ की कम प्रारंभिक संचित अवशिष्ट हानि के बराबर राशि। कॉलम संख्या 3, 4 और 10 के संबंध में सूचना संबंधित वर्षों के मुद्रित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संकलित है।

इक्विटी में बदले गए ₹ 7,785 करोड़ कुल अनुदान में शामिल नहीं हैं जैसा कि फुटनोट 11 में उल्लिखित है।

2018-19 के अंत में इन चार कंपनियों में राज्य सरकार के निवेश का शेष 1999-2000 में ₹ 860.11 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा देय इक्विटी ₹ 680.01 करोड़ तथा अनुदान एवं

¹¹ आरंभिक शेष में ₹ 7,785 करोड़ का अंतर उदय स्कीम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के कारण था (2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 3,892.50 करोड़) जो कि वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित हो गया था क्योंकि इसका प्रभाव पहले से ही संबंधित वर्षों के अनुदान में लिया गया था।

परिदान ₹ 412 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ का प्रारंभिक अवशिष्ट संचित घाटा) से बढ़कर ₹ 1,07,848.61 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी तथा अनुदान/परिदान के रूप में ₹ 1,06,988.50 करोड़ का और निवेश किया। 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 2,03,228.43 करोड़ परिकल्पित किया गया।

इन कंपनियों के लिए वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और 2004-05 से 2016-17 तक की कुल आय ऋणात्मक थी जो यह संकेत देती है कि सरकार अपनी निधियों की लागत नहीं वसूल सकी। वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान कुल आय सकारात्मक थी, लेकिन यह न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से काफी कम थी।

ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य पर रिटर्न की दर

1.13.2 2017-18 और 2018-19 के दौरान ऐतिहासिक लागत आधार और वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर रिटर्न की तुलना, जब सकारात्मक आय थी, निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 1.10: राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल अर्जन	ऐतिहासिक लागत पर		वर्तमान मूल्य (पी.वी.) पर	
		वर्ष के अंत में इक्विटी और अनुदान के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा निवेश	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में इक्विटी और अनुदान के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा निवेश	निवेश पर वास्तविक रिटर्न की दर (प्रतिशत में)
1	2	3	$4=(2/3) \times 100$	5	$6=(2/5) \times 100$
2017-18	794.66	94,960.85	0.84	1,73,885.91	0.46
2018-19	687.91	1,07,848.61	0.64	2,03,228.43	0.34

गत दो वर्षों के दौरान रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि वर्तमान मूल्य पर आधारित रिटर्न ऐतिहासिक लागत पर आधारित रिटर्न की तुलना में कम था। 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर रिटर्न 0.84 तथा 0.64 प्रतिशत था जबकि वर्तमान मूल्य पर आधारित वास्तविक रिटर्न की दर क्रमशः 0.46 तथा 0.34 प्रतिशत थी।

निवल मूल्य का क्षरण

1.14 निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष में से संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय घटाकर बचा मूल्य। मुख्यतः यह एक माप है कि एक इकाई का मालिकों के लिए क्या मूल्य है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा पूरे निवेश को संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय से मिटा दिया गया है। 31 मार्च 2019 तक विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों का कुल संचित घाटा ₹ 30,432.75 करोड़ के पूंजी निवेश के विरुद्ध ₹ 28,657.21 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,775.54 करोड़ (परिशिष्ट 1) की निवल राशि रही। विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों में से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का निवल मूल्य (-) ₹ 2,932.14 करोड़ और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का (-) ₹ 2,516.38 करोड़ था।

निम्न तालिका 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि और निवल मूल्य को इंगित करती है:

तालिका 1.11: 2014-15 से 2018-19 के दौरान विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष	संचित लाभ/हानि	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6 = 2+3-4-5
2014-15	8,370.48	-	-29,173.23	0.02	-20,802.77
2015-16	11,322.28	-	-29,122.79	0.01	-17,800.52
2016-17	11,675.82	-	-30,082.91	0.01	-18,407.10
2017-18	17,147.50	-	-29,302.90	0.02	-12,155.42
2018-19	30,432.75	-	-28,657.21	0.00	1,775.54

राज्य सरकार ने 2014-19 की अवधि के दौरान इक्विटी पूँजी के माध्यम विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। हालांकि, पूँजी देने के बावजूद, इन विद्युत कंपनियों का संचित घाटा 2014-15 में ₹ 29,173.23 करोड़ से आंशिक रूप से घटकर 2018-19 में ₹ 28,657.21 करोड़ हो गया। 2017-18 तक इन कंपनियों में निवेश की गई समग्र पूँजी का हास हो गया। 2017-18 के दौरान, विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के ₹ 794.66 करोड़ का लाभ दर्ज करने के बावजूद, संचित घाटे के कारण निवल मूल्य नकारात्मक (₹ 12,155.42 करोड़) रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान तथा ₹ 5,190 करोड़ के ऋण का ₹ 12,975 करोड़ की इक्विटी पूँजी में रूपांतरण के कारण निवल मूल्य सकारात्मक (₹ 1,775.54 करोड़) हो गया।

2014-15 से 2018-19 के दौरान चार सा.क्षे.उ. में से, दो¹² सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य नकारात्मक था और दो¹³ सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य सकारात्मक था। 2014-15 से 2018-19 के दौरान दो¹⁴ सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य में वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान दो¹⁵ सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य में सुधार हो रहा था।

लाभांश भुगतान

1.15 राज्य सरकार ने दिशानिर्देश तैयार किए (अक्टूबर 2003) जिनके अंतर्गत सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूँजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत का भुगतान करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, लाभांश को निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में घोषित किया जाना चाहिए। विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों से संबंधित लाभांश भुगतान, जहां अवधि के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी का उपयोग

¹² उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

¹³ हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

¹⁴ हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

¹⁵ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

किया गया था, नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.12: 2014-15 से 2018-19 के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का लाभांश भुगतान
(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सा.क्षे.उ. जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी प्राप्त की गई (प्रारंभिक संचित हानि के समायोजन के बिना)		सा.क्षे.उ. जिन्होंने लाभ अर्जित किया		सा.क्षे.उ. जिन्होंने लाभांश घोषित किया/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत)
	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	सा.क्षे.उ. द्वारा घोषित/प्रदत्त लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2014-15	4	6,999.16	1	2,900.24	-	-	-
2015-16	4	8,618.58	1	2,949.04	-	-	-
2016-17	4	10,546.57	2	5,617.59	-	-	-
2017-18	4	16,001.00	4	16,001.00	-	-	-
2018-19	4	29,303.48	4	29,303.48	-	-	-

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. की संख्या एक और चार के मध्य रही और अर्जित लाभ ₹ 11.96 करोड़ और ₹ 278.24 करोड़ के मध्य था। तथापि, किसी भी सा.क्षे.उ. ने हरियाणा सरकार को लाभांश घोषित नहीं किया/भुगतान नहीं किया।

विद्युत क्षेत्र के चार सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार 2018-19 के दौरान ₹ 687.91 करोड़ (ब्याज और करों के बाद) का कुल लाभ अर्जित किया लेकिन उनमें से किसी ने भी लाभांश घोषित करने पर विचार नहीं किया। वर्ष 2018-19 के दौरान, एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल. को क्रमशः ₹ 490.61 करोड़ और ₹ 161.46 करोड़ का कुल लाभ और क्रमशः ₹ 196.98 करोड़ और ₹ 209.99 करोड़ का निवल लाभ होने के बावजूद, सरकार को लाभांश घोषित नहीं किया।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार निदेशक मंडल में अपने नामितों के माध्यम से मामले को उठा सकती है।

इक्विटी पर रिटर्न

1.16 इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) वित्तीय निष्पादन का एक माप है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन, लाभ कमाने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को शेयरधारकों की निधि द्वारा विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसकी किसी भी उस कंपनी के लिए गणना की जा सकती है, जिसमें निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक संख्या हों।

शेयरधारकों की निधि या किसी कंपनी के निवल मूल्य की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानियों के निवल मुक्त आरक्षित और स्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेची गईं और सभी ऋणों का भुगतान किया गया तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना बचेगा। एक सकारात्मक शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त

परिसंपत्तियां हैं जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

इक्विटी पर रिटर्न की गणना विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों के संबंध में की गई है, जहां राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के इन चार उपक्रमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि और इक्विटी पर रिटर्न का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.13: विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों, जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था, से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

वर्ष	वर्ष की निवल आय/कुल अर्जन ¹⁶ (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत)
2014-15	-3,453.86	-20,802.73	-
2015-16	-2,017.26	-17,800.50	-
2016-17	-7.91	-18,407.08	-
2017-18	794.66	-12,155.38	-
2018-19	687.91	1,775.54	38.74

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, मार्च 2019 को समाप्त पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान, निवल आय केवल 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान सकारात्मक थी, हालांकि, 2014-15 से 2017-18 के दौरान शेयरधारकों की निधि नकारात्मक थी। चूंकि 2014-15 से 2017-18 के दौरान इन सा.क्षे.उ. की निवल आय और 2014-15 से 2017-18 के दौरान शेयरधारकों की निधि नकारात्मक थी, इसलिए इन सा.क्षे.उ. के संबंध में इक्विटी पर रिटर्न परिकलित नहीं किया जा सका। शेयरधारकों की नकारात्मक निधि से संकेत मिलता है कि 2014-15 से 2017-18 में इन सा.क्षे.उ. की देनदारियां शेयरधारकों को रिटर्न देने के बजाय परिसंपत्तियों से अधिक हो गई हैं।

2018-19 के दौरान, शेयरधारकों की निधि सकारात्मक रूप से ₹ 1,775.54 करोड़ दर्ज की गई और इक्विटी पर रिटर्न 38.74 प्रतिशत परिकलित किया गया। सकारात्मक शेयरधारकों की निधि का मुख्य कारण उदय योजना के अंतर्गत ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान और ₹ 5,190 करोड़ के ऋण को ₹ 12,975 करोड़ की इक्विटी राशि में बदलना था।

नियोजित पूंजी पर रिटर्न

1.17 नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित है।

आर.ओ.सी.ई. की गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूंजी¹⁷ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों के आर.ओ.सी.ई. का विवरण नीचे तालिका में दिया

¹⁶ संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखाओं के अनुसार।

¹⁷ नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े, नवीनतम वर्ष, जिनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है, के अनुसार हैं।

गया है:

तालिका 1.14: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (प्रतिशत में)		
	लाभ कमाने वाले सा.क्षे.उ.	हानि उठाने वाले सा.क्षे.उ.	कुल
2014-15	13.16	5.21	7.56
2015-16	13.09	34.01	26.35
2016-17	11.38	113.23	33.82
2017-18	12.62	-	75.15
2018-19	18.58*	-	27.48

* उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को छोड़कर जिसकी नियोजित पूंजी वर्ष के लिए नकारात्मक थी।

वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान आर.ओ.सी.ई. में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि मुख्य रूप से उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा ऋण लेने और अनुदान प्रदान करने के कारण वित्त लागत में कमी आई है। 2018-19 में यह हरियाणा सरकार द्वारा ₹ 12,975 करोड़ के अनुदान/ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण घट गया।

कंपनियों के दीर्घ अवधि ऋणों का विश्लेषण

1.18 2014-15 से 2018-19 के दौरान कंपनियों के दीर्घकालिक ऋण का विश्लेषण कंपनियों को सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। इसका मूल्यांकन ब्याज आवृत अनुपात और ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज आवृत अनुपात

1.19 ब्याज आवृत अनुपात का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से नीचे ब्याज आवृत अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व पैदा नहीं कर रही थी। विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों, जिनमें 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ब्याज भार था, में ब्याज आवृत अनुपात का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.15: ब्याज आवृत अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले अर्जन (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	सरकार तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	1 से अधिक ब्याज आवृत अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	1 से कम ब्याज आवृत अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2014-15	3,471.80	1,500.43	4	1	3
2015-16	4,531.25	4,125.81	4	2	2
2016-17	3,134.92	1,723.04	4	3	1
2017-18	2,673.69	3,943.18	4	4	0
2018-19	2,061.99	3,550.93	4	4	0

वर्ष 2014-15 में एक से अधिक की ब्याज आवृत अनुपात वाली विद्युत क्षेत्र की केवल एक कंपनी (एच.पी.जी.सी.एल.) थी, 2017-18 तथा 2018-19 में सभी चार कंपनियों में एक से

अधिक का ब्याज आवृत अनुपात था।

ऋण टर्नओवर अनुपात

1.20 पिछले पांच वर्षों के दौरान, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में 10.59 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और 2018-19 में दीर्घावधि ऋण घटकर ₹ 11,144.53 करोड़ हो गया, जिसके कारण ऋण-दर अनुपात 2014-15 में 0.88 से सुधरकर 2018-19 में 0.30 हो गया जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.16: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार और अन्य से ऋण (बैंक और वित्तीय संस्थान)	24,339.52	33,459.49	28,956.75	17,402.60	11,144.53
टर्नओवर	27,716.88	29,475.63	32,169.09	34,370.70	36,818.34
ऋण-टर्नओवर अनुपात	0.88:1	1.14:1	0.90:1	0.51:1	0.30:1

स्रोत: परिशिष्ट 1 के आधार पर संकलित।

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता

1.21 विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय स्कीम) का शुभारंभ किया (20 नवंबर 2015)। उदय स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इसमें भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

परिचालन क्षमता में सुधार के लिए स्कीम

1.21.1 इसमें भाग लेने वाले राज्यों को अनिवार्य फीडर और वितरण ट्रांसफॉर्मर (डी.टी.) मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण और घाटे की भौगोलिक सूचना प्रणाली मैपिंग, ट्रांसफार्मर एवं मीटरों के उन्नयन या बदलने, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से डिमांड साइड प्रबंधन (डी.एस.एम.), टैरिफ का संशोधन, जैसी विभिन्न लक्षित गतिविधियां करने की आवश्यकता थी। इनके साथ-साथ व्यापक उपभोक्ता सूचना, शिक्षा और संचार अभियान बिजली की चोरी रोकने, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने का आश्वासन देता है जहां परिचालन क्षमता में सुधार के लिए कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ (ए.टी. एंड सी.) को कम किया गया है। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके अर्थात् फीडर और डी.टी. स्तर पर नुकसान को ट्रैक करने की क्षमता, हानि उठाने वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान को कम करना, आउटेज को कम करना, बिजली की चोरी को कम करना और चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, पीक लोड और ऊर्जा की खपत को कम करना आदि। परिचालन सुधार के परिणामों को संकेतकों के माध्यम से मापा जाना था अर्थात् विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) और राज्यों द्वारा अंतिम रूप से नुकसान की कमी प्रक्षेप पथ के अनुसार 2018-19 तक ए.टी. एंड सी. हानि में 15 प्रतिशत की कमी, 2019-20 तक आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के मध्य अंतर में शून्य तक कमी थी।

वित्तीय बदलाव की स्कीम

1.21.2 इसमें भाग लेने वाले राज्यों को 30 सितंबर 2015 को डिस्कॉम का 75 प्रतिशत बकाया ऋण, अर्थात् 2015-16 में 50 प्रतिशत और 2016-17 में 25 प्रतिशत, लेना अपेक्षित था। वित्तीय बदलाव की स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ ये प्रावधान हैं:

- राज्य 'गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात' नॉन-एस.एल.आर. बांड जारी करेगा और ऐसे बांडों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम में हस्तांतरित कर दिया जाएगा जो बदले में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋण की राशि का निर्वहन करेगा। ऐसे जारी किए गए बांडों में 10-15 साल की परिपक्वता अवधि होगी, जिसमें पांच साल तक की अधिस्थगन अवधि में मूलधन चुकाने की मोहलत होगी।
- डिस्कॉम का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता के साथ तथा इसके बाद उच्च लागत के ऋण को लिया जाएगा।
- 2015-16 और 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम में हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा, जो डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तांतरण के साथ तीन वर्षों में दिया जा सकता है।
- असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान इक्विटी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय स्कीम का कार्यान्वयन

1.21.3 उदय स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:

क. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि

दो राज्य डिस्कॉम से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदंडों के संबंध में उदय स्कीम के अंतर्गत उपलब्धियों की तुलना में लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

तालिका 1.17: 31 मार्च 2019 तक मानदंड-वार उपलब्धियों की तुलना में परिचालनात्मक निष्पादन के लक्ष्य

उदय स्कीम का मानदंड	उदय स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य	उदय स्कीम के अंतर्गत प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर पैमाइश (संख्या में)			
शहरी	1,365	1,643	120.37
ग्रामीण	1,621	1,451	89.51
वितरण ट्रांसफार्मर पर पैमाइश (संख्या में)			
शहरी	2,79,420	34,300	12.28
ग्रामीण	4,78,120	32,195	6.73
फीडर पृथक्करण (संख्या में)	3,536	3,536	100.00
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	1,621	1,687	104.07
असंबद्ध घर को बिजली (संख्या में)	49,18,000	22,13,640	45.01
500 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर स्मार्ट पैमाइश (संख्या में)	4,31,797	9,081	2.10
200 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर तथा 500 के.डब्ल्यू.एच. तक स्मार्ट पैमाइश (संख्या में)	8,22,747	3,857	0.47
एल.ई.डी. उजाला का वितरण (संख्या में)	2,14,00,000	1,56,60,654	73.18
ए.टी. एंड सी. हानि (प्रतिशत में)	15	14.86 से 21.12	-
ए.सी.एस.-ए.आर.आर. अंतर (₹ प्रति यूनिट)	-0.12	-0.03	-
परिदान सहित निवल आय या लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	-456	280.94	100

स्रोत: दोनों डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई सूचना।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डी.टी.) में मीटरिंग के मानक में राज्य का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं था। स्मार्ट मीटरिंग का काम भी खराब था, जबकि फीडर पृथक्करण और फीडर मीटरिंग के क्षेत्रों में राज्य निष्पादन उत्कृष्ट रहा। वर्ष 2018-19 तक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानि को 15 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य अभी भी यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा प्राप्त किया जाना था। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 मार्च 2019 तक उदय स्कीम के अंतर्गत राज्य के दोनों डिस्कॉम द्वारा प्राप्त की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर सभी राज्यों के बीच राज्य को पांचवां स्थान प्रदान किया था।

ख. वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

1.21.4 विद्युत मंत्रालय, हरियाणा सरकार और राज्य डिस्कॉम (अर्थात् यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल.) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए (11 मार्च 2016)। उदय स्कीम और त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को राज्य के दो डिस्कॉम से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 34,600 करोड़) में से हरियाणा सरकार ने 2015-16 और 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 25,950 करोड़ का कुल ऋण टेक ओवर किया।

एम.ओ.यू. के संदर्भ में, हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया ₹ 25,950 करोड़ का ऋण अंततः 2015-16 से प्रारंभ पांच साल की अवधि के लिए ₹ 3,892.50 करोड़ के अनुदान और ₹ 1,297.50 करोड़ की इक्विटी में प्रतिवर्ष परिवर्तित किया जाना था। यह परिकल्पना की गई थी कि 2019-20 के अंत में, हरियाणा सरकार के पास ₹ 6,487.50 करोड़ की इक्विटी होगी और ₹ 19,462.5 करोड़ अनुदान के माध्यम से डिस्कॉम को दिए जाएंगे। इस अनुपात में, 31 मार्च 2019 को, ₹ 5,190 करोड़ की इक्विटी और ₹ 15,570 करोड़ के अनुदान को लिए गए ऋण से परिवर्तित किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, उदय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार "असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान इक्विटी के रूप में दिया जा सकता है"।

योजना का वास्तविक कार्यान्वयन नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

तालिका 1.18: उदय स्कीम का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	अनुदान	कुल
2015-16	1,297.50	12,110.00	3,892.50	17,300.00
2016-17	1,297.50	3,460.00	3,892.50	8,650.00
कुल	2,595.00	15,570.00	7,785.00	25,950.00
2017-18	5,190.00	-5,190.00	0.00	0.00
2018-19	12,975.00	-5,190.00	-7,785.00	0.00
31 मार्च 2019 को स्थिति	20,760.00	5,190.00	0.00	25,950.00

यह देखा गया था कि हरियाणा सरकार ने एम.ओ.यू. और योजना की अधिसूचना के प्रावधानों का पालन नहीं किया। 2017-18 के दौरान, ₹ 5,190 करोड़ का ऋण अनुदान और इक्विटी के बीच द्विभाजन के बजाय पूरी तरह से इक्विटी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के दौरान हरियाणा सरकार ने ₹ 5,190 करोड़ और ₹ 7,785 करोड़ के ऋण को परिवर्तित किया, जो कि 2015-16 और 2016-17 के दौरान उदय योजना के अंतर्गत अनुदान के रूप में इक्विटी में प्रदान किया गया था।

परिणामतः, हरियाणा सरकार ने एम.ओ.यू. के अंतर्गत परिकल्पित ₹ 6,487.50 करोड़ की सीमा से अधिक इक्विटी में ₹ 20,760 करोड़ का निवेश किया है और ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान को 100 प्रतिशत इक्विटी में परिवर्तित करके अनुदान के हिस्से को शून्य कर दिया है, जो उदय योजना की अधिसूचना के अनुरूप नहीं था।

डिस्कॉम ने अन्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों को देय ऋण देयता का निर्वहन करने के लिए उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर अक्टूबर 2015 से मार्च 2019 की अवधि के लिए ₹ 2,787.24 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया। ये ऋण हरियाणा सरकार द्वारा 8.06 एवं 8.21 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए थे।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां

1.22 विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अपने सात लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित किए। इन सभी लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और नि.म.ले.प. द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। 2016-19 के लेखाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 1.19: विद्युत क्षेत्र की कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	1	13.06	-	-	3	144.29
2	लाभ में वृद्धि	1	79.68	3	714.78	1	219.62
3	हानि में वृद्धि	2	127.10	1	3,428.35	-	-
4	हानि में कमी	1	380.23	2	304.46	-	-
5	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	-	-	-	-	3	93.35
6	वर्गीकरण की त्रुटियां	2	652.09	-	-	3	912.43

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दो¹⁸ लेखाओं पर परिमित प्रमाण-पत्र तथा दो लेखाओं पर अपरिमित प्रमाण-पत्र जारी किए थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

1.23 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के भाग-1 के लिए 'हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्यचालन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और सात अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए। राज्य सरकार से निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) तथा पांच अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2020)। निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 793.03 करोड़ है।

¹⁸ हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लंबित उत्तर

1.24 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) हैं कि वे नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर उसमें शामिल अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

तालिका 1.20: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 अप्रैल 2020 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) का वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तारीख	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) और अनुच्छेद		पी.ए./अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		पी.ए.	अनुच्छेद	पी.ए.	अनुच्छेद
2016-17	14.03.2018	-	13	-	05
2017-18	26.11.2019	01	04	01	04

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

2016-17 के पांच अनुच्छेदों और 2017-18 के एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं चार अनुच्छेदों की व्याख्यात्मक टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.25 30 अप्रैल 2020 को कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं और अनुच्छेदों की चर्चा की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 1.21: 30 अप्रैल 2020 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट की तुलना में चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2015-16	01	09	-	09
2016-17	-	13	-	-
2017-18	01	04	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित।

2014-15 तक विद्युत क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) पर चर्चा पूरी हो गई है।

लोक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.26 मार्च 2016 और मार्च 2019 के मध्य राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र) से संबंधित राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपू के पांच प्रतिवेदनों पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुए थे (30 अप्रैल 2020), जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

तालिका 1.22: कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू रिपोर्ट का वर्ष	कोपू रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपू रिपोर्ट में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिनकी ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई
2015-16	1	4	1 (14)
2016-17	1	7	5 (1 से 5)
2017-18	1	8	7 (3, 4, 5, 6, 12, 13 एवं 14)
2018-19	1	5	2 (4, 5)
2019-20	1	4	4 (5, 6, 7 एवं 8)
कुल	5	28	19

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से कोपू की सिफारिशों पर प्राप्त ए.टी.एन. पर आधारित संकलन। कोष्टक में आंकड़े कोपू रिपोर्ट की सिफारिश संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में उन अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें थीं जो 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुए थे।

अध्याय-2
विद्युत क्षेत्र - निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2

2 विद्युत क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्यचालन

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) को अगस्त 1997 में हरियाणा राज्य में एकीकृत और कुशल विद्युत प्रसारण नेटवर्क की योजना बनाने, स्थापित, संचालित और रख-रखाव करने के लिए निगमित किया गया था। जबकि इस निष्पादन लेखापरीक्षा का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹ 682.19 करोड़ है, कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार हैं:

मुख्यांश

कंपनी का प्रसारण घाटा 2014-15 के दौरान 2.62 प्रतिशत से घटकर 2018-19 के दौरान 2.05 प्रतिशत हो गया। कंपनी ने वर्ष 2017-19 के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

(अनुच्छेद 2.6)

वर्ष 2014-19 के दौरान कंपनी द्वारा शुरू की गई 32 परियोजनाओं में से 30 को 3 से 98 माह के मध्य की देरी के साथ पूरा किया गया। इसके फलस्वरूप, इक्विटी पर रिटर्न की वसूली तथा देरी के साथ पूर्ण की गई ₹ 950.18 करोड़ मूल्य की प्रसारण संपत्तियों पर ₹ 228.02 करोड़ की राशि के मूल्यहास को स्थगित कर दिया गया था।

(अनुच्छेद 2.7.2.1)

कंपनी ने, 2015-18 के दौरान, हरियाणा विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रसारण प्रणाली उपलब्धता (टी.एस.ए.) के मानदंडों को प्राप्त नहीं किया। इसके कारण, पूर्ण प्रसारण लागत को वसूल नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त राजस्व ₹ 15.51 करोड़ की सीमा तक कम हो गया।

(अनुच्छेद 2.8.3)

परियोजना के कार्यान्वयन की खराब गति के कारण, कंपनी सस्ती दरों पर उपलब्ध विश्व बैंक ऋणों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साथ महँगी धन व्यवस्था का सहारा लिया, जिसकी लागत ₹ 24.63 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी को विश्व बैंक ऋण का लाभ न उठाए गए हिस्से पर फ्रंट एंड फीस के रूप में ₹ 31.32 लाख वहन करने पड़े।

(अनुच्छेद 2.10.2)

बैंक गारंटी (बी.जी.) की शर्तों की अवहेलना करके कंपनी ने गारंटी देने वाले दो बैंकों में से एक को सभी अग्रिम भुगतान जारी कर दिए, परिणामस्वरूप, यह बी.जी. जारी करने वाले एक बैंक से ₹ 9.57 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.10.5)

कंपनी द्वारा सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) को देर से प्रस्तुत करने के कारण 2014-15 से 2017-18 के लिए हरियाणा विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा प्रसारण प्रभारों के अंतिमकरण में देरी हुई। इसके परिणामस्वरूप कंपनी लघु अवधि ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं से ₹ 2.11 करोड़ के प्रसारण प्रभारों की वसूली नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.11.1)

सब-स्टेशनों और प्रसारण लाइनों की असमकालिक कमीशनिंग, प्रसारण क्षमता के कम उपयोग और मूल्यहास और ब्याज माफी के विरुद्ध अग्रिम के लाभ न देने से संबंधित कंपनी की अक्षमता के कारण 2014-19 के दौरान राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर ₹ 168.64 करोड़ का अनुचित भार पड़ा।

(अनुच्छेद 2.12.1)

प्रसारण प्रणाली उपलब्धता की अप्राप्ति, लागत लाभ विश्लेषण किए बिना सरकारी गारंटी के विरुद्ध मध्यावधि ऋण प्राप्त करने, ए.आर.आर. दाखिल करने में देरी, समय पर होल्डिंग लागत का दावा न करने और कार्यशील पूंजी मानदंडों का पालन न करने जैसी अक्षमताओं के कारण कंपनी की लाभप्रदता 2014-19 के दौरान ₹ 70.08 करोड़ तक बुरी तरह प्रभावित हो गई थी।

(अनुच्छेद 2.12.2)

2.1 प्रस्तावना

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) को अगस्त, 1997 में हरियाणा राज्य में एकीकृत एवं प्रभावी विद्युत प्रसारण नेटवर्क की योजना, स्थापना, संचालन एंड रख-रखाव के लिए निगमित किया गया था। अंतर्राज्यीय प्रसारण प्रणाली की आयोजना कंपनी के द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.), केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सी.टी.यू.), और उत्पादन/वितरण कंपनियों के साथ समन्वय के साथ की जाती है। विद्युत के प्रसारण के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए पूंजीगत व्यय सहित व्यय के घटकों के निर्धारण, संचालन एवं रख-रखाव, व्यय, इक्विटी पर व्यय (आर.ओ.ई.) और परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन के लिए प्रतिवर्ष कंपनी द्वारा हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) को सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।

2.2 संगठनात्मक ढांचा

कंपनी का प्रबंधन हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक तीन पूर्णकालिक निदेशकों और चार अंशकालिक निदेशकों वाले निदेशक बोर्ड (बी.ओ.डी.) द्वारा किया जाता है। प्रबंध निदेशक कंपनी का मुख्य संचालक है। कंपनी का संगठनात्मक चार्ट परिशिष्ट 2 में दिया गया है।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि:

- प्रसारण परियोजनाओं की योजना अपेक्षा के अनुसार की गई और निष्पादन अधिक समय या लागत के बिना किया गया;

- प्रणाली के अधिकतम उपयोग के साथ सुचारु और निर्बाध विद्युत सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण प्रणाली का संचालन एवं रख-रखाव मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभाविकता के साथ किया गया;
- ग्रिड प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन दक्ष एवं प्रभावी था;
- कंपनी एवं डिस्कॉम्ज के मध्य प्रभावी समन्वय यंत्रावली विद्यमान थी;
- निधियों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आर्थिक प्रबंधन विद्यमान था; तथा
- टैरिफ प्रस्ताव उपयुक्त रूप से एवं समय पर बनाए गए।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा परिणामों का मूल्यांकन निम्न सूत्रों से प्राप्त लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार किया जाता है:

- बिजली अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय बिजली नीति और आयोजना; सी.ई.ए. की प्रसारण आयोजना का मैनुअल, भारतीय बिजली और राज्य ग्रिड कोड;
- हरियाणा सरकार/विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) से निर्देश और एच.ई.आर.सी./सी.ई.ए. द्वारा जारी मार्गनिर्देश;
- कंपनी की वार्षिक योजनाएं एवं परियोजना रिपोर्ट, बी.ओ.डी. मीटिंग के कार्य सूची एवं कार्यवृत्त और कंपनी के परिपत्र, मैनुअल और प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट; और
- संविदाओं की प्रदानगी के लिए मानक प्रक्रियाएं और एच.ई.आर.सी. को प्रस्तुत टैरिफ प्रस्ताव और इसके आदेश।

2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्य प्रणाली

कंपनी की 'प्रसारण गतिविधियों' पर पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा को 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र), हरियाणा सरकार रिपोर्ट में शामिल किया गया था। रिपोर्ट पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चर्चा की गई थी जिसने अपनी 62 वीं रिपोर्ट में तीन¹ सिफारिशें शामिल कीं। कोपू द्वारा इसके अनुपालन पर बिजली निकासी लाइन के निर्माण में देरी पर सिफारिश को हटा दिया गया है। 220 के.वी. सब-स्टेशन बाटा के गैर-उपयोग पर सिफारिश अभी भी (अप्रैल 2020) लंबित थी, हालांकि अब सब-स्टेशन को उपयोग के लिए रखा गया है। हुडा दावों की वसूली में तेजी लाने के लिए कोपू की सिफारिश भी लंबित थी (अप्रैल 2020)।

नवंबर 2018 से जुलाई 2019 के दौरान की गई वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान कंपनी के निष्पादन का आकलन किया। लेखापरीक्षा जांच में कंपनी के मुख्यालय के विभिन्न विंगों में आईडिया टूल में स्तरीय रिप्लेसमेंट के बिना रैंडम सैंपलिंग द्वारा चुने गए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एस.एल.डी.सी.), छः ट्रांसमिशन


¹ i) इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना झज्जर की तीसरी इकाई के लिए बिजली निकासी लाइनों का विलंबित निर्माण ii) बिना लोड के 220 के.वी. सब-स्टेशन बाटा का निर्माण और iii) हुडा दावों की वसूली न करना।

सिस्टम (टी.एस.) परिमंडलों² में से तीन, दो सिविल मेटेनेंस कम कंस्ट्रक्शन (सी.एम.सी.) परिमंडलों³ में से एक और दो मीटरिंग एवं सुरक्षा परिमंडलों⁴ में एक के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल थी।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की चर्चा एंटी कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन के साथ की गई (अप्रैल 2019)। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष प्रबंधन और हरियाणा सरकार को प्रस्तुत किए गए थे (फरवरी 2020) और इन पर एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई (10 जून 2020) जिसमें हरियाणा सरकार के अपर मुख्य सचिव (विद्युत) और कंपनी के प्रबंध निदेशक ने भाग लिया। कंपनी और सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को संज्ञान में लेते हुए इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

2.6 प्रसारण प्रक्रिया और प्रसारण परिसंपत्तियां

प्रसारण प्रणालियों के मुख्य तत्व प्रसारण लाइनें एवं सब-स्टेशन⁵ हैं जो वितरण लाईसेंसधारियों के डाउन स्ट्रीम नेटवर्क की विद्युत मांग को पूरा करते हैं। प्रसारण के समय, हानि को कम करने और दक्षता को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत कम वोल्टेज (11 के.वी.) पर सृजित विद्युत को प्रसारण से पहले स्टेप अप किया जाता है (वोल्टेज बढ़ाया जाता है) फिर उपभोक्ताओं को वितरण से पहले कम वोल्टेज स्तर पर स्टेप डाउन कर दिया जाता है। प्रसारण प्रक्रिया का चित्रित निरूपण नीचे दिया गया है:



² छ: टी.एस. परिमंडलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पंचकूला और रोहतक में से, टी.एस. परिमंडल गुरुग्राम, हिसार और रोहतक को चुना गया था।


³ हिसार और पंचकूला में दो सी.एम.सी. परिमंडलों में से सी.एम.सी. परिमंडल हिसार को चुना गया।

⁴ दिल्ली और धूलकोट (अंबाला) में दो सी.एम.सी. परिमंडलों में से मीटरिंग एवं सुरक्षा परिमंडल, दिल्ली को चुना गया।


⁵ सब-स्टेशन वितरण ग्रिड और प्रसारण प्रणाली के मध्य अंतरीपृष्ठ (इंटरफेस) है। वे वितरण के लिए अनुकूल स्तर पर प्रसारण लाइनों में वोल्टेज को कम करते हैं।

अनुमानित लोड वृद्धि के अनुसार बिजली की मांग में वृद्धि नए उप-स्टेशनों के निर्माण, मौजूदा उप-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि और नई प्रसारण लाइनों के बिछाने की आवश्यकता है। 2014-19 की शुरुआत में और अंत में कंपनी का प्रसारण नेटवर्क नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1: 2014-19 के दौरान जोड़ी गई प्रसारण लाइनें



चार्ट 2.2: 2014-19 के दौरान जोड़ी गई प्रसारण क्षमता



स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इस प्रकार, वर्ष 2014-19 के दौरान, कंपनी ने 2,263.054 सर्किट किलोमीटर⁶ (15,080.747 सर्किट किलोमीटर - 12,817.693 सर्किट किलोमीटर) प्रसारण लाइनों का निर्माण किया और 32 नए सब-स्टेशनों और वर्तमान सब-स्टेशनों के संवर्धनों के माध्यम से प्रत्यावर्तन⁷ क्षमता 17,040.5 एम.वी.ए. (65,594.0 एम.वी.ए. - 48,553.5 एम.वी.ए.) जोड़ा गया।

2014-19 की अवधि के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत किए गए प्रसारण हानि लक्ष्यों की तुलना में कंपनी द्वारा की गई प्राप्ति को नीचे उल्लिखित किया गया है:

तालिका 2.1: प्रसारण हानि लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत किए गए प्रसारण हानि लक्ष्य (प्रतिशत में)	2.50	2.48	2.46	2.44	2.42
वास्तविक प्रसारण हानि (प्रतिशत में)	2.62	2.70	2.31	2.26	2.05

कंपनी का प्रसारण घाटा 2014-15 के दौरान 2.62 प्रतिशत से घटकर 2018-19 के दौरान 2.05 प्रतिशत हो गया। कंपनी ने वर्ष 2016-19 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

कंपनी एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित वार्षिक दरों पर डिस्कॉम से प्रसारण शुल्क (टैरिफ) एकत्र करती है। इन प्रसारण प्रभारों को प्रसारित यूनिटों (के.डब्ल्यू.एच.) की संख्या द्वारा कुल

⁶ सर्किट किलोमीटर का अर्थ है एक संपूर्ण सर्किट या डबल सर्किट प्रदान करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक कंडक्टर, इंसुलेटर और सहायक संरचनाओं सहित विद्युत प्रसारण या वितरण सर्किटरी का एक किलोमीटर।

⁷ प्रत्यावर्तन क्षमता कंपनी के सब-स्टेशनों के सभी ट्रांसफार्मरों की कुल क्षमता है।

प्रसारण लागत से विभाजित करके परिकलित किया जाता है। प्रसारण लागत के निर्धारण के लिए कंपनी सात लागत घटकों⁸ के अंतर्गत एच.ई.आर.सी. के पास याचिका दायर करती है। इसलिए, इस आधार पर कोई अनुबंध क्लेम और/ कम्पनी की असक्षमता के कारण हुई लागत में वृद्धि प्रसारण लागत को बढ़ाते हैं, परिणामस्वरूप उपभोक्तो पर उच्च टेरिफ के रूप में अनुचित भार पड़ता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.7 परियोजना आयोजना एवं कार्यान्वयन

2.7.1 परियोजना आयोजना

प्रणाली विस्तारण की योजना ऐतिहासिक लोड डाटा के आधार पर डिस्कॉम्स द्वारा प्रक्षेपित लोड विस्तार परिदृश्य के अनुसार धीरे-धीरे की जाती है। डिस्कॉम्स के प्रस्ताव के आधार पर, कंपनी का आयोजना विंग नए सब-स्टेशनों (एस.एस.), प्रसारण लाइनों के निर्माण और वर्तमान मूलभूत संरचना के सर्वधन को अनुमोदित करता है।

2.7.1.1 प्रसारण नेटवर्क आयोजना

2014-15 से 2018-19 के दौरान कंपनी द्वारा योजनाबद्ध एवं उपलब्धि/पूर्ण किए गए नए सब-स्टेशनों के अनुसार प्रसारण क्षमता निम्नानुसार है:

तालिका 2.2: योजनाबद्ध एवं पूर्ण किए गए सब-स्टेशनों की संख्या के वर्ष-वार विवरण

वर्ष	वर्ष के आरंभ में निर्माणाधीन एस.एस. की संख्या	वर्ष के दौरान निर्माण के लिए योजनाबद्ध अतिरिक्त एस.एस. की संख्या	समय समाप्त होने पर वर्ष के दौरान पूरा होने के लिए निर्धारित एस.एस. की संख्या	वर्ष के दौरान पूर्ण हुए एस.एस. की संख्या	अनुसूची के अनुसार वर्ष के अंत में पूर्ण न हुए एस.एस. की संख्या
1	2	3	4	5	6=4-5
2014-15	34	4	27	5	22
2015-16	33	4	28	9	19
2016-17	28	15	19	5	14
2017-18	38	3	15	8	7
2018-19	33	4	16	5	11
कुल		30		32	

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

यह अवलोकित किया गया कि

- 2014-19 के दौरान चालू किए गए सभी 32 एस.एस. उन 34 एस.एस. में से थे, जो 2014-15 के आरंभ में निर्माणाधीन थे। इन 34 में से दो⁹ एस.एस. को अभी पूरा किया जाना था।

⁸ (i) इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.), (ii) ऋण पर ब्याज और वित्तपोषण प्रभार, (iii) कार्यशील पूंजी पर ब्याज, (iv) मूल्यहास, (v) संचालन और रखरखाव खर्च, (vi) विदेशी विनिमय दर भिन्नता, (vii) आय पर करों को छोड़कर, सभी वैधानिक उद्ग्रहण एवं कर।

⁹ रोज-का-मियो और एच.एस.आई.आई.डी.सी. राई।

- 2014-19 के दौरान योजनाबद्ध 30 एस.एस. में से केवल 20 एस.एस. के संबंध में कार्य प्रदान किया गया था। प्रदान किए गए 20 कार्यों में से नौ एस.एस. की निर्धारित पूर्णता तिथि 31 मार्च 2019 तक थी।

योजनाबद्ध उपलब्धियों में कमी के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने मुख्य कारणों के रूप में कार्यों के प्रदानगी और निष्पादन में देरी दर्शाई।

नीचे दी गई तालिका 2014-19 के दौरान सब-स्टेशनों के पूरा होने में देरी को दर्शाती है:

तालिका 2.3: सब-स्टेशनों की पूर्णता में देरी

महीनों में देरी	सब-स्टेशनों की संख्या
कोई देरी नहीं	2
6-11	4
12-23	5
24 एवं अधिक	21
कुल	32

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित और 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.4: एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा प्रस्तावित एवं किए गए और एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत वर्ष-वार पूंजीगत व्यय

वर्ष	प्रस्तावित पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	किया गया पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	अनुमत पूंजीगत व्यय से किए गए पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता
2014-15	1,296.30	833.70	629.68	75.52
2015-16	1,501.70	774.40	468.78	60.53
2016-17	1,036.20	718.20	462.20	64.36
2017-18	929.90	733.20	364.00	49.65
2018-19	1,131.58	792.10	788.50	99.55
कुल	5,895.68	3,851.6	2,713.16	70.44

स्रोत: एच.ई.आर.सी. के टैरिफ आदेशों से संकलित।

कंपनी परियोजना के खराब कार्यान्वयन के कारण पांच वर्षों में किसी भी वर्ष में एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत के अनुसार पूंजीगत व्यय नहीं कर सकी जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (मई 2020) कैपेक्स के कम उपयोग होने के विभिन्न कारण बताए जैसे कि भूमि का निर्धारण न होना, राइट ऑफ वे के मामले, वन, एन.एच.ए.आई. और रेलवे जैसे विभागों से मंजूरी तथा ठेकेदारों के खराब क्रियान्वयन के कारण परियोजनाओं के निष्पादन में देरी। हालांकि, तथ्य यह है कि अधिक समय लगने के परिणामस्वरूप अनुवर्ती वित्तीय प्रभाव उत्पन्न होंगे।


2.7.2 परियोजना कार्यान्वयन

2.7.2.1 निर्माण कार्यो की प्रदानगी एवं निष्पादन में देरी


कंपनी को अपनी संबद्ध प्रसारण लाइनों के साथ-साथ नए/संवर्धित सब-स्टेशनों के कार्यो की योजना और क्रियान्वयन करना होता है। एक सब-स्टेशन के निर्माण को कंपनी द्वारा डिस्कॉम और एच.वी.पी.एन.एल. के संबंधित फील्ड यूनिट द्वारा संयुक्त प्रस्ताव के आधार पर मंजूरी दी जाती है। एक सब-स्टेशन और लाइनों के निर्माण में सामान्यतः 12 से 15 माह का समय लगता है। सब-स्टेशन और इसकी संबद्ध लाइनों के पूर्ण होने में समय अंतराल की स्थिति में, संबद्ध परिसंपत्तियों के पूरा होने तक पूर्ण हो चुकी संपत्तियां उपयोग किए बिना रहती हैं। एच.ई.आर.सी. विनियमों के अनुसार एक एस.एस. को चालू करने/एस.एस. और संबद्ध लाइनों दोनों को चालू किए बिना प्रसारण पर पूर्ण हिस्से के संबंध में मूल्यहास और इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) के लाभ कंपनी को टैरिफ के माध्यम से मिलने शुरू होते हैं, यद्यपि उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति के माध्यम से लाभान्वित नहीं किया जाता है।

नीचे दिए गए चार्ट 2014-19 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए एस.एस. और लाइनों के निर्माण में देरी और बेमेल की सीमा को दर्शाते हैं:

चार्ट 2.3: सब-स्टेशनों के निर्माण में देरी



चार्ट 2.4: प्रसारण लाइनों के निर्माण में देरी



चार्ट 2.5: सब-स्टेशनों और लाइनों को चालू करने में समय अंतराल



इस संबंध में, यह अवलोकित किया गया कि:

- कंपनी ने 2014-19 के दौरान 32 परियोजनाओं (एस.एस. और उनकी संबद्ध प्रसारण लाइनों को मिलाकर) को चालू किया, जिनमें से 30 को 3 से 98 माह के मध्य की देरी के साथ पूरा किया गया। लेखापरीक्षा ने प्रदानगी से पहले और प्रदानगी के बाद के चरणों पर देरी का विश्लेषण किया और पाया कि तीन से 65 माह¹⁰ की देरी प्रदानगी से पहले के चरण में थी, एक से 62 माह की देरी निष्पादन के दौरान थी जैसाकि **परिशिष्ट 3** में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया था।
- एस.एस. और प्रसारण लाइनों के विलंबित और एक साथ पूरा न होने के मुख्य कारण थे (i) पूर्व-बोली गतिविधियों की पूर्णता के बिना कार्यो को शुरू करना जैसे कि विस्तृत सर्वेक्षण करना, बाधा रहित कार्य स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, ले-आउट ड्राइंग्स को अंतिम रूप दिए बिना कार्यो की प्रदानगी तथा वन मंजूरी के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में देरी और (ii) ठेकेदारों द्वारा अनुबंध प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित न करना।

¹⁰

प्रदानगी से पहले प्रक्रिया के लिए छः माह की अनुमति देने के बाद।

इस तरह की देरी के परिणामस्वरूप, देरी के साथ पूर्ण की गई ₹ 950.18 करोड़ के मूल्य वाली प्रसारण संपत्तियों पर ₹ 228.02 करोड़¹¹ की राशि के आर.ओ.ई. और मूल्यहास की वसूली आस्थगित थी (परिशिष्ट 3)।

- इसके अतिरिक्त, कंपनी 32 प्रसारण परियोजनाओं में से 26 में सब-स्टेशनों और संबद्ध प्रसारण लाइनों को एक साथ पूरा करने को सुनिश्चित नहीं कर सकी। एस.एस. और उनकी संबद्ध लाइनों के पूरा होने का समय अंतराल एक और 75 माह¹² (परिशिष्ट 3) के मध्य रहा, जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध कार्यों के पूरा होने तक पूर्ण परिसंपत्तियों का उपयोग नहीं किया गया। हालांकि, इन परिसंपत्तियों का उपयोग संबद्ध परिसंपत्तियों के पूरा न होने के कारण नहीं किया जा सका, एच.ई.आर.सी. ने मूल्यहास और उस पर इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) के कारण टैरिफ की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य उपभोक्ताओं पर बिना किसी लाभ के ₹ 43.83 करोड़ का अनावश्यक भार¹³ पड़ा (संदर्भ **परिशिष्ट 3**)। लेकिन इसी तरह के मामले में जैसाकि अनुच्छेद 2.7.2.4 में चर्चा की गई है, सी.ई.आर.सी. ने संबद्ध परिसंपत्ति के पूरा न होने के कारण टैरिफ की अनुमति नहीं दी।
- सब-स्टेशनों/लाइनों के निर्माण में देरी और बेमेल को भी कंपनी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा¹⁴ के दौरान इंगित किया गया था। उसमें समान प्रकृति के उदाहरण देखे गए थे और सब-स्टेशन/लाइनें अप्रयुक्त रही थी।

विद्युत निकासी पर सब-स्टेशनों को देरी से चालू करने के प्रभाव का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा ने 2014-19 के दौरान चालू किए गए 32 एस.एस. में से 12¹⁵ के संबंध में अभिलेखों की नमूना-जांच की। यह अवलोकित किया गया था कि इनमें से नौ सब-स्टेशन इस प्रकार के हैं, जिनमें पहले से ही विद्यमान प्रणाली विलंब से चालू करने की अवधि के दौरान ओवरलोडिड थी, जिसके कारण कंपनी ने अपने सिस्टम की आउटेज/क्षति को रोकने के लिए डिस्कॉम पर बिजली की कटौती की। इन विद्युत कटौतियों के परिणामस्वरूप ₹ 38.25 करोड़¹⁶ मूल्य की 140.86 एम.यू. विद्युत की गैर-निकासी¹⁷ हुई यद्यपि यह उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, प्रसारण योजना और सुरक्षा मानकों के संबंध में गुणवत्ता की विद्युत (अर्थात् सुचारु और बाधा

¹¹ विलंब अर्थात् निर्धारित पूर्णता तिथि से वास्तविक पूर्णता तिथि की अवधि के लिए 10.28 प्रतिशत (एच.ई.आर.सी. द्वारा परिसंपत्ति की 50 प्रतिशत लागत पर 10 प्रतिशत रिटर्न पर आर.ओ.ई. की अनुमति दी जाती है, अर्थात् 5 प्रतिशत पर और मूल्यहास 5.28 प्रतिशत पर) पर परिकल्पित।

¹² संबद्ध सब-स्टेशन या लाइन को चालू करने के लिए तीन माह की अनुमति देने के बाद।

¹³ कंपनी द्वारा अनुसरित और एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत लेखांकन प्रणाली के अनुसार एक सब-स्टेशन या लाइन को इसके संबद्ध एस.एस./लाइनों के पूरा होने के बावजूद पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यहास एवं इक्विटी पर रिटर्न का लाभ टैरिफ के माध्यम से कंपनी को मिलना शुरू होता है।

¹⁴ 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

¹⁵ 220 के.वी. एस.एस. आर.जी.ई.सी., एच.एस.आई.आई.डी.सी. राय, बरही, भड्डोसोट्टर, हुकमावली, सेक्टर-20 गुरुग्राम, पिंजौर, ए4 फरीदाबाद, सेक्टर-6 सोनीपत, सेक्टर-33 गुरुग्राम, सेक्टर-57 गुरुग्राम और 132 के.वी. एस.एस. बारसी।

¹⁶ संबंधित वर्षों, जिनमें बिजली की गैर-निकासी के दृष्टांत देखे गए थे, के लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित न्यूनतम प्रति यूनिट खुदरा आपूर्ति दरों (₹ 2.70 और ₹ 2.98 के मध्य) पर परिकल्पित।

¹⁷ गैर-निकासी का अर्थ है उपभोक्ताओं को बिजली की गैर-आपूर्ति, यद्यपि आपूर्ति के लिए यह ग्रिड में उपलब्ध थी।

मुक्त विद्युत) की आपूर्ति का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका। शेष तीन सब-स्टेशनों¹⁸ के मामले में विद्युत आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उन क्षेत्रों में विद्युत की मांग में कमी के कारण परिकल्पित भार वृद्धि नहीं हुई।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि प्रदानगी से पहले की गतिविधियों के लिए समयसीमा अब निदेशक मंडल द्वारा अगस्त 2019 में अनुमोदित की गई है। एस.एस. और लाइनों के विलंबित और असमकालीन कमीशन के बारे में प्रबंधन ने बताया कि यह मुख्य रूप से ठेकेदारों के खराब निष्पादन और राइट ऑफ वे समस्याओं के कारण हुआ। कंपनी ने चूककर्ता ठेकेदारों के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की।

सब-स्टेशनों और संबद्ध लाइनों के निर्माण पर विशिष्ट अभ्युक्तियों के साथ उन मामलों में, जहां महत्वपूर्ण विलंब एवं बेमेल अवलोकित किए गए, पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.7.2.2 सोनीपत एवं राई में 220 के.वी. सब-स्टेशनों/लाइनों का उपयोग न करना

220 के.वी. सब-स्टेशन राई के लिए बनाई गई 220 के.वी. लाइनें सब-स्टेशन के निर्माण न होने के कारण शुरू से ही निष्क्रिय रहीं। 220 के.वी. सब-स्टेशन, सेक्टर 6, सोनीपत से संबद्ध लाइनों के साथ डाउनस्ट्रीम प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय रहा। कंपनी ने सेक्टर 6, सोनीपत और राई में दो 220 के.वी. सब-स्टेशनों के निर्माण को अनुमोदन दिया (जुलाई 2009)। कार्य के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं (जुलाई 2012) और ₹ 48.38 करोड़ के लिए प्रदान की गईं (जनवरी 2014)।

- राई सब-स्टेशन की साइट को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के बावजूद, दो संबद्ध लाइनों (अर्थात्, दीपालपुर-राय और झाजी-राय) के निर्माण के लिए दो अलग-अलग अनुबंध प्रदान किए गए थे (मार्च 2012 और जनवरी 2014)। लाइनें क्रमशः ₹ 42.42 करोड़ और ₹ 17.90 करोड़ की लागत से चालू की गईं थीं (मार्च 2016 और अक्टूबर 2017)। दोनों में से केवल दीपालपुर-राई लाइन का आंशिक रूप से मार्च 2019 से उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार, इन लाइनों के निर्माण पर ₹ 60.32 करोड़ का निवेश मार्च 2019/दिसंबर 2019 तक अप्रयुक्त रहा, जिसने उपभोक्ताओं पर ₹ 17.07 करोड़¹⁹ का भार डाला क्योंकि कंपनी को इन बेकार लाइनों पर टैरिफ के माध्यम से मूल्यहास और आर.ओ.ई. को वसूल करने की अनुमति दी गई थी। प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि भूमि की उपलब्धता उसके नियंत्रण में नहीं थी। इस प्रकार, जब भूमि उपलब्ध नहीं थी, तो कार्य प्रदान नहीं किया जाना चाहिए था।
- ₹ 52.31 लाख का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस भी जारी किया गया था (नवंबर 2014), हालांकि राई एस.एस. के लिए साइट उपलब्ध नहीं थी। अग्रिम को बाद में 22 माह के बाद कार्य के अन्य भाग के लिए ठेकेदार के बिलों से समायोजित किया गया था (सितंबर 2016), जब राई सब-स्टेशन के काम को ठेकेदार के कार्य के दायरे से बाहर रखा गया था जिस पर कंपनी ने ₹ 10.41 लाख²⁰ की लागत का भुगतान

¹⁸ (i) सेक्टर 6 सोनीपत, (ii) सेक्टर 57 गुरुग्राम और (iii) सेक्टर 33 गुरुग्राम।

¹⁹ (₹ 42.42 करोड़ x 10.28 प्रतिशत x मार्च 2019 तक 3 वर्ष) + (₹ 17.90 करोड़ x 10.28 प्रतिशत x दिसंबर 2019 तक 26 माह)।

²⁰ वर्ष 2014-15 के लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत कार्यशील पूंजी पर 10.85 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 22 महीनों के लिए ₹ 52.31 लाख पर परिकल्पित।

किया था। चूंकि कंपनी ने एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत अपनी कार्यशील पूंजी सीमा समाप्त कर दी थी, इसलिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज के किसी भी अन्य दावे को टैरिफ में अनुमति नहीं दी गई।

- 220 के.वी. सब-स्टेशन सेक्टर 6, सोनीपत, जिसकी पूर्णता मई 2015 में निर्धारित की गई थी, जून 2017 में (जून 2017 तक भुगतान: ₹ 19.23 करोड़) ही चालू किया जा सका, जबकि संबंधित लाइनों को दिसंबर 2016 में ₹ 4.82 करोड़ की लागत से चालू किया गया था। डाउनस्ट्रीम लोड की अनुपलब्धता, जिसे बिजली वितरण उपयोगिता द्वारा इस सब-स्टेशन के पूरा होने में देरी के कारण अन्य सब-स्टेशन के लिए डाइवर्ट किया जाना था, के कारण सब-स्टेशन और संबंधित लाइनों को क्रमशः 27 माह और 36 माह (दिसंबर 2019 तक) के लिए उपयोग करने के लिए नहीं रखा गया है। जैसा कि एच.ई.आर.सी. कंपनी को वास्तविक उपयोग के बावजूद क्षमता के आधार पर आर.ओ.ई. को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है, राज्य उपभोक्ताओं पर इन निष्क्रिय लाइनों और सब-स्टेशन के लिए ₹ 6.43 करोड़²¹ का भार पड़ा है। यदि कंपनी वितरण उपयोगिता के समन्वय में काम करती, तो सब-स्टेशन और लाइनों का उपयोग किया जा सकता था।

2.7.2.3 फरीदाबाद और बल्लभगढ़ क्षेत्र में 66 के.वी. लाइनों का निर्माण

कंपनी ने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ क्षेत्र में 66 के.वी. की आठ प्रसारण लाइनों के निर्माण कार्य ₹ 28.57 करोड़ की लागत पर मैसर्स जी.ई.टी. विद्युत लिमिटेड चेन्नई को प्रदान किया (मार्च 2011)। कार्य 4 फरवरी 2012 तक पूर्ण किया जाना था। हालांकि, कार्य 5 साल 10 माह की देरी के बाद दिसंबर 2017 में पूर्ण हुआ। यह देखा गया कि:

- मैसर्स जी.ई.टी. विद्युत लिमिटेड चेन्नई ने निर्धारित पूर्णता तिथि तक भी कार्य शुरू नहीं किया, जिसके लिए अभिलेख पर कोई कारण नहीं पाया गया। कंपनी ने कार्य (किए गए कार्य का कुल मूल्य ₹ 18.34 करोड़) की निराशाजनक प्रगति को देखते हुए निर्धारित पूर्णता तिथि से दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद मार्च 2014 में अनुबंध को समाप्त कर दिया और शेष कार्य को फर्म के जोखिम और लागत पर पूरा करने का निर्णय लिया।
- कंपनी ने मैसर्स श्याम इंडस पॉवर सॉल्यूशन लिमिटेड को ₹ 16.70 करोड़ में शेष कार्य (अनुमानित लागत ₹ 9.12 करोड़) की प्रदानगी (जनवरी 2015) में आठ माह का समय लिया। प्रदानगी लागत अनुमानित दरों (₹ 9.12 करोड़) की तुलना में 84 प्रतिशत और उच्चतर दरों के औचित्य के बिना मैसर्स जी.ई.टी. की पुरानी खरीद आदेश दर (₹ 10.23 करोड़) से 64 प्रतिशत अधिक थी। यह देखा गया कि कंपनी ने ऐसे मामलों में दरों की उचितता पर विचार करने के लिए कोई नीति नहीं अपनाई है, जैसाकि इसकी सहभागी कंपनियों (यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल.) द्वारा अपनाई गई है, जिनमें अपेक्षित है कि यदि उद्धृत दरें अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक हैं तो दरों को उचित नहीं माना जाता है और बोलियों को पुनः आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार, दरों के औचित्य पर विचार करने के लिए किसी भी नीति को न अपनाने, उच्चतर दरों पर कार्य की प्रदानगी के कारण मैसर्स जी.ई.टी.

²¹

36 माह के लिए ₹ 4.82 करोड़ और 30 माह के लिए ₹ 19.23 करोड़ पर 10.28 प्रतिशत की दर पर परिकलित।

से ₹ 5.44 करोड़²² के जोखिम और लागत की वसूली के लिए कंपनी के पास कोई वित्तीय कवरेज उपलब्ध नहीं था क्योंकि कंपनी के पास उपलब्ध निष्पादन बैंक गारंटी (₹ 2.86 करोड़) और रिटेंशन मनी (₹ 1.52 करोड़) को पहले ही समायोजित किया जा चुका है।

- शेष कार्य जो जनवरी 2016 तक पूरा होना था, 22 माह से अधिक की देरी से दिसंबर 2017 में ही चालू किया जा सका। इस देरी के कारणों में मार्ग योजना के अनुमोदन, वन मंजूरी और एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा सामग्री की आपूर्ति में असाधारण देरी थी।

प्रबंधन ने विभिन्न अनुमोदनों के लिए अनुसरित विस्तृत प्रक्रिया को स्पष्ट किया (मई 2020) लेकिन देरी के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया और उच्चतर दरों पर कार्य पुनः प्रदान किया।

2.7.2.4 पी.जी.सी.आई.एल. के 800 के.वी. हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सब-स्टेशन, भादसों, कुरुक्षेत्र से बिजली निकासी लाइनों का निर्माण

कंपनी ने आठ समर्पित बे और दो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मरों²³ को शामिल करते हुए एच.वी.पी.एन.एल. के लिए समर्पित बिजली निकासी प्रणाली पी.जी.सी.आई.एल.²⁴ द्वारा तैयार किए जाने के लिए 800 के.वी., एच.वी.डी.सी.²⁵ सब-स्टेशन, भादसों, कुरुक्षेत्र से वर्तमान 220 के.वी., पेहोवा-कौल और बसतारा-कौल डी./सी. (डबल सर्किट) लाइनों के प्रत्येक के एक सर्किट के लूप-इन लूप-आऊट (लिलो²⁶) से निहित डाउनस्ट्रीम लाइनों के निर्माण को अनुमोदन दिया। हालांकि पी.जी.सी.आई.एल. ने मार्च 2017 में अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन कंपनी सितंबर 2019 में 30 महीने की देरी के बाद निकासी लाइनों को पूरा कर सकी।

यह अवलोकित किया गया था कि:

- कंपनी ने मैसर्ज आइसोलक्स इंजेनियरिया एस.ए. स्पेन को अनुमोदन की तारीख से 33 माह की अवधि के बाद ₹ 40.32 करोड़ हेतु लाइनों के निर्माण के कार्य को 18 माह अर्थात् जनवरी 2018 तक पूरा किए जाने के लिए अनुमोदन दिया (जुलाई 2016)।
- फर्म का निष्पादन शुरू से ही पिछड़ा होने के बावजूद कंपनी ने फर्म के विरुद्ध समय पर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्य के पूर्ण बंद होने (अप्रैल 2017) के छः माह बाद

²² उच्चतर दरों पर शेष कार्य की मांग के कारण चूककर्ता ठेकेदार से वसूलनीय अतिरिक्त लागत (शेष कार्य की वास्तविक पूर्णता लागत में ठेकेदार को वास्तविक भुगतान, कंपनी द्वारा आपूरित सामग्री और अन्य ठेकेदारों के माध्यम से किए गए कार्य शामिल हैं (₹ 20.05 करोड़) - शेष कार्य की लागत (₹ 10.23 करोड़) - निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण द्वारा वसूल की गई राशि (₹ 2.86 करोड़) और पहले ही वसूल की गई रिटेंशन मनी (₹ 1.52 करोड़)।

²³ उच्च वोल्टेज स्तर को आगे प्रसारण/वितरण के लिए कम वोल्टेज स्तर तक ले जाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है।

²⁴ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम)।

²⁵ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट।

²⁶ लूप-इन लूप-आऊट - यदि दो मौजूदा एस.एस. के बीच एक नया एस.एस. डाला जाता है, तो नए सम्मिलित एस.एस. के लिए प्रसारण लाइन को लिलो कहा जाता है या जब एक सब-स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन के पास से गुजरने वाली प्रसारण लाइन का उपयोग इसे टैप करने के लिए किया जाता है, तो उपयोग की जाने वाली प्रणाली को लिलो कहा जाता है।

अक्टूबर 2017 में, अर्थात् अनुबंध की तारीख से 14 माह की अवधि के बाद, अनुबंध समाप्त कर दिया गया था।

- कंपनी ने शेष कार्य का आकलन करने के लिए पांच माह का समय लिया और सितंबर 2019 की अनुबंध पूर्ण होने की तारीख के साथ ₹ 46.60 करोड़ के लिए चूककर्ता फर्म के जोखिम एवं लागत पर अनुबंध प्रदान किया (मार्च 2018)। समाप्ति में देरी के कारण लागत ₹ 6.61 करोड़²⁷ से अधिक हो गई। हालांकि लाइनें पूरी हो चुकी हैं (सितंबर 2019) और सक्रिय, अनुबंध के अनुसार ₹ 6.96 करोड़²⁸ (पुनःप्रदानगी मूल्य पर आधारित) की जोखिम एवं लागत राशि अभी तक (फरवरी 2020) वसूल नहीं की जा सकी।
- अक्टूबर और दिसंबर 2016 में फर्म को दिए गए ₹ 4.03 करोड़ का ब्याज वाला अग्रिम बैंक गारंटी के नकदीकरण द्वारा वसूल किया गया तथापि, ₹ 41.76 लाख का ब्याज वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि कंपनी ने बैंक गारंटी की राशि में ब्याज शामिल करना सुनिश्चित नहीं किया था।
- पी.जी.सी.आई.एल. की परिसंपत्तियों के हिस्से के संबंध में टैरिफ के लिए पी.जी.सी.आई.एल. के दावे पर चर्चा करते समय (टैरिफ ऑर्डर दिनांक 22 फरवरी 2018) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) ने उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए टैरिफ के लिए इनकार कर दिया (जैसा कि अनुच्छेद 2.7.2.1 में संदर्भित है)। तथापि, इसने निर्देश दिया कि पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा निर्माण अवधि के दौरान वहन किए गए ब्याज एवं आकस्मिक व्यय²⁹, निकासी लाइनों के पूरा होने (सितंबर 2019) तक कंपनी द्वारा वहन किए जाने चाहिए।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि जोखिम एवं लागत राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.7.2.5 220 के.वी. सब-स्टेशन रोज-का-मियो और संबद्ध लाइनों के निर्माण में देरी

कंपनी ने 220 के.वी. सब-स्टेशन सैक्टर 72, गुरुग्राम से रंगला राजपुर तक संबद्ध लिलो लाइन के साथ रोज-का-मियो पर 220 के.वी. गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन के निर्माण को अनुमोदन दिया (अप्रैल 2013)। कंपनी ने जून 2015 तक निर्धारित पूर्णता के साथ सब-स्टेशन (फरवरी 2014) और लाइनों (जनवरी 2014) के लिए अलग-अलग निर्माण कार्य प्रदान किए। हालांकि, सब-स्टेशन और लाइनें आज (दिसंबर 2019) तक पूरी नहीं हो सकीं।

यह अवलोकित किया गया था कि:

- कंपनी ने जून 2015 में पूर्णता समय-सीमा के साथ ₹ 57.35 करोड़ की लागत पर मैसर्स आइसोलक्स इंजेनियरिंग एस.ए. स्पेन को सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रदान किया (फरवरी 2014)। ठेकेदार को नवंबर 2015 तक बाधारहित स्थल प्रदान नहीं किया जा सका। फर्म का निष्पादन खराब था और इसने फरवरी 2017 में कार्य

²⁷ पुनःप्रदानगी लागत ₹ 46.60 करोड़ - ₹ 39.99 करोड़ शेष कार्य की लागत।

²⁸ कंपनी द्वारा यथा दावा की गई उच्च दरों पर शेष कार्य की मांग के कारण चूककर्ता ठेकेदार से वसूलनीय अतिरिक्त लागत।

²⁹ पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा एच.वी.पी.एन.एल. से अब तक (अप्रैल 2020) राशि का दावा नहीं किया गया है।

बंद कर दिया। प्रदानगी से तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद अनुबंध को समाप्त कर दिया गया (अगस्त 2017)।

- कंपनी ने मैसर्ज आइसोलक्स पर ₹ 42.50 करोड़ की जोखिम और लागत पर शेष कार्य की प्रदानगी (मार्च 2019) में 19 माह का समय लिया। कार्य पूर्ण होना शेष है (दिसंबर 2019)।
- संबद्ध लाइनों के निर्माण के लिए कंपनी ने एक विषय सहित छः प्रसारण लाइनों के निर्माण के लिए अनुबंध मैसर्ज इन्सटालैसियोन्स इनाबेंसा, स्पेन को ₹ 106.65 करोड़ की लागत पर प्रदान किया (जनवरी 2014)। लेटर ऑफ क्रेडिट (एल.सी.) की ओपनिंग में विवाद और खराब प्रगति के कारण 16 माह की चूक के बाद अनुबंध को रद्द कर दिया गया (जून 2015)।
- शेष कार्य ₹ 84.50 करोड़ की लागत पर मैसर्ज आइसोलक्स इंजेनियरिया एस.ए., स्पेन (वही फर्म जिसे उप-स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया था) को 13 माह की देरी के बाद प्रदान कर दिया गया (अगस्त 2016)। इस अनुबंध को भी रद्द कर दिया गया (अगस्त 2017) क्योंकि मैसर्ज आइसोलक्स ने अपनी खराब आर्थिक हालत के कारण कार्य शुरू नहीं किया था। यह अवलोकित किया गया था कि कंपनी ने अन्य देशों में लंबित प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में उनकी गतिशील परिसंपत्तियों के बारे में विचार किए बिना मैसर्ज आइसोलक्स को कार्य प्रदान कर दिया।
- कंपनी को फिर से 22 माह लगे और ₹ 107.90 करोड़ की लागत पर शेष कार्य (विषय प्रसारण लाइन सहित) प्रदान कर दिया (जुलाई 2019) जो कि प्रगति अधीन है (दिसंबर 2019)।
- सब-स्टेशन के पूरा होने में देरी के कारण ₹ 27.02 करोड़³⁰ के परिकल्पित लाभ की वसूली को आस्थगित कर दिया गया।

इस प्रकार, आयोजना अनुमोदन के छः वर्षों के पश्चात् भी उक्त सब-स्टेशन और प्रसारण लाइन अभी तक पूर्ण नहीं हुई (दिसंबर 2019)।

2.7.2.6 खतरनाक लाइनों की क्लीयरेंस न होना

केंद्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा एवं बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 विनिर्दिष्ट करता है कि विभिन्न प्रकार की प्रसारण लाइनों में न्यूनतम वर्टिकल/होरीजेंटल क्लीयरेंस/अंतर रखा जाए। यह अवलोकित किया गया था कि जब कंपनी के प्रसारण जोन³¹, पंचकूला में किसी प्रसारण लाइन की खतरनाक के रूप में पहचान नहीं की गई थी, प्रसारण प्रणाली (टी.एस.) जोन हिसार में 27 लाइनें उपर्युक्त नियमों के अनुसार सांविधिक क्लीयरेंस के उल्लंघन के हिसाब से खतरनाक घोषित की गई थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि कंपनी ने उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को नोटिस जारी किए थे किंतु इस तरह के अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से समन्वय करने में विफल रही।

³⁰ जून 2015 से दिसंबर 2019 तक 55 माह के लिए 10.28 प्रतिशत की दर पर ₹ 57.35 करोड़ पर परिकल्पित।

³¹ कंपनी के पंचकूला और हिसार नामक दो प्रसारण जोन हैं, पंचकूला में करनाल, पंचकूला एवं रोहतक परिमंडल शामिल हैं और हिसार में गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार परिमंडल शामिल हैं।

गत पांच वर्षों के दौरान 10 घातक और 42 अघातक हादसे³² सूचित किए गए और कंपनी ने ₹ 43.07 लाख के मुआवजे का भुगतान किया, जिसे प्रासंगिक क्लियरेंस नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करके जीवन बचाने के अतिरिक्त न्यूनतम किया जा सकता था। चूंकि क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रसारण लागत का हिस्सा था, इसलिए कंपनी द्वारा वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के कारण उपभोक्ताओं पर अनुचित रूप से भार डाला गया।


एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि नए भवन/संरचनाएं प्रसारण लाइनों के निर्माण के बाद आती हैं। कंपनी के पास कोई कानूनी शक्ति नहीं थी और अवैध निर्माणों को हटाने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह देखा गया कि प्रबंधन, स्थानीय प्राधिकारियों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय नहीं कर सका।

2.8 प्रसारण प्रणाली और ग्रिड प्रबंधन का निष्पादन

2.8.1 उच्च प्रसारण लागत

सब-स्टेशन का निर्माण करने से पहले, लोड वृद्धि और भविष्य में मांग की वृद्धि के साथ-साथ वोल्टेज नियमों की अनुमति सीमा पर विचार किया जाता है, ताकि सब-स्टेशन से प्राप्त होने वाले प्रत्याशित भौतिक और वित्तीय लाभों को परिकल्पित किया जा सके और न्यूनतम प्रसारण लागत के लिए अनावश्यक व्यय का परिहार किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने कंपनी की प्रति यूनिट प्रसारण लागत की गत पांच वर्षों के लिए पड़ोसी राज्यों³³ पंजाब और राजस्थान में प्रसारण उपयोगिताओं के साथ तुलना³⁴ की, जैसा नीचे दिया गया है:



स्रोत: संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोगों के संबंधित वर्षों के टैरिफ आदेशों से संकलित।

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि कंपनी की प्रसारण लागत सभी तीन राज्य प्रसारण सेवाओं के मध्य अधिकतम थी। पंजाब स्टेट प्रसारण कारपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की प्रसारण लागतों की तुलना में कंपनी की प्रसारण लागत 2014-19 के दौरान क्रमशः 43 से 89 प्रतिशत और शून्य से 24 प्रतिशत उच्चतर थी।

³² पंचकुला टी.एस. जोन में चार घातक और 17 साधारण हादसे और हिसार टी.एस. जोन में छः घातक और 25 साधारण हादसे।

³³ पंजाब की प्रसारण प्रणाली में 132 के.वी. और उससे ऊपर के संस्करण शामिल हैं; हरियाणा की प्रसारण प्रणाली में 66 के.वी. और उससे ऊपर के शामिल हैं; राजस्थान में 66 के.वी. प्रसारण प्रणाली नहीं है।

³⁴ तुलना एक जैसे भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित एवं एक जैसे मांग पैटर्न वाले प्रदेशों के बीच की गई है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी द्वारा प्रसारण लागत को कम किया जा सकता है:

- परियोजना लागत को कम करने के लिए सब-स्टेशनों और प्रसारण लाइनों को समय पर चालूकरण सुनिश्चित करना क्योंकि परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के परिणामस्वरूप अधिक लागत, अधिक ब्याज भार और प्रशासनिक व्यय के कारण लागत अधिक हो जाती है (पैरा 2.7.2.1)।
- झज्जर केटी ट्रांसको प्राइवेट लिमिटेड (जे.के.पी.टी.एल.) को प्रोत्साहन भुगतान पर, ओ.पी.जी.डब्ल्यू. तारों को बिछाने, सब-स्टेशन ऑटोमेशन स्टेशन (एस.ए.एस.) के एकीकरण और ट्रांसफार्मरों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से मरम्मत और रखरखाव लागत को कम करके और उनकी क्षति दर को नियंत्रित करके अतिरिक्त लागत को नियंत्रित करना {अनुच्छेद 2.8.2, 2.8.4, 2.8.5 (ख) और (ग)}।
- प्रसारण लागत का हिस्सा बनने वाले पूंजीगत व्यय पर ब्याज को कम करने के लिए विश्व बैंक के सस्ते ऋण का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 2.10.2) ।
- रिएक्टिव ऊर्जा मुआवजे के भुगतान से बचने के लिए दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंकों की स्थापना/प्रतिस्थापन (अनुच्छेद 2.8.6.2)।
- पूर्ववर्ती वर्षों में टैरिफ के माध्यम से पहले ही दावा किए गए मूल्यहास तथा ब्याज और उनकी बाद की गैर-आवश्यकता/छूट के विरुद्ध उपभोक्ता को मिलने वाले अग्रिम के लाभ (अनुच्छेद 2.11.5 (क) और (ख))।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि राजस्थान में हरियाणा की तुलना में कृषि गतिविधि में खपत कम थी। हालाँकि प्रबंधन उच्चतर प्रसारण लागत के कारणों का विश्लेषण करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सहमत हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कृषि में बिजली की खपत का हिस्सा हरियाणा की बजाय राजस्थान में अधिक था। 2015-16 और 2016-17 के दौरान राजस्थान में यह क्रमशः 39.65 प्रतिशत और 41.86 प्रतिशत था, जबकि इसी अवधि के दौरान हरियाणा में यह 27.09 प्रतिशत और 28.14 प्रतिशत था।

2.8.2 प्रसारण क्षमता उपयोग

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) की प्रसारण आयोजना मानदंड नियमपुस्तक के अनुसार (जनवरी 2013), सब-स्टेशन में किसी भी ट्रांसफार्मर पर अधिकतम भार इसकी दरीय क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 20 प्रतिशत का मार्जिन भविष्य में भार वृद्धि का ध्यान रखने के लिए वांछित है। तालिका 2.5 चयनित परिमंडलों में 2014-19 के

दौरान ट्रांसफार्मर के उपयोग की सीमा को इंगित करती है:

तालिका 2.5: चयनित परिमंडलों में 2014-19 के दौरान विद्युत ट्रांसफार्मरों (पी.टी.) का वर्षवार उपयोग

वर्ष	परिमंडल का नाम	पी.टी. की संख्या और उनका उपयोग (प्रतिशत में)						कुल
		0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	100 से अधिक	
2014-15	हिसार	12	14	23	49	139	2	239
	गुरुग्राम	18	1	16	22	86	7	150
	रोहतक	5	11	19	27	43	1	106
	कुल	35	26	58	98	268	10	495
	कुल पी.टी. की प्रतिशतता	7.07	5.25	11.72	19.80	54.14	2.02	100.00
2015-16	हिसार	8	19	22	56	138	1	244
	गुरुग्राम	13	6	19	24	86	2	150
	रोहतक	2	9	19	32	46	1	109
	कुल	23	34	60	112	270	4	503
	कुल पी.टी. की प्रतिशतता	4.57	6.76	11.93	22.27	53.68	0.80	100.00
2016-17	हिसार	8	19	29	58	138	1	253
	गुरुग्राम	8	6	16	29	94	6	159
	रोहतक	4	8	21	33	48	1	115
	कुल	20	33	66	120	280	8	527
	कुल पी.टी. की प्रतिशतता	3.80	6.26	12.52	22.77	53.13	1.52	100.00
2017-18	हिसार	6	20	28	77	127	0	258
	गुरुग्राम	10	9	17	33	114	14	197
	रोहतक	4	6	19	30	55	0	114
	कुल	20	35	64	140	296	14	569
	कुल पी.टी. की प्रतिशतता	3.51	6.15	11.25	24.60	52.02	2.46	100.00
2018-19	हिसार	10	16	22	63	149	4	264
	गुरुग्राम	13	13	27	39	110	4	206
	रोहतक	6	8	15	28	63	0	120
	कुल	29	37	64	130	322	8	590
	कुल पी.टी. की प्रतिशतता	4.92	6.27	10.85	22.03	54.58	1.36	100.00

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि अधिकांश ट्रांसफार्मर की क्षमता ओवरलोडिंग थी, लेकिन कम उपयोगिता के मामले भी थे।

सब-स्टेशनों की ओवरलोडिंग

- 54 से 56 प्रतिशत ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग थे (80 प्रतिशत तथा उससे ऊपर इस्तेमाल करने पर)। नए सब-स्टेशनों की धीमी निर्माण गति (जैसा कि पहले ही अनुच्छेद 2.7.1.1 और 2.7.2.1 के अंतर्गत चर्चा की गई है) इस तरह की ओवरलोडिंग का मुख्य कारण थी, जो कि इस तथ्य से और पुष्ट होती है कि 2014-19 के दौरान ट्रांसफार्मरों की क्षमता दर एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत किए गए एक प्रतिशत के मानक

को पार कर गई। ट्रांसफार्मरों की क्षति दर 1.29 प्रतिशत और 2.97 प्रतिशत के मध्य रही जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 2.6: कुल और क्षतिग्रस्त विद्युत ट्रांसफॉर्मरों का वर्षवार विवरण

वर्ष	पी.टी. की औसत संख्या	क्षतिग्रस्त पी.टी. की संख्या	पी.टी. की क्षति दर	एक प्रतिशत के एच.ई.आर.सी. मानदंड से ऊपर क्षतिग्रस्त पी.टी. की संख्या	आर एंड एम व्यय (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2014-15	968	27	2.79	17	8.64
2015-16	1,011	30	2.97	20	9.48
2016-17	1,049	18	1.72	8	9.80
2017-18	1,083	14	1.29	3	8.48
2018-19	1,118	23	2.06	12	13.18

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

ट्रांसफार्मरों की ओवरलोडिंग और उच्च क्षति दर के परिणामस्वरूप उच्च मरम्मत एवं रखरखाव व्यय और इसके फलस्वरूप उच्च प्रसारण लागत होती है। पी.टी. की क्षति दर के मानदंडों का पालन न करने को पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में भी बताया गया था, जिसमें कंपनी ने आश्वासन दिया था कि उन्होंने सख्त अनुपालन और कार्यान्वयन के लिए नए निवारक रखरखाव कार्यक्रम और दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालांकि, कंपनी अभी भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।

- कंपनी के 400 के.वी. सब-स्टेशन किरोड़ी में 30 जून 2017 को एक 315 एम.वी.ए., 400/220 के.वी. विद्युत ट्रांसफार्मर (₹ 9.68 करोड़ मूल्य का) क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके स्थान पर नवादा सब-स्टेशन के स्पेयर ट्रांसफार्मर को लगा दिया गया था (अक्टूबर 2017)। लेकिन कंपनी ने क्षतिग्रस्त पी.टी. की मरम्मत के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की जो अभी भी मरम्मत किए बिना पड़ा हुआ था (सितंबर 2019)। चूंकि नवादा सब-स्टेशन से विपथित ट्रांसफॉर्मर को पी.जी.सी.आई.एल. से किराया आधार पर मई 2016 से स्थापित 250 एम.वी.ए. पी.टी., जो किराया देयता भी अर्जित कर रहा है, से बदलने के लिए रखा गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य के उपभोक्ताओं पर अनावश्यक रूप से ₹ 2.15 करोड़³⁵ का भार पड़ा है क्योंकि कंपनी ने टैरिफ के माध्यम से क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के लिए मूल्यहास और आर.ओ.ई. की वसूली जारी रखी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि इस क्षेत्र में निष्पादन के सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 2019-20 के दौरान ट्रांसफार्मर की क्षति दर 1.3 प्रतिशत थी और चालू वर्ष के लिए कंपनी ने 1 प्रतिशत का लक्ष्य नियत किया है। हालांकि, इसने क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में देरी पर कोई टिप्पणी नहीं की।

सब-स्टेशनों की कम लोडिंग

कंपनी ने ₹ 2.04 करोड़ की लागत से सेक्टर 15-II, गुरुग्राम में 66 के.वी. एस.एस. में 47.5 एम.वी.ए. (₹ 0.58 करोड़ की लागत पर मई 2015 में 16 एम.वी.ए. तथा ₹ 1.46 करोड़ की लागत पर सितंबर 2018 में 31.5 एम.वी.ए.) की अतिरिक्त क्षमता तैयार की जो

³⁵ मरम्मत के लिए 120 दिन (अर्थात् अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2019 तक) की अनुमति के बाद 26 माह के लिए ₹ 9.68 करोड़ पर 10.28 प्रतिशत की दर से परिकलित।

अप्रयुक्त रही। इसके अतिरिक्त, ₹ 12.32 करोड़ की लागत से जनवरी 2014 में 132 के.वी. गंगैचा जाट एस.एस. के विलंबित होने के कारण (मई 2011 में निर्धारित कमीशनिंग) डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपने दस 33 के.वी. एस.एस. में से पांच को अन्य एस.एस. से कनेक्ट किया। इसके परिणामस्वरूप, सब-स्टेशन का अभी तक (दिसंबर 2019) पूरी तरह से उपयोग नहीं जा सका और अधिकतम भार 24 से 44 प्रतिशत के मध्य रहा। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.77 करोड़ मूल्य का एक ट्रांसफॉर्मर चालू होने के बाद से अगस्त 2018 तक किसी लोड पर नहीं चल रहा था। कंपनी ने ₹ 9.63 करोड़ की लागत से नूंह में 66 के.वी. मोबाइल एस.एस. भी खरीदा (दिसंबर 2009), जो कमीशनिंग के बाद से सेवा से बाहर रहा। और 2015 से लगातार, जब यह क्षतिग्रस्त हो गया और आज तक (मार्च 2019) मरम्मत नहीं हुई है। चूंकि ट्रांसफार्मर पहले से ही पूंजीकृत था और कंपनी टैरिफ के माध्यम से आर.ओ.ई. और मूल्यहास अर्जित कर रही थी, इसके गैर-उपयोग ने उपभोक्ताओं पर ₹ 4.56 करोड़³⁶ का बोझ डाला। लोड की आवश्यकता के बिना एस.एस. (220 के.वी. एस.एस. बाटा) के निर्माण और अंतर्निहित प्रसारण प्रणाली की योजना के बारे में इसी तरह की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति भी कंपनी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल थी, जिसमें कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि प्रसारण प्रणाली की योजना बनाते समय उचित अध्ययन किया जाएगा। हालांकि, कंपनी प्रभावी रूप से अपनी प्रसारण प्रणाली आवश्यकता की योजना नहीं बना सकी।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि सेक्टर 15-II, गुरुग्राम में वृद्धि को अतिरेक और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया गया था, गंगैचा जाट सब-स्टेशन का कम उपयोग डी.एच.बी.वी.एन.एल. के कारण हुआ था, जिसने स्वीकृत लोड को समय पर शिफ्ट या कनेक्ट नहीं किया और मोबाइल एस.एस. की मरम्मत सितंबर 2019 में की गई थी।

उत्तर को उन तथ्यों के विरुद्ध देखा जा सकता है कि सेक्टर 15-II, गुरुग्राम में 12.5/16 एम.वी.ए. के संवर्धित ट्रांसफार्मरों में से एक को कभी भी लोड पर नहीं रखा जा सका। गंगैचा जाट एस.एस. का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका क्योंकि कंपनी की ओर से विलंब के कारण डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपना लोड अन्य एस.एस. में स्थानांतरित कर दिया और 2015-19 के दौरान मोबाइल एस.एस. के सेवा से बाहर रहने की टिप्पणियां प्रतीक्षित थीं।


2.8.3 प्रसारण प्रणाली उपलब्धता के लिए लक्ष्यों की अप्राप्ति

कंपनी एच.ई.आर.सी. द्वारा वर्ष-दर-वर्ष विनिर्दिष्ट नियामक वार्षिक प्रसारण प्रणाली उपलब्धता³⁷ (टी.एस.ए.) पर आधारित प्रसारण प्रभार वसूल करती है। 2014-19 के दौरान, यद्यपि कंपनी का टी.एस.ए. 2014-15 में 98.13 प्रतिशत से सुधरकर 2018-19 में 99.54 प्रतिशत हो गई थी, यह एच.ई.आर.सी. द्वारा पांच वर्षों में से तीन वर्षों में नियत लक्ष्य से कम रही। यह भी अवलोकित किया गया कि पूरी अवधि के दौरान कंपनी की

³⁶ सेक्टर 15 गुरुग्राम: ₹ 30.36 लाख (मार्च 2019 तक ₹ 0.58 करोड़ पर 46 माह के लिए तथा ₹ 1.46 करोड़ पर छः माह के लिए 10.28 प्रतिशत की दर पर परिकलित), 132 के.वी. गंगैचा जाट एस.एस.: ₹ 1.29 करोड़ (₹ 3.77 करोड़ पर अप्रैल 2015 (जिस तारीख से कंपनी ने मूल्यहास और आर.ओ.ई. का दावा किया) से जुलाई 2018 तक 3 वर्ष 4 माह के लिए 10.28 प्रतिशत की दर पर परिकलित), नूंह में 66 के.वी. मोबाइल एस.एस.: ₹ 2.97 करोड़ (₹ 9.63 करोड़ पर 3 वर्ष के लिए 10.28 प्रतिशत की दर पर परिकलित)।

³⁷ प्रसारण प्रणाली उपलब्धता की गणना प्रत्येक प्रसारण तत्व-वार (विद्युत ट्रांसफार्मरों, प्रसारण लाइनों, स्टैटिक वी.ए.आर. कंपेनसेटर्स और बस रियेक्टरों) कुल उपलब्ध घंटों और अनुपलब्ध घंटों के आधार पर की जाती है।

टी.एस.ए. पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान की तुलनात्मक प्रसारण सेवाओं में सबसे कम थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



स्रोत: संबंधित राज्य बिजली विनियमन आयोगों के टैरिफ आदेशों से संकलित।

एच.ई.आर.सी. विनियमों के अनुसार, प्रसारण लागत 100 प्रतिशत मानक टी.एस.ए. लक्ष्य की उपलब्धि पर पूरी तरह से वसूल की जाती है। कम उपलब्धि के मामले में, वसूल की जाने वाली प्रसारण लागत आनुपातिक रूप से कम हो जाती है। 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान टी.एस.ए. लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि के कारण, कंपनी पूर्ण प्रसारण लागत को वसूल नहीं कर पाई और इसका राजस्व ₹ 15.51 करोड़ की सीमा तक कम हो गया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि टी.एस.ए. लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि का कारण ट्रांसफार्मरों की उच्च क्षति दर और उनके लंबे समय तक बंद रहना था जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद 2.8.2 में चर्चा की गई है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन और सरकार ने 2020-21 के दौरान टी.एस.ए. में सुधार के प्रयास का आश्वासन दिया।

2.8.4 प्रोत्साहन का अनुचित भुगतान

प्रसारण लाईसेंसधारी के रूप में झज्जर के.टी. ट्रांसको प्राईवेट लिमिटेड (जे.के.टी.पी.एल.) ने 400 के.वी., झज्जर प्रसारण प्रणाली का निर्माण किया। एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित प्रसारण सेवा अनुबंध (टी.एस.ए.) के अनुसार, कंपनी को प्रणाली की उपलब्धता एवं प्रसारण हानियों के लिए प्रोत्साहन के साथ जे.के.टी.पी.एल. को लागू मासिक यूनिट-वार प्रभारों का भुगतान करना था। यह भी निर्धारण किया गया था कि कंपनी यह निश्चित करने के लिए कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर की प्रसारण हानियां नियामक हानियों के भीतर हैं, छः माह में कम से कम एक बार परीक्षण करे। यदि प्रसारण हानियां नियामक हानियों से कम हैं, कंपनी द्वारा ₹ 600 प्रति के.डब्ल्यू. प्रतिमास के बराबर जे.के.टी.पी.एल. को एक प्रोत्साहन का भुगतान करना अपेक्षित है जिसे प्रत्येक खाता वर्ष के लिए पांच प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

कंपनी उसके बाद में कोई परीक्षण करवाए बिना 3,000 के.डब्ल्यू. की नियामक हानियों के विरुद्ध मई 2012 में स्वतंत्र इंजीनियर से प्रमाणित 2,780.097 के.डब्ल्यू. की ट्रांसफार्मर हानियों के आधार पर अप्रैल 2012 से प्रत्येक माह 219.903 के.डब्ल्यू. के लिए प्रोत्साहन का भुगतान कर रही थी। आवधिक जांच के बिना प्रोत्साहन का भुगतान करना उचित नहीं था

और जे.के.टी.पी.एल. के पक्ष में था। जनवरी 2013 से मार्च 2019 की अवधि के लिए कंपनी ने ₹ 1.18 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया, जो अनुचित था और प्रसारण लागत में वृद्धि हुई।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि विद्युत ट्रांसफार्मर हानियों के आनसाईट परीक्षण उपलब्ध नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वास्तविक प्रसारण हानियों के निर्धारण के बिना प्रोत्साहन का भुगतान न्यायोचित नहीं था।

2.8.5 ग्रिड प्रबंधन एवं एस.एल.डी.सी. की भूमिका

कुशल ग्रिड प्रबंधन जेनेरेटिंग स्टेशनों से बिजली की निर्बाध निकासी एवं डिस्कोमज/उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए अनिवार्य है जो सही समय आधार पर बिजली संतुलन सुनिश्चित करता है, बिजली प्रणाली की विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययिता और दक्षता का ध्यान रखता है। भारत में, ग्रिड प्रबंधन सी.ई.आर.सी. द्वारा अधिसूचित भारतीय बिजली ग्रिड कोड में दिए गए मानकों/निर्देशों के अनुकूल किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रिड में पाँच क्षेत्र शामिल हैं अर्थात् उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी, प्रत्येक में एक क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र (आर.एल.डी.सी.) है जो संबंधित क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के एकीकृत परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्ष निकाय है। हरियाणा राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एस.एल.डी.सी.), कंपनी के संचालन नियंत्रण³⁸ के अधीन, उत्तर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र के घटक के रूप में राज्य में बिजली प्रणाली का एकीकृत परिचालन सुनिश्चित करता है। कंपनी ग्रिड अनुशासन को ग्रिड के अनुसार रखने के लिए उत्तरदायी है और विफलता के मामले में पेनल्टी के लिए उत्तरदायी है। एस.एल.डी.सी. की कार्यशैली पर अभ्युक्तियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(क) पर्यवेक्षीय नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण (एस.सी.ए.डी.ए.) प्रणाली और विद्युत प्रबंधन प्रणाली (ई.एम.एस.) का प्रस्थापन न किया जाना

भारत की यूनिफाईड लोड डिस्पैच एवं संचार (यू.एल.डी.सी.) स्कीम पी.जी.सी.आई.एल. के माध्यम से क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड के प्रबंधन के लिए एस.सी.ए.डी.ए./ई.एम.एस. और संचार प्रणाली प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया था (2002)। एस.सी.ए.डी.ए. का उत्तरी क्षेत्र में कार्यान्वयन रियल टाइम डाटा की सहायता से बेहतर विद्युत प्रबंधन में सहायता करेगा। स्कीम के घटकों में विस्तार के बारे में, उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हो गई, कि घटक स्कीम को स्वतंत्र रूप से चलाएंगे। तदनुसार, कंपनी ने एस.सी.ए.डी.ए./ई.एम.एस. का स्वतंत्र रूप से विस्तार करने का निर्णय लिया (2011)। तथापि, कंपनी ने 182 सब-स्टेशनों में एस.सी.ए.डी.ए. का कार्यान्वयन किया (सितंबर 2019) और 239 सब-स्टेशनों ने इसे अभी एस.सी.ए.डी.ए. प्रदान करना था। इस प्रकार, एस.सी.ए.डी.ए. प्रणाली का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। लोड की निगरानी के लिए बुनियादी ढांचे की कमी से संबंधित अभ्युक्ति को कंपनी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में भी बताया गया था जिसमें कंपनी ने आश्वासन दिया था कि अगले तीन से पांच वर्षों में एस.एस. पर सिस्टम को प्रदान किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अपने सभी एस.एस. में वास्तविक समय भार/डाटा निगरानी की सुविधा को लागू नहीं किया था।

³⁸ राज्य सरकार ने दिसंबर 2003 में अधिसूचित किया कि एस.एल.डी.सी. का संचालन कंपनी द्वारा किया जाएगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि उन्हें एस.सी.ए.डी.ए. के कार्यान्वयन का कोई पिछला अनुभव नहीं था। शेष सब-स्टेशनों में एस.सी.ए.डी.ए. को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) 220 के.वी. लाइनों का डिजाइन न बदलने के कारण परिहार्य व्यय

उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति के इस निर्णय (अप्रैल 2008) के बाद कि घटक एस.सी.ए.डी.ए./ई.एम.एस. का स्वतंत्र रूप से विस्तार करेंगे और यू.एल.डी.सी.³⁹ स्कीम 2002 के प्रथम चरण में ओप्टिकल ग्राउंड वायर (ओ.पी.जी.डब्ल्यू.) को प्रतिस्थापित कर दिया गया, कंपनी द्वारा अप्रैल 2008 के बाद अर्थवायर के स्थान पर ओ.पी.जी.डब्ल्यू. शामिल करने के लिए लाइनों के डिजाइन में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित था।

हालांकि, कंपनी ने अप्रैल 2008 और अक्टूबर 2013 के मध्य अर्थ वायर के साथ लाइनों का निर्माण जारी रखा, जब इसने ₹ 44.66 करोड़ की कुल लागत पर 220/400 के.वी. वोल्टेज स्तर की 76 लाइनों पर 1,874 कि.मी. अर्थ वायर को ओ.पी.जी.डब्ल्यू. के साथ बदलने के लिए अनुबंध प्रदान किया। कार्य, जिसकी पूर्णता नवंबर 2015 तक निर्धारित थी, वास्तव में अप्रैल 2017 में 24 माह की देरी से पूर्ण हुआ।

यह अवलोकित किया गया था कि इन 76 लाइनों में से 21 लाइनें 500 कि.मी. अर्थ वायर के साथ 2008 के बाद निर्माण के लिए अनुमोदित की गई थी। यदि कंपनी ने इन लाइनों पर ओ.पी.जी.डब्ल्यू. वायर 2008 के बाद शुरू की होती तो यह इन अर्थ वायर को बदलने पर ₹ 4.84 करोड़⁴⁰ का व्यय बचा सकती थी और प्रसारण लागत को कम कर सकती थी।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि 2008 के प्रारंभिक दौर में ओ.पी.जी.डब्ल्यू. बिछाकर प्रसारण परियोजना पूरा करने के लिए ऐसी कोई मार्गनिर्देश/नीति नहीं थी और बी.ओ.डी. ने अर्थवायर की बजाय ओ.पी.जी.डब्ल्यू. बिछाने का मानकीकरण केवल मार्च 2018 में अनुमोदित किया था। कंपनी के उत्तर में औचित्य का अभाव है क्योंकि ओ.पी.जी.डब्ल्यू. बिछाना यू.एल.डी.सी. स्कीम के प्रथम चरण में शुरू हो गया था और कंपनी ने भी 2011 में यू.एल.डी.सी. स्कीम के विस्तार के कार्यान्वयन का निर्णय ले लिया था।

(ग) एस.एल.डी.सी./एन.आर.एल.डी.सी. के साथ सब-स्टेशन ऑटोमेशन प्रणाली का एकीकरण न होना

सब-स्टेशन ऑटोमेशन प्रणाली (एस.ए.एस.) के अंतर्गत, सब-स्टेशन के सभी उपकरणों की निगरानी और नियंत्रण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सब-स्टेशन एवं एस.एल.डी.सी. से रिमोट द्वारा की जाती है। एस.ए.एस. गेटवे एक से अधिक एस.सी.ए.डी.ए. प्रणाली के माध्यम से भी लोड डिस्पैच सेंटर, बैकअप लोड डिस्पैच सेंटर और सेंट्रल कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचार में समर्थ है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी द्वारा चालू किए गए 56 एस.ए.एस. में से 27 एस.एल.डी.सी./एन.आर.एल.डी.सी. के साथ एकीकृत थे और शेष 29 एस.ए.एस. के संबंध में कार्य प्रगति पर था। लेखापरीक्षा ने नमूना-जांच में आगे देखा कि कंपनी ने जुलाई 2010 और दिसंबर 2013 के मध्य एस.ए.एस. के प्रावधान के साथ 132/220 के.वी. के 12 सब-स्टेशनों को चालू किया।

³⁹ यूनिफाइड लोड डिस्पैच और संचार प्रणाली।

⁴⁰ ₹ 92,176 प्रति कि.मी. की दर पर 500 कि.मी. अर्थवायर के प्रापण के लिए ₹ 4.61 करोड़ और उतारने के लिए ₹ 4608.5 प्रति कि.मी. की दर पर ₹ 0.23 करोड़।

हालांकि, छः वर्षों के बाद भी, इनमें से किसी भी सब-स्टेशन पर प्रतिस्थापित एस.ए.एस. को दिसंबर 2019 तक उनके एकीकरण के लिए ठेकेदार के साथ अंतिमकरण न होने के कारण एस.एल.डी.सी./एन.आर.एल.डी.सी. के साथ एकीकृत नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, इन सब-स्टेशनों में एस.ए.एस. के प्रतिस्थापन पर ₹ 12.53 करोड़ का निवेश बेकार रहा, जिससे अनुचित तरीके से प्रसारण लागत में वृद्धि हुई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने सहमति व्यक्त की और बताया कि एस.ए.एस. को सॉफ्टवेयर मुद्दों, जिन्हें अभी हल किया जा रहा है, के कारण एस.एल.डी.सी. के साथ एकीकृत नहीं किया जा सका और एस.ए.एस.एल. को एस.एल.डी.सी. के साथ एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.8.6 प्रणाली स्थिरता

प्रणाली स्थिरता, विद्युत प्रसारण प्रणाली की विद्युत के प्रवाह में अचानक, अप्रत्याशित गड़बड़ी का सामना करने की क्षमता है। विद्युत प्रणाली को सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से संचालित किया जाना चाहिए ताकि प्रणाली स्थिरता खतरे में न पड़े, जिसके लिए सब-स्टेशनों पर सुरक्षा और नियंत्रण उपकरण स्थापित किए जाते हैं। इस संबंध में देखी गई कमियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.8.6.1 बस-बार सुरक्षा पैनल का प्रावधान न किया जाना

बस-बार का प्रयोग सब-स्टेशन पर आने/जाने वाली प्रसारण लाइनों के इंटर कनेक्शन के लिए एक एप्लीकेशन के तौर पर किया जाता है। बस-बार सुरक्षा पैनल (बी.बी.पी.पी.) विद्युत नेटवर्क पर बस-बार की त्रुटियों के प्रभाव को सीमित करता है, अनावश्यक ट्रिपिंग को रोकता है और चयनित करके केवल उन ब्रेकर्स को ट्रिप करता है जो बस-बार त्रुटि को दूर करने के लिए आवश्यक है। सी.ई.ए. (ग्रिड में कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानदंड) विनियम 2007 में अपेक्षित है कि सभी नए 220 के.वी. और अधिक वोल्टेज लेवल सब-स्टेशनों पर बस-बार सुरक्षा प्रदान की जाए और इसे सभी वर्तमान सब-स्टेशनों पर एक उचित समय-सीमा में कार्यान्वित किया जाए। हरियाणा ग्रिड कोड विनियम 2009 में भी सभी 400 के.वी. और 220 के.वी. सब-स्टेशनों पर बस-बार सुरक्षा स्कीम की आवश्यकता थी।

यह अवलोकित किया गया था कि:

- नमूना-जांच किए गए तीन⁴¹ प्रसारण परिमंडलों के अधीन 400/220 के.वी. वोल्टेज लेवल के 35 में से 22 सब-स्टेशनों पर बस-बार सुरक्षा पैनल उपलब्ध थे।
- एक सब-स्टेशन पर बस-बार सुरक्षा पैनल खराब पड़ा था (जुलाई 2019)।

अतः राज्य ग्रिड कोड और सी.ई.ए. ग्रिड कनेक्टिविटी मानदंडों की उल्लंघना में, कार्यशील बी.बी.पी.पी. अपने 220/400 के.वी. सब-स्टेशनों के 40 प्रतिशत में उपलब्ध नहीं थे जिसने ग्रिड की सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान और उत्तर में प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि शेष एस.एस. पर बस-बार सुरक्षा पैनल प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

⁴¹ टी.एस. परिमंडल, रोहतक, गुरुग्राम और हिसार।

2.8.6.2 कैपेसिटर्स का प्रावधान न होना

भारतीय बिजली ग्रिड कोड और राज्य ग्रिड कोड के अनुसार रिएक्टिव विद्युत की विनिर्दिष्ट सीमा से बाहर निकासी/आगमन के परिहार के लिए कम वोल्टेज सिस्टम में कैपेसिटर प्रदान किए जाने चाहिए। जब मीटरिंग बिंदु पर वोल्टेज 97 प्रतिशत से कम हो तो प्रसारण उपयोगिता रिएक्टिव विद्युत के लिए भुगतान करता है और जब वोल्टेज 103 प्रतिशत से अधिक हो तो भुगतान प्राप्त करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014-19 के दौरान आवश्यकता की तुलना में प्रस्थापित कैपेसिटर्स की संख्या में लगातार कमी थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.7: दोषपूर्ण कैपेसिटर्स और प्रदत्त/प्राप्त रिएक्टिव विद्युत मुआवजे के विवरण

वर्ष	कैपेसिटर स्थापित करने की आवश्यकता (एमवीएआर ⁴²)	कैपेसिटर लगाए गए (एमवीएआर)	कमी (एमवीएआर)	वर्ष के अंत में दोषपूर्ण कैपेसिटर (एमवीएआर)	प्राप्त रिएक्टिव विद्युत मुआवजा (₹ करोड़ में)	प्रदत्त रिएक्टिव विद्युत मुआवजा (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)=2-3	(5)	(6)	(7)
2014-15	728.594	132.856	595.738	286.95	14.88	17.16
2015-16	887.246	243.83	643.416	361.46	19.63	13.92
2016-17	806.446	56.6	749.846	350.229	19.70	16.86
2017-18	856.246	139.06	717.186	393.395	22.50	17.59
2018-19	1,009.530	87.647	921.883	383.943	21.63	29.90
कुल					98.34	95.43

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

यह अवलोकित किया गया था:

- कैपेसिटर्स की कमी 2014-15 में 595.738 एम.वी.ए.आर. से बढ़कर 2018-19 में 921.883 एम.वी.ए.आर. हो गई। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अवधि के दौरान खराब कैपेसिटर लगभग लगातार बढ़ते रहे और 31 मार्च 2019 को 383.943 एम.वी.ए.आर. क्षमता के कैपेसिटर (प्रस्थापित कैपेसिटर्स का 7.68 प्रतिशत (4,999.485 एम.वी.ए.आर.) खराब पड़े थे।
- एच.ई.आर.सी. के निर्देशों (मार्च 2015, मई 2017 और अक्टूबर 2018) के बावजूद कंपनी को दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंकों के प्रतिस्थापन में तेजी लाने के लिए बड़ी संख्या में बदले जाने अभी भी शेष थे।
- कैपेसिटर्स की कमी के साथ-साथ दोषपूर्ण कैपेसिटर्स के प्रतिस्थापन की लागत केवल ₹ 31.57 करोड़⁴³ थी। यदि कंपनी ने ₹ 31.57 करोड़ का निवेश किया होता तो वह 2014-19 के दौरान ₹ 95.43 करोड़ की रिएक्टिव ऊर्जा क्षतिपूर्ति के भुगतान से बच सकती थी और इस तरह प्रसारण लागत को कम कर सकती थी।

⁴² एम.वी.ए.आर. - मेगा वोल्ट एम्पीयर (रिएक्टिव)।

⁴³ दिसंबर 2019 में कंपनी द्वारा प्रदान किए गए अनुबंध के अनुसार एम.वी.ए.आर. दर के आधार पर परिकलित।

एगिजट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने सहमति व्यक्त की और बताया कि पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर उपलब्ध कराने और दोषपूर्ण कैपेसिटर्स को प्राथमिकता पर बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

2.8.7 संकट/आपदा प्रबंधन योजना

विद्युत प्रणाली के संबंध में आपदा प्रबंधन का उद्देश्य प्रणाली पर एक बड़ी खराबी के प्रभाव को कम करना और न्यूनतम संभव समय में इसे पुनः बहाल करना है। एम.ओ.पी., भारत सरकार की समिति ने प्रसारण के उत्तम प्रचलन को अपडेट करने के लिए आकस्मिक पुनः चालू करने की प्रणाली लगाने के माध्यम से मुख्य खराबी के अवसर पर प्रसारण सिस्टम के तुरंत बहाल करने के लिए सभी विद्युत सेवाओं द्वारा आपदा प्रबंधन प्रणाली प्रस्थापित करना निर्धारित किया (जनवरी 2002)। इसके अतिरिक्त, एम.ओ.पी. ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप विद्युत क्षेत्र में आपदा की स्थिति पर सामंजस्य के रूप में प्रतिक्रिया के लिए संकट एवं आपदा प्रबंधन योजना भी जारी की (मार्च 2017)।

यह अवलोकित किया गया था कि कंपनी ने कोई संकट एवं आपदा प्रबंधन योजना तैयार नहीं की। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने संभावित खतरों के संबंध में 2014-19 के दौरान मॉक ड्रिल नहीं किया था। कंपनी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान मॉक ड्रिल न करने के संबंध में मुद्दा भी इंगित गया था।

यह भी देखा गया कि एम.ओ.पी. के संकट एवं आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार, हरियाणा राज्य भौगोलिक रूप से भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र में स्थित है। हालांकि, एस.एल.डी.सी. के लिए डाटा रिकवरी सेंटर 2014-15 से शिमला में स्थित है (हिमाचल प्रदेश के साथ द्विपक्षीय समझौते के अनुसार) जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में है अभी भी उच्च भूकंपीय जोखिम के साथ है (शिमला भूकंपीय जोन-V में है, एस.एल.डी.सी. क्षेत्र (पानीपत) भूकंपीय जोन-IV में है)। यह वांछनीय था कि डाटा रिकवरी सेंटर कम भूकंप जोखिम वाले भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हो।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि कंपनी ने हाल ही में (दिसंबर 2019) मॉक ब्लैक स्टार्ट अभ्यास किया है। हालांकि, हरियाणा के लिए ब्लैक स्टार्ट एक्सरसाइज के आधार पर ग्रिड सिस्टम रेस्टोरेशन डॉक्यूमेंट को कंपनी के पूर्ण कालिक निदेशकों (डब्ल्यू.टी.डी.) द्वारा अनुमोदित किया जाना अभी शेष था। प्रबंधन ने यह भी बताया कि एस.एल.डी.सी. के लिए डाटा रिकवरी सेंटर शिमला में स्थित था, जैसा कि उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा पारस्परिक आधार पर और कंपनी द्वारा निर्धारित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को कम भूकंपीय जोखिम वाले किसी अन्य स्थान का प्रस्ताव देना चाहिए था।

2.9 राज्य की विद्युत सेवाओं के मध्य समन्वय यंत्रावली

एक से अधिक सेवाओं वाले संगठनात्मक मामलों को प्रभावित कर सकने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने प्रबंध निदेशक, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अध्यक्षता में चार विद्युत सेवाओं के प्रबंध निदेशकों की एक समन्वय समिति का गठन किया (मई 2009)। यद्यपि समिति ने 2014-19 के दौरान 16 बैठकें आयोजित की, परन्तु यंत्रावली प्रभावी नहीं पाई गई क्योंकि निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान समन्वय के अभाव के मामले देखे गए।

कंपनी और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबंधन ने बलियार कलां (रेवाड़ी) में एक 33 के.वी. कनेक्टिविटी और एक 11 के.वी. कनेक्टिविटी के साथ दो ट्रांसफार्मरों वाले नए 66 के.वी. सब-स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया (मई 2008)। तथापि, कंपनी ने केवल 11 के.वी. कनेक्टिविटी वाले दो ट्रांसफार्मरों के साथ सब-स्टेशन के निर्माण को अनुमोदन दिया (जुलाई 2008) और जुलाई 2013 में सब-स्टेशन को ₹ 7.91 करोड़ की लागत से चालू किया और डी.एच.बी.वी.एन. को इस पर लोड शिफ्ट करने का अनुरोध किया।

33 के.वी. कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने के कारण, अब तक (दिसंबर 2019) केवल 6 एम.वी.ए. (18.75 प्रतिशत) लोड को कनेक्ट किया जा सका (32 एम.वी.ए. की क्षमता के विरुद्ध)। डी.एच.बी.वी.एन. ने बताया (दिसंबर 2018) कि उसका 33 के.वी. सब-स्टेशन गद्दी बोलिनी भी सब-स्टेशन पर 33 के.वी. कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होने के कारण चालू नहीं किया जा सका। यदि इसने बलियार कलां से 33 के.वी. कनेक्टिविटी प्रदान की होती, तो 33 के.वी. रेवाड़ी-जोनवास लाइन को ₹ 2.33 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ स्थानांतरित करने की बाध्यता से भी बचा जा सकता था। इस प्रकार, विद्युत उपयोगिताओं के मध्य समन्वय के अभाव के परिणामस्वरूप सब-स्टेशन का पूर्ण प्रयोग नहीं किया जा सका और हरियाणा के उपभोक्ताओं पर ₹ 3.74 करोड़⁴⁴ का बोझ पड़ा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर की बजाय गलती से 66/33 के.वी. ट्रांसफार्मर के सब-स्टेशन को मंजूरी दे दी गई थी क्योंकि एच.वी.पी.एन.एल. 66/33 के.वी. सब-स्टेशन प्रदान नहीं करता है। हालांकि, सब-स्टेशन का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.10 वित्तीय प्रबंधन

2.10.1 वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

कंपनी के गत पांच वर्षों से 2018-19 तक वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम **परिशिष्ट-4** में इंगित किए गए हैं जो दर्शाते हैं कि:

- कंपनी ने 2014-15 के दौरान हानि उठाई। इसने चार वर्षों (2015-16 से 2018-19) के दौरान राजस्व में वृद्धि और कम उधारी से वित्तीय लागत में कमी के कारण ₹ 1,327.12 करोड़ का लाभ कमाया।
- वित्तीय सुधार के कारण नियोजित पूंजी पर रिटर्न 2014-15 में 5.49 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 12.42 प्रतिशत हो गया। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा निवेश के कारण 2018-19 में यह घटकर 9.97 प्रतिशत हो गया, जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी पूंजी में वृद्धि हुई;
- ऋण इक्विटी अनुपात 2014-15 में 2.69 से ऋणों में कमी और इक्विटी पूंजी में वृद्धि के कारण 2018-19 में कम होकर 1.26 हो गया।

लेखापरीक्षा ने निधियों के समय पर प्रापण में दक्षता और उनके अधिकतम प्रयोग के संदर्भ में कंपनी में वित्तीय प्रबंधन का परीक्षण किया। इस बारे में पाई गई अभ्युक्तियों पर चर्चा आगामी अनुच्छेद में की गई है।

2.10.2 विश्व बैंक ऋण के कम उपयोग के कारण हानि

हरियाणा विद्युत प्रणाली सुधार आरंभ करने के लिए हरियाणा विद्युत उपयोगिताओं ने तीन घटकों⁴⁵ के अंतर्गत लंदन इंटर बैंक आफर्ड रेट जमा 0.4 प्रतिशत की ब्याज दर पर यू.एस.डी. 250 मिलियन (₹ 1,250 करोड़) के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए (अगस्त 2009)। ऋण के संवितरण की अवधि 2009-10 से 2013-14 तक थी और पुनर्भुगतान अवधि 30 वर्ष थी। ऋण अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, ऋण राशि के 0.25 प्रतिशत के बराबर फ्रंट एंड फीस विश्व बैंक को देय थी।

- खरीद योजना के तीन बार (अगस्त 2012, सितंबर 2012 और जून 2013) संशोधन और विश्व बैंक द्वारा अगस्त 2013, अप्रैल 2017 के बाद 31 दिसंबर 2017 तक और 30 अप्रैल 2018 तक संवितरण के लिए अनुग्रह अवधि में ऋण संवितरण अवधि के विस्तार के बावजूद कंपनी ने अक्टूबर 2009 और दिसंबर 2017 के दौरान 250 मिलियन यू.एस.डी. में से 222.83 मिलियन यू.एस.डी. के ऋण का लाभ उठाया जबकि 27.17 मिलियन⁴⁶ यू.एस.डी. (₹ 173.84 करोड़⁴⁷) का लाभ नहीं उठाया गया क्योंकि 24 पैकेज के अंतर्गत सभी 130 निर्माण कार्य देरी के साथ पूर्ण हुए। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कंपनी विश्व बैंक के ऋणों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकी, क्योंकि खरीद योजना में संशोधन नहीं करने और अनुबंधों को फिर से प्रदान करने में देरी हुई, जहां ठेकेदार विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहे।
- यह अवलोकित किया गया था कि तीन मामलों⁴⁸ (24 मामलों में से) में शुरू में विश्व बैंक की निधियों से ₹ 167.07 करोड़ का कार्य प्रदान किया गया था, कंपनी ने चूककर्ता ठेकेदारों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई नहीं की और विश्व बैंक की निधियों के साथ समय पर कार्यों को फिर से प्रदान किया। बाद में ये कार्य महँगी निधि व्यवस्था के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) को प्रदान किए गए थे। यदि कंपनी ने समय पर कार्यों को फिर से प्रदान किया होता, तो इससे ₹ 24.63 करोड़⁴⁹ की बचत हो सकती थी और प्रसारण लागत कम हो सकती थी।
- विश्व बैंक ऋण का लाभ न उठाने के कारण कंपनी को ऋण का लाभ न उठाए गए हिस्से पर फ्रंट एंड फीस के कारण ₹ 31.32 लाख⁵⁰ का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

⁴⁵ (i) प्रसारण घटक: एच.वी.पी.एन.एल. के लिए यू.एस.डी. 250 मिलियन (₹ 1,250 करोड़),
(ii) द.ह.बि.वि.नि.लि. के लिए यू.एस.डी. 70 मिलियन (₹ 350 करोड़) का वितरण घटक और
(iii) द.ह.बि.वि.नि.लि. तथा एच.वी.पी.एन.एल. दोनों के लिए समान हिस्से में यू.एस.डी. 10 मिलियन (₹ 50 करोड़) का तकनीकी सहायता घटक।

⁴⁶ 250 मिलियन यू.एस.डी. की संस्वीकृत ऋण राशि के विरुद्ध कंपनी केवल 222.83 मिलियन यू.एस.डी. का उपयोग कर सकी।

⁴⁷ ₹ 64 प्रति यू.एस.डी. पर परिकलित।

⁴⁸ 220 के.वी. सब-स्टेशन एच.एस.आई.आई.डी.सी. राई, सोनीपत का निर्माण, राज-का-मेव में एस.एस. का निर्माण और जींद, भिवानी में 220 के.वी. तथा 66 के.वी. प्रसारण लाइनों का निर्माण।

⁴⁹ विश्व बैंक के ऋण की लागत और आर.ई.सी. द्वारा प्रभारित 10 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर का अंतर होने से तीन कार्यों के लिए क्रमशः 8.59 प्रतिशत, 7.45 प्रतिशत और 7.45 प्रतिशत की दर पर परिकलित।

⁵⁰ अपफ्रंट फीस के भुगतान के समय ₹ 46.11 प्रति यू.एस.डी. की दर पर परिकलित।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि यह विश्व बैंक द्वारा ऋण संवितरण अवधि के विस्तारण न होने के कारण ऋण का लाभ नहीं उठा पाई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्व बैंक ने ऋण की संवितरण अवधि पहले ही तीन बार बढ़ा दी थी परंतु खराब परियोजना कार्यान्वयन के कारण कंपनी सुविधा का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाई।

2.10.3 सरकारी गारंटी पर परिहार्य व्यय

इसकी कार्यशील पूंजी अपेक्षिता को पूरी करने के लिए कंपनी को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) से 12.25 प्रतिशत ब्याज दर वाले, 36 माह की अवधि के लिए ₹ 100 करोड़ के एक मध्यावधि ऋण (एम.टी.एल.) की संस्वीकृति मिली (अगस्त 2015)। ऋण को पहले संवितरण की तिथि (अक्टूबर 2015) से शुरू करके 18 समान किश्तों में चुकाया जाना था। ऋण अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार, पूरे ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी उपलब्ध करवाना वैकल्पिक था। यदि सरकारी गारंटी उपलब्ध करवाई जाती है, ब्याज में 0.25 प्रतिशत पर छूट उपलब्ध थी। यदि कंपनी सरकारी गारंटी प्रदान नहीं करती, आर.ई.सी. ऋण पर 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज प्रभारित कर सकता था। अतः सरकारी गारंटी के साथ ऋण 12 प्रतिशत पर उपलब्ध था और सरकारी गारंटी के बिना 12.50 प्रतिशत पर। राज्य सरकार हालांकि, गारंटी फीस के तौर पर अप्रॉक राशि का दो प्रतिशत प्रभारित करती है। तथापि, कंपनी ने लागत लाभ विश्लेषण परिकलित किए बिना गारंटी फीस के तौर पर ₹ दो करोड़ के भुगतान पर ₹ 100 करोड़ की सरकारी गारंटी की व्यवस्था कर ली (फरवरी 2016)।

हमने अवलोकित किया कि यदि कंपनी ने सरकारी गारंटी की व्यवस्था न की होती और 12.50 प्रतिशत की दर पर उच्चतर ब्याज का भुगतान करती, तो यह फिर भी ₹ 1.47 करोड़⁵¹ बचा सकती थी। चूंकि ऋण अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी पर वास्तविक ब्याज मानक एक से अधिक हो गया था, इसलिए कंपनी को अपनी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए ₹ 1.47 करोड़ वहन करने पड़े।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि आर.ई.सी. ने पुष्टि की है कि विषय ऋण केवल सरकारी गारंटी के विरुद्ध लिया जाना था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि आर.ई.सी. ने कंपनी से सरकारी गारंटी सुनिश्चित किए बिना किश्तों में ऋण जारी किया और सरकारी गारंटी प्रस्तुत करने तक अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया। इस प्रकार, प्रबंधन का निर्णय वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि कंपनी ने ऋण लेने से पहले लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया था।

2.10.4 राज्य रिएक्टिव विद्युत पूल खाते का रखरखाव न करना

एच.ई.आर.सी. ने प्राप्य और डिस्कॉमज को देय रिएक्टिव विद्युत भुगतान के मामले पर निर्णय करते समय कंपनी को हरियाणा विद्युत सेवाओं की ओर से एक राज्य रिएक्टिव विद्युत पूल खाता बनाए रखने और राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में अधिशेष निधियों का निवेश करने के निदेश दिए (अगस्त 2015)। यह देखा गया था कि:

- कंपनी ने दो वर्षों तक इन निदेशों का अनुपालन नहीं किया। अगस्त 2017 में कंपनी ने एक निजी अनुसूचित बैंक, यस बैंक में विद्युत पूल खाता खोला।

⁵¹ 34 माह के लिए 10.84 प्रतिशत की दर पर कार्यशील पूंजी ब्याज के साथ ₹ दो करोड़ की गारंटी फीस को देखते हुए 50 प्रतिशत ब्याज दर के मार्जिन की राशि और लंबित एम.टी.एल. पर परिकलित।

- पूल खाता खोलने में देरी के कारण, 2015-16 और 2016-17 के लिए डिस्कॉम्स से रिएक्टिव विद्युत मुआवजे के खाता की ₹ 30.78 करोड़ की प्राप्ति इस खाते में नहीं रखी गई परंतु इसके परिचालनों के लिए इसका प्रयोग किया गया।
- डिस्कॉम्स ने भी कंपनी को देय प्रसारण प्रभारों में से ₹ 13.95 करोड़ के अपने हिस्से का समायोजन कर लिया।

इस प्रकार, राज्य विद्युत सेवाओं द्वारा देय/प्राप्य रिएक्टिव विद्युत मुआवजे के प्रबंधन के लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा विचारित यंत्रावली को चार वर्षों के बाद भी प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि हरियाणा सरकार उन बैंकों का पैनेल अनुरक्षित कर रही थी जिनमें राशि जमा की जा सके; और उस पैनेल में एक यस बैंक था। यस बैंक के पास निधियां रखने से, कंपनी ने अधिक ब्याज अर्जित किया और वर्तमान सावधि जमाओं की परिपक्वता पर, यह एच.ई.आर.सी. के दिशानिर्देशों का अनुसरण करेगी। हालांकि, कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के निर्देशों का उल्लंघन किया है।

2.10.5 ब्याज मुक्त अग्रिम की निर्मुक्ति तथा बी.जी. शर्तों का अनुपालन न करने के कारण हानि

कंपनी ने मैसर्स आइसोलक्स इंजेनियरिया एस.ए. स्पेन के साथ रोज-का-मियो में 220 के.वी. जी.आई.एस. सब-स्टेशन के निर्माण के लिए अनुबंध किया (फरवरी 2014) और बाद में अगस्त 2016 में इसे लाइनों के निर्माण के कार्य भी प्रदान किया ।

- एस.एस. अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर ब्याज मुक्त अग्रिम का भुगतान बैंक गारंटी (बी.जी.) प्रस्तुत करने के विरुद्ध तीन किस्तों⁵² में उत्तरोत्तर किया जाना था। कंपनी को बी.जी. जारी करने वाले बैंक के पास ठेकेदार के खाते में यह भुगतान करना था। हालांकि ठेकेदार साइट कार्यालय नहीं खोल सका, लेकिन कंपनी ने मार्च/मई 2014 में छः प्रतिशत (₹ 3.38 करोड़) के अग्रिम की तीसरी किस्त को यह बताए बिना जारी कर दिया कि सिविल कार्य बाधा मुक्त स्थल के अभाव में शुरू नहीं किए जा सके। साइट कार्यालय खोलने के बाद दो प्रतिशत अग्रिम देय के रूप में ₹ 1.12 करोड़ की दूसरी किस्त जून 2016 में जारी की गई थी। इस प्रकार, फर्म को 19 माह के लिए ₹ 3.38 करोड़ (तीसरी किस्त) की ब्याज मुक्त निधियां जारी करके अनुगृहीत किया गया था जिसकी लागत कंपनी को ₹ 58.21 लाख⁵³ पड़ी।
- अनुबंध प्रावधानों की छूट में, कंपनी ने अनुबंध में निर्धारित अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत के स्थान पर आठ प्रतिशत के बराबर कम की गई बी.जी. को स्वीकार किया। तदनंतर, फर्म ने शेष दो प्रतिशत बी.जी. एक अलग बैंक अर्थात् एच.डी.एफ.सी. बैंक (पहले फर्म ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी) से प्रस्तुत की।

⁵² अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय अनुबंध मूल्य का दो प्रतिशत, साइट कार्यालय खोलने पर दो प्रतिशत और सिविल ठेकेदार की नियुक्ति के समय छः प्रतिशत।

⁵³ चूंकि कंपनी ने पहले ही कार्यशील पूंजी के लिए अपनी उधार लेने की सीमा को समाप्त कर दिया था, ब्याज एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ब्याज दर से परिकलित किया गया।

- बी.जी. शर्ती की अवहेलना में एच.डी.एफ.सी. बैंक (बी.जी. जारी करने वाले बैंक) की बजाय सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में फर्म के खाते में भुगतान जारी किया गया था। बाद में, जब कंपनी ने ठेका रद्द किए जाने के समय बैंक गारंटी के नकदीकरण के लिए दावा (₹ 1.12 करोड़) किया (18 अगस्त 2017) तो एच.डी.एफ.सी. बैंक ने इसे इस आधार पर अमान्य कर दिया कि कंपनी ने अग्रिम फर्म के अन्य बैंक खाते में जारी किया था। यदि कंपनी ने अग्रिम जारी करने के समय बी.जी. शर्ती की अनुपालना की होती तो ₹ 1.12 करोड़ की हानि को रोका जा सकता था। प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि अग्रिम निर्मुक्त करने की शर्तें क्रमानुसार नहीं थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिविल कार्य बाधारहित साईट की अनुपस्थिति में शुरू नहीं किए जा सके और साईट की उपलब्धता के बिना तीसरी किश्त निर्मुक्त करना ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया था।
- संबद्ध लाइन कार्य के लिए ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर ब्याज मुक्त अग्रिम का भुगतान बी.जी. के विरुद्ध बी.जी. जारी करने वाले बैंक के पास ठेकेदार के खाते में किया जाना था। बी.जी. की शर्ती की अवहेलना में कंपनी ने बी.जी. जारी करने वाले बैंक (एच.डी.एफ.सी. बैंक) की बजाय सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में फर्म के खाते में ₹ 8.45 करोड़ का अग्रिम भुगतान जारी किया (अक्टूबर तथा दिसंबर 2016)। जब, ठेका रद्द होने पर, कंपनी ने बी.जी. के नकदीकरण के लिए एच.डी.एफ.सी. बैंक में दावा प्रस्तुत किया (18 अगस्त 2017), एच.डी.एफ.सी. बैंक ने बी.जी. शर्ती की अननुपालना के आधार पर अस्वीकृत कर दिया।

इस प्रकार, बी.जी. शर्ती की अननुपालना के कारण कंपनी को ₹ 9.57 करोड़ (₹ 8.45 करोड़ + ₹ 1.12 करोड़) की हानि हुई। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि बी.जी. के नकदीकरण न होने के दोनों मामले एक ही ठेकेदार से संबंधित थे।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (मई 2020) कि अनजाने में बी.जी. शर्ती का अनुसरण नहीं किया जा सका और आगे बताया कि विभिन्न अनुबंधों के संबंध में देयों का समायोजन करने के बाद ठेकेदार से केवल ₹ 34.68 लाख वसूलनीय थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने ठेकेदार से वसूलनीय ₹ 31.32 करोड़ की जोखिम और लागत राशि पर विचार नहीं किया है, जिसके लिए कंपनी के पास कोई वित्तीय कवर उपलब्ध नहीं है।

2.11 टैरिफ प्रस्ताव

2.11.1 कंपनी के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों पर डिस्कॉमज से प्रसारण प्रभारों का संग्रहण है। इसके लिए, कंपनी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर कम से कम 120 दिन पहले एच.ई.आर.सी. को सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) प्रस्तुत करना अपेक्षित है। एच.ई.आर.सी. जनता एवं अन्य हिस्सेदारों से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के बाद आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ए.आर.आर. का अनुमोदन करती है।

नीचे की तालिका 2014-19 के दौरान वर्षवार ए.आर.आर. प्रस्तुत करने के लिए देय तिथि, ए.आर.आर. प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथियां और एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदन इंगित करती है।

तालिका 2.8: ए.आर.आर. प्रस्तुत करने की देय तथा वास्तविक तिथि और एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदन की तिथियां

वर्ष	ए.आर.आर. प्रस्तुत करने की देय तिथि	ए.आर.आर. प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	प्रस्तुत करने में देरी (दिनों में)	एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदन की तिथि	प्रयोज्यता की तिथि	1 अप्रैल से दिनों में देरी
2014-15	30.11.2013	15.01.2014	45	29.05.2014	01.06.2014	61
2015-16	30.11.2014	30.12.2014	30	31.03.2015	12.04.2015	11
2016-17	30.11.2015	26.11.2015	-	31.03.2016	25.04.2016	24
2017-18	30.11.2016	30.01.2017	60	30.05.2017	10.6.2017	70

स्रोत: एच.ई.आर.सी. के टैरिफ आदेशों से संकलित सूचना।

2014-18 के दौरान चार में से तीन वर्षों में, कंपनी ने 30 से 60 दिनों की देरी के साथ अपना ए.आर.आर. फाइल किया। इसके अतिरिक्त, ए.आर.आर. को सभी चार वर्षों के संबंध में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के आरंभ से 11 से 70 दिनों की देरी के साथ अंतिम रूप दिया गया था। हालांकि कंपनी ने दीर्घ अवधि के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं (मुख्य रूप से डिस्कॉम जिसने कंपनी के कुल ग्राहक आधार का 99.24 प्रतिशत हिस्सा है) से प्रसारण प्रभारों का बकाया वसूल किया, वही ₹ 2.40 करोड़⁵⁴ की राशि लघु अवधि के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं⁵⁵ से वसूल नहीं की जा सकी। इसमें से ₹ 2.11 करोड़ शुद्ध रूप से कंपनी द्वारा ए.आर.आर. को देर से फाइल करने के कारण थे। एच.ई.आर.सी. के विनियमों के अनुसार लघु अवधि के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से राजस्व, प्रसारण लागत से अधिक वसूल किया जाता है, इसलिए एच.ई.आर.सी. अनुवर्ती वर्ष की प्रसारण लागत से 75 प्रतिशत कम कर देता है और कंपनी द्वारा 25 प्रतिशत को रोककर रखने की अनुमति देता है। ए.आर.आर. फाइल करने में देरी के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर ₹ 1.58 करोड़ (₹ 2.11 करोड़ का 75 प्रतिशत) का बोझ पड़ा। ₹ 0.53 करोड़ की शेष राशि जो कंपनी द्वारा रोककर रखी जानी थी, वह भी वसूल नहीं की गई जिससे उसका लाभ कम हो गया। ए.आर.आर. फाइल करने में देरी को कंपनी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में भी बताया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई 2020) में ए.आर.आर. प्रस्तुत करने में देरी के कई कारण बताए क्योंकि यह ए.आर.आर. तैयार करने के लिए नियुक्त सलाहकार की ओर से देरी के अलावा वित्त, आयोजना, लेखा इत्यादि जैसे अपने विभिन्न संभागों से इनपुट पर निर्भर करता है। चूंकि देरी के सभी कारण नियंत्रण करने योग्य थे, वित्तीय महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन को ए.आर.आर. समय पर प्रस्तुत करने के लिए अनुकूल कार्रवाई करनी चाहिए थी।

⁵⁴ 2016-17 के लिए संशोधित प्रसारण प्रभार 25 अप्रैल 2016 से प्रभावी किए गए, लेकिन प्रसारण प्रभारों में पिछले वर्ष के हिसाब से 3 पैसे की कमी थी।

⁵⁵ ओपन एक्सेस, थोक उपभोक्ता जिनके पास एक से अधिक मेगावाट का लोड जुड़ा हुआ है, उन्हें राज्य उपयोगिताओं की तुलना में अन्य स्रोतों से सस्ती बिजली खरीदने के लिए सक्षम बनाता है। एक क्रेता जिसके पास एक महीने से कम समय के लिए ओपन एक्सेस के अधिकार हैं, उसे लघु अवधि ओपन एक्सेस वाला उपभोक्ता कहा जाता है।

2.11.2 होल्डिंग लागत का दावा न करने के कारण परिहार्य वित्तीय उलझन

एच.ई.आर.सी. (मल्टी ईयर टैरिफ) विनियम 2012 के अनुसार, कंपनी द्वारा आने वाले वर्ष के लिए टैरिफ के निर्धारण, चालू वर्ष की मध्य-वर्षीय निष्पादन समीक्षा और गत वर्ष के डू-अप⁵⁶ के लिए आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित था। चूंकि प्रसारण लागत को कम करने में लगभग डेढ़ वर्ष का अंतर है, इसलिए नियामक द्वारा सही लागत के साथ डेढ़ वर्ष की लागत को भी रखने की अनुमति है। यह देखा गया था:

- वर्ष 2015-16 के लिए टैरिफ के निर्धारण, 2014-15 के लिए मध्य-वर्षीय निष्पादन समीक्षा और 2013-14 के लिए डू-अप हेतु कंपनी ने एच.ई.आर.सी. को दिसंबर 2014 में आवेदन प्रस्तुत किया। इसे मार्च 2015 में एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया जिसमें डेढ़ वर्ष की होल्डिंग लागत ब्याज के साथ 2013-14 के लिए डू-अप लागत थी।
- कंपनी ने तथापि, वर्ष 2013-14 के अतिरिक्त डू-अप के लिए समीक्षा याचना प्रस्तुत की (6 मई 2015)। एच.ई.आर.सी. ने बिना किसी होल्डिंग लागत के ₹ 38.10 करोड़ के अतिरिक्त डू-अप की अनुमति (अगस्त 2015) दे दी।
- हालांकि, कंपनी ने न तो अतिरिक्त डू-अप उपभोक्ताओं से वसूल किया और न ही अगस्त 2015 के तुरंत बाद होल्डिंग लागत के साथ अतिरिक्त डू-अप की वसूली की अनुमति का मामला एच.ई.आर.सी. के साथ उठाया।
- कंपनी ने देरी से होल्डिंग लागत के साथ ₹ 38.10 करोड़ का अतिरिक्त डू-अप लागत का दावा किया। एच.ई.आर.सी. ने 2018-19 के लिए प्रसारण टैरिफ के साथ केवल ढाई वर्षों के लिए ₹ 8.67 करोड़⁵⁷ की होल्डिंग लागत के साथ ₹ 38.10 करोड़ वसूल करने की अनुमति दे दी (मार्च 2018)।
- चूंकि 2013-14 के लिए अतिरिक्त डू-अप 2018-19 के लिए प्रसारण टैरिफ के साथ अनुमत था, साढ़े चार वर्ष⁵⁸ के लिए होल्डिंग लागत देय थी। हालांकि, एच.ई.आर.सी. ने माना कि यह कंपनी की ओर से गलती थी और तदनुसार, इसने केवल ढाई वर्षों के लिए होल्डिंग लागत की अनुमति दी।

इसके परिणामस्वरूप कंपनी पर ₹ 8.27 करोड़⁵⁹ का वित्तीय प्रभाव पड़ा जिसका परिहार किया जा सकता था, यदि कंपनी अगस्त 2015 के बाद तुरंत अतिरिक्त डू-अप लागत की वसूली कर लेती और होल्डिंग लागत का दावा अलग से करती। इसका प्रभाव कंपनी को उठाना पड़ा जिससे उसका लाभ कम हो गया।

⁵⁶ वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले एच.ई.आर.सी. पिछले वर्ष के लिए अनुमानित डाटा पर आधारित वर्ष के लिए टैरिफ अनुमोदित करती है जो बैलेंस शीट के अंतिमकरण के बाद आगामी वर्षों में संशोधित किया जाता है। वास्तविक डाटा की प्राप्ति के बाद टैरिफ के संशोधन को डू-अप कहा जाता है और इस संशोधन का प्रभाव उस वर्ष में कार्यान्वित किया जाता है जिसमें इसे अंतिमकृत किया जाता है।

⁵⁷ ₹ 3.81 करोड़ (10 प्रतिशत की दर पर 2016-17 के लिए होल्डिंग लागत जमा ₹ 4.86 करोड़ 8.5 प्रतिशत की दर पर डेढ़ वर्ष के लिए)।

⁵⁸ 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 तथा 2018-19 का आधा वर्ष जिसमें वसूली की जानी थी।

⁵⁹ ₹ 38.10 करोड़ कार्यशील पूंजी पर एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ब्याज की दर अर्थात् 2014-15 और 2015-16 के लिए 10.85 प्रतिशत प्रति वर्ष पर परिकल्पित।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि 2015-16 की अवधि के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा इस राशि को गलत तरीके से घटाया गया था। 15 मार्च 2018 के आदेशों के माध्यम से एच.ई.आर.सी. ने त्रुटि स्वीकार की और ₹ 38.10 करोड़ की वसूली की अनुमति दी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि एच.ई.आर.सी. ने 15 मार्च 2018 को अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि यह कंपनी की ओर से एक त्रुटि थी और उसने केवल ढाई साल के लिए होल्डिंग लागत के साथ ₹ 38.10 करोड़ वसूल करने की अनुमति दी। हालांकि, होल्डिंग लागत का दावा न करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था।

2.11.3 अक्षम अनुबंध प्रबंधन

अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ए.ई.एल.) ने टैरिफ आधारित बोली रूट के माध्यम से मुंद्रा गुजरात में इसके 4,620 एम.डब्ल्यू. मुंद्रा थर्मल विद्युत स्टेशन से 1,424 एम.डब्ल्यू. विद्युत की आपूर्ति के लिए हरियाणा डिस्कॉम्स, यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के साथ एक विद्युत खरीद अनुबंध (पी.पी.ए.) किया (अगस्त 2008)। विद्युत की निकासी के लिए ए.ई.एल. ने एक 2,500 एम.डब्ल्यू. समर्पित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट द्वि-पोल प्रसारण लाइन अर्थात् मुंद्रा-महेंद्रगढ़ का निर्माण किया।

- ए.ई.एल. ने उपर्युक्त समर्पित लाइन को अंतर्राज्यीय प्रसारण प्रणाली (आई.एस.टी.एस.) में परिवर्तित करने के लिए प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने के लिए सी.ई.आर.सी. को याचिका प्रस्तुत कर दी (सितंबर 2012) जो प्रदान किया गया था (जून 2013)।
- हरियाणा विद्युत उपयोगिताओं ने हरियाणा सरकार के साथ परामर्श से सी.ई.आर.सी. को अनुरोध किया (जुलाई 2013) कि समर्पित प्रसारण लाइन के आई.एस.टी.एस. में परिवर्तित होने के कारण इस लाइन के प्रयोग के लिए उन पर प्वाइंट आफ कनेक्शन (पी.ओ.सी.)⁶⁰ प्रभारों का कोई दावा नहीं किया जाएगा। हालांकि, सी.ई.आर.सी. ने आदेश दिया (जून 2013) कि प्रसारण लाइसेंसधारी केवल हरियाणा की अनुबंधित क्षमता 1,424 मेगावाट के अनुरूप प्रसारण प्रभार वहन करेगा।

यह अवलोकित किया गया था कि कंपनी ने (राज्य के पी.ओ.सी. संबंधी मामलों से निपटने के लिए उत्तरदायी होने के नाते) इस तथ्य के बावजूद कि अतिरिक्त क्षमता सहित प्रसारण लाइन की पूरी लागत पहले से ही टैरिफ में लागू थी, राज्य की लाइन पर आई.एस.टी.एस. भाग (1,005 मेगावाट) पर पी.ओ.सी. प्रभारों के निहितार्थ के मुद्दे पर विचार नहीं किया।

2.11.4 कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज के लिए मानकों का पालन न करना

एच.ई.आर.सी. (एम.वाई.टी.) विनियम 2012 के अनुसार, कार्यशील पूंजी⁶¹ पर ब्याज मानक आधार पर अनुमत किया जाना था। तालिका 31 मार्च 2019 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान

⁶⁰ पी.ओ.सी. अंतर्राज्यीय प्रसारण प्रणाली के उपयोग पर आधारित पैन भारत अंतर्राज्यीय प्रसारण प्रभारों के संवितरण के लिए आधार है।

⁶¹ कार्यशील पूंजी में से एक माह के मानक परिचालन एवं प्रबंधन व्यय (ii) परिचालन एवं प्रबंधन व्ययों के 15 प्रतिशत के बराबर रख-रखाव आधिक्य और (iii) मानक लक्ष्य उपलब्धता पर परिकल्पित एक माह की निश्चित लागत के बराबर प्राप्त योग्य।

कंपनी द्वारा स्वीकृत और वास्तव में ब्याज की लागत के वर्षवार विवरण को इंगित करती है:

तालिका 2.9: एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत और कार्यशील पूंजी पर वास्तव में ब्याज

वर्ष	एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत कार्यशील पूंजी पर ब्याज	कार्यशील पूंजी पर वास्तव में ब्याज	एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत राशि
2014-15	19.10	46.73	27.63
2015-16	23.14	39.81	16.67
2016-17	21.20	21.20	--
2017-18	23.93	23.93	--
2018-19	27.75	25.51	--
कुल	115.12	157.18	44.30

स्रोत: एच.ई.आर.सी. द्वारा टैरिफ आदेशों से संकलित सूचना।

यह अवलोकित किया गया था:

- कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का दक्षतापूर्ण प्रबंध करने में समर्थ नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप यह ₹ 44.30 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं कर सकी, हालांकि टैरिफ के रूप में यह 2014-19 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत मानदंडों से अधिक था। इससे इसकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- कंपनी ने पूंजीगत व्यय ऋण पर ब्याज के रूप में आर.ई.सी. (अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए) से प्राप्त मध्यम अवधि के ऋण पर अनुचित रूप से ब्याज का दावा किया। इसके परिणामस्वरूप, पूंजीगत व्यय ऋण पर ₹ 16.64 करोड़ से अधिक ब्याज का दावा किया गया। यदि यह कार्यशील पूंजी पर ब्याज के रूप में दावा करती, तो इसे अस्वीकृत कर दिया जाता, क्योंकि कंपनी पहले ही अपनी कार्यशील पूंजी की सीमा समाप्त कर चुकी है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर ₹ 16.64 करोड़ का अधिक बोझ पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि इसने हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी की विलंबित निर्मुक्ति के कारण अंतर को पाटने के लिए एम.टी.एल. का दावा पूंजीगत व्यय में किया। आगे, ऋण कार्यशील पूंजी ऋण की बजाय पूंजीगत व्यय ऋण के अंतर को पाटने के लिए लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आर.ई.सी. के दस्तावेजों के अनुसार यह कार्यशील पूंजी ऋण था और कंपनी ने ए.आर.आर. में तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण किया था।

2.11.5 उपभोक्ताओं को लाभ न देना

(क) एच.ई.आर.सी. (प्रसारण टैरिफ के निर्धारण के नियम एवं शर्तें) विनियम 2008 के अनुसार, कंपनी को ऋण की वापसी के लिए वास्तविक अवमूल्यन से ऊपर अवमूल्यन के विरुद्ध अग्रिम (ए.ए.डी.) के लिए अनुमति थी। मूल्यहास दरों में संशोधन के मद्देनजर, इन विनियमों को रद्द कर दिया गया और एच.ई.आर.सी. (एम.वाई.टी.) 2012 के साथ बदल दिया गया, जिसमें ए.ए.डी. संबंधी प्रावधान नहीं था। तदनुसार, एच.ई.आर.सी. ने 2012-13 के बाद ए.ए.डी. की अनुमति नहीं दी।

- कंपनी के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखाओं के अनुसार, एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ए.ए.डी. ₹ 182.34 करोड़ था जिसे भावी वर्षों में अवमूल्यन के विरुद्ध

समायोजित किया जाना था। तथापि, 2014-15 के दौरान कंपनी ने सामान्य रिजर्व में ₹ 182.34 करोड़ राशि का ए.ए.डी. इस आधार पर हस्तांतरित किया कि एच.ई.आर.सी. (एम.वाई.टी.) 2012 के विनियमों में ए.ए.डी. का कोई प्रावधान नहीं था।

- चूंकि ए.ए.डी. सामान्य अवमूल्यन से अधिक टैरिफ के माध्यम से पहले ही वसूल कर लिया गया था, उसे आगामी वर्षों में अवमूल्यन शीर्ष में समायोजित किया जाना चाहिए था और लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाना था।
- हालांकि एच.ई.आर.सी. ने टैरिफ के माध्यम से मूल्यहास के विरुद्ध ₹ 144.69 करोड़ (वित्त वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 61.19 करोड़, ₹ 41.75 करोड़ और ₹ 41.75 करोड़) की राशि के ए.ए.डी. को समायोजित किया, किंतु एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ₹ 37.65 करोड़ की राशि (नवंबर 2012) अब तक (मई 2020) उपभोक्ताओं को नहीं दी गई है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया। इस प्रकार, उपभोक्ताओं को ₹ 37.65 करोड़ के लाभ से वंचित किया गया।

(ख) कंपनी ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से कार्यशील पूंजी ऋण लिए थे (2001), जिन पर ब्याज की अनुमति एच.ई.आर.सी. द्वारा 2008-09 तक दी जा रही थी। तथापि, वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए ए.आर.आर. अनुमोदित करते समय एच.ई.आर.सी. ने उक्त ऋण पर ब्याज लागत यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया (मई 2009) कि ब्याज और ऋण की पूरी वापसी की अनुमति 2008-09 के दौरान पहले ही दी जा चुकी है।

- चूंकि कंपनी ब्याज माफी के लिए अनुसरण कर रही थी और ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं कर रही थी, एच.ई.आर.सी. ने कंपनी को इस ऋण पर पहले ही अर्जित ब्याज की माफी के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2010) ताकि इसे आगामी वर्षों में समायोजित किया जा सके।
- यद्यपि, एच.ई.आर.सी. ने 2009-18 के दौरान इस ऋण पर ब्याज अस्वीकार करना जारी रखा, कंपनी ने लेखाओं की किताबों में इस अवधि के दौरान ₹ 45.43 करोड़ की ब्याज देयता दर्ज की।
- 2017-18 के दौरान, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने ₹ 80.42 करोड़ का लंबित ब्याज माफ कर दिया तथापि, जैसा कि निर्देश था, कंपनी ने एच.ई.आर.सी. को इस बारे में सूचित नहीं किया। परिणामस्वरूप ₹ 34.99 करोड़ (₹ 80.42 करोड़ - ₹ 45.43 करोड़) का लाभ जिसकी अनुमति 2008-09 से पहले दी गई थी, उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा सका जिन पर अनुचित बोझ पड़ा।

प्रबंधन ने उत्तर में बताया (मई 2020) कि कार्यशील पूंजी पर ब्याज की अनुमति नियामक आधार पर थी, अतः अनुमत राशि देय नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ब्याज व्यय ए.आर.आर. के माध्यम से वसूल कर रही थी, अतः उसके बाद किसी भी ब्याज माफी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए था। आगे, कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के निर्दिष्ट निर्देश के बावजूद इस बारे में उसे सूचित नहीं किया।

2.12 लेखापरीक्षा परिणामों का प्रभाव

2.12.1 उपभोक्ताओं पर अत्यधिक भार

एच.ई.आर.सी., कंपनी द्वारा ए.आर.आर. के माध्यम से फाइल की गई कुल प्रसारण लागत के आधार पर टैरिफ की अनुमति देता है। इसलिए, कंपनी की ओर से अक्षमताओं के कारण किसी भी अनुचित दावे और उनकी बाद की गैर-आवश्यकता/छूट पर पूर्ववर्ती वर्षों में टैरिफ के माध्यम से एच.ई.आर.सी. द्वारा पहले ही अनुमत प्रसारण लागत घटकों के लाभ न देने के परिणामस्वरूप अधिक टैरिफ के जरिए उपभोक्ता पर अनुचित भार पड़ा। 2014-19 के दौरान, हरियाणा के उपभोक्ताओं पर ₹ 168.64 करोड़ का अधिक भार डाला गया था जैसाकि नीचे विस्तृत रूप में बताया गया है:

- कंपनी सब-स्टेशनों और संबंधित प्रसारण लाइनों के समकालिक समापन को सुनिश्चित नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर ₹ 67.33 करोड़ का अधिक भार पड़ा (अनुच्छेद 2.7.2.1 और 2.7.2.2)।
- ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में देरी और सब-स्टेशनों के कम उपयोग के कारण उपभोक्ताओं पर ₹ 6.71 करोड़ का भार पड़ा (अनुच्छेद 2.8.2)।
- सहभागी बिजली उपयोगिताओं के साथ खराब समन्वय के कारण उपभोक्ताओं पर ₹ 3.74 करोड़ का भार पड़ा (अनुच्छेद 2.9)।
- ए.आर.आर. फाइल करने में देरी के कारण लघु अवधि के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से ₹ 2.11 करोड़ की राशि वसूल नहीं की जा सकी, फलस्वरूप एच.ई.आर.सी. के नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को ₹ 1.58 करोड़ (75 प्रतिशत) का लाभ नहीं दिया जा सका (अनुच्छेद 2.11.1)।
- उपभोक्ता पर ₹ 16.64 करोड़ का भार था क्योंकि कंपनी ने पूंजीगत व्यय ऋण पर ब्याज के रूप में कार्यशील पूंजी पर अनुचित रूप से ब्याज का दावा किया (अनुच्छेद 2.11.4)।
- उपभोक्ताओं को ₹ 72.64 करोड़ के ए.ए.डी. के लाभ और ब्याज माफी प्रदान न करना (अनुच्छेद 2.11.5)।

2.12.2 कंपनी की लाभप्रदता में कमी

कंपनी की ओर से अक्षमताओं, जिनका भार उपभोक्ताओं पर डाला गया था, के अतिरिक्त कुछ अन्य अक्षमताएं थीं, जिन्होंने उपभोक्ताओं को प्रभावित नहीं किया, लेकिन 2014-19 के दौरान कंपनी के राजस्व और लाभप्रदता में ₹ 70.08 करोड़ की कमी हुई जैसाकि नीचे विस्तृत रूप में बताया गया है:

- टी.एस.ए. की अप्राप्ति से लाभ में ₹ 15.51 करोड़ की कमी हुई (अनुच्छेद 2.8.3)।
- लागत लाभ विश्लेषण किए बिना सरकारी गारंटी के विरुद्ध मध्यावधि ऋण लेने से ₹ 1.47 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ा (अनुच्छेद 2.10.3)।
- ए.आर.आर. के देरी से फाइल करने के परिणामस्वरूप अल्पावधि ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से ₹ 0.53 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की वसूली नहीं हुई (अनुच्छेद 2.11.1)।

- समय पर धारण लागत का दावा न करने से इसकी लाभप्रदता पर ₹ 8.27 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा (अनुच्छेद 2.11.2)।
- कार्यशील पूंजी मानदंडों का पालन न करने के परिणामस्वरूप टैरिफ के माध्यम से ₹ 44.30 करोड़ की वसूली नहीं हुई, जिससे इसकी लाभप्रदता कम हो गई (अनुच्छेद 2.11.4)।

2.12.3 पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की स्थिति और वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा का हिस्सा न बनना

कंपनी ने पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निम्नलिखित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में अपने निष्पादन में सुधार किया:

- कंपनी का प्रसारण घाटा 2014-15 के दौरान 2.62 प्रतिशत से घटकर 2018-19 के दौरान 2.05 प्रतिशत हो गया और 2017-19 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से भी कम था।
- 2014-19 के दौरान पूंजीगत व्यय पर कोई ब्याज निषेध नहीं था।
- कंपनी ने नियमित रूप से रिपेक्टिव ऊर्जा प्रभारों का दावा किया था।

निष्कर्ष

देरी के साथ बिजली उप-स्टेशनों के पूरा होने के संदर्भ में कंपनी की परियोजना योजना और निष्पादन खराब था। इसके पीछे पूर्व परियोजना गतिविधियां जैसे कि भूमि का अधिग्रहण, साइट सौंपना, ठेकेदारों को अनुमोदित ड्राईंग्स प्रदान करना, वन मंजूरी और अनुबंध के अनुसार दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई न करना आदि प्रमुख कारक थे।

कंपनी सब-स्टेशनों संबद्ध प्रसारण लाइनों की पूर्णता एक साथ सुनिश्चित नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध कार्य की पूर्णता तक पूर्ण कार्य का उपयोग नहीं हुआ। कंपनी ने 2014-19 के दौरान पंजाब और राजस्थान की तुलना में उच्च प्रसारण लागत वहन की। कंपनी द्वारा परियोजना लागत को कम करने के लिए सब-स्टेशनों और प्रसारण लाइनों का समय पर चालूकरण सुनिश्चित करके, विभिन्न खातों पर की गई अतिरिक्त लागत को नियंत्रित करके और विश्व बैंक के सस्ते ऋण का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करके प्रसारण लागत को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एच.ई.आर.सी. को देरी के साथ ए.आर.आर. फाइल किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रसारण प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

सब-स्टेशनों और प्रसारण लाइनों की गैर-तुल्यकालिक कमीशनिंग, प्रसारण क्षमता के कम उपयोग, उपभोक्ताओं को मूल्यहास और ब्याज माफी के विरुद्ध अग्रिम के लाभ प्रदान न करने के कारण कंपनी की अक्षमता हेतु 2014-19 के दौरान उपभोक्ताओं पर ₹ 168.64 करोड़ का अनुचित भार डाला गया। इसके अतिरिक्त, टैरिफ में आयोग द्वारा ₹ 70.08 करोड़ की राशि को अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसे कंपनी द्वारा अपनी लाभप्रदता को कम करके वहन किया जाना था। चूंकि लेखापरीक्षा परिणाम अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित हैं, यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी परिचालन के सभी क्षेत्रों में जांच शुरू करे और इसकी दक्षता एवं लाभप्रदता में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय करे।

सिफारिशें

उपर्युक्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर हम सिफारिश करते हैं कि कंपनी:

- परियोजना की गतिविधियों के विभिन्न चरणों में निश्चित समयसीमा का पालन करने के लिए परियोजना नियोजन की प्रणाली को कारगर बनाए और परियोजना के संबंध में कोई वित्तीय प्रतिबद्धता बनाने से पहले भूमि की आवश्यक मंजूरी और भौतिक कब्जा सुनिश्चित करे;
- उचित योजना और निगरानी के माध्यम से सब-स्टेशनों और लाइनों का समन्वित चालूकरण सुनिश्चित करना, और दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई शुरू करे;
- पॉवर ट्रांसफार्मर एवं अन्य प्रसारण उपकरणों की क्षति दर को कम करने और लगातार आधार पर प्रसारण प्रणाली की उपलब्धता में सुधार करने के लिए उनके निवारक रख-रखाव और मरम्मत के लिए मजबूत प्रणाली स्थापित करे;
- तुलनात्मक रूप से सस्ते वित्तपोषण विकल्पों का पूर्ण उपयोग, परिश्रम लागत उधार लेने में लाभ विश्लेषण और लाभप्रदता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए अपने वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करे;
- परियोजना और वित्तीय प्रबंधन में अक्षमताओं को नियंत्रित करके अपनी प्रसारण लागत को कम करे, और बिजली के निर्बाध बहाव को सुनिश्चित करने के लिए वितरण उपयोगिताओं के साथ समन्वय बढ़ाए;
- एच.ई.आर.सी. के पास सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) को समय पर प्रस्तुतिकरण और प्रसारण प्रभागों की वसूली सुनिश्चित करे;
- उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन और निवेश की आवश्यकता के लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति के उद्देश्य की तर्ज पर कंपनी और हरियाणा सरकार डिस्कॉम/हरियाणा विद्युत् विनियामक आयोग के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करे कि राज्य उपभोक्ताओं पर विद्युत सेवाओं की कमियों का अनुचित भार न पड़े।

मामला सरकार के पास भेजा गया (फरवरी 2020), उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2020)।

अध्याय-3

विद्युत क्षेत्र - अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

अध्याय 3

3 विद्युत क्षेत्र - अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

राज्य सरकार की विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की नमूना-जांच से उपलब्ध महत्वपूर्ण परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित हैं:

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.1 परिहार्य व्यय

कंपनी ने 2016-17 के दौरान कोयले के कम उठान के लिए मुआवजे के रूप में ₹ 27.29 करोड़ का भुगतान किया, क्योंकि इसने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की संशोधित परिचालन आवश्यकता के अनुरूप कोल इंडिया लिमिटेड के साथ कोयले की वार्षिक अनुबंधित मात्रा में कमी के लिए समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) के आठ यूनिटों (1,360 मेगावाट क्षमता) की कोयला आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 66 लाख टन¹ की कुल वार्षिक अनुबंधित मात्रा (ए.सी.क्यू.) के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) की तीन सहायक कंपनियों के साथ दीर्घकालिक कोयला आपूर्ति अनुबंध (सी.एस.ए.) किए थे। सी.एस.ए. के नियम और शर्तों के अनुसार, यदि किसी वर्ष में कोयला उठाने का स्तर ए.सी.क्यू. के 90 प्रतिशत से नीचे रहता तो क्रेता कम कोयला उठाने के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय (9 दिसंबर 2015) के अनुसार कंपनी ने 9 दिसंबर 2015 से पी.टी.पी.एस. की यूनिट 1 से 4 (440 मेगावाट क्षमता) को हटा दिया, क्योंकि इन यूनिटों के व्यावसायिक उपयोगी जीवन समाप्त हो गए थे। इन यूनिटों को उनकी उच्च लागत के कारण शेड्यूल² नहीं मिल रहा था और अंत में जनवरी 2016 में बंद कर दिया गया था। इकाइयों के बंद होने से कोयले की आवश्यकता कम हुई। परिणामतः, कंपनी को सी.एस.ए. के संदर्भ में कोयले के कम उठाने के लिए मुआवजे के भुगतान से बचने के लिए अपने ए.सी.क्यू. को कम करने के लिए समय पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने संयंत्र की क्षमता में कमी के मद्देनजर कोयले की आवश्यकता का आकलन नहीं किया और ए.सी.क्यू. कम कराने के लिए सक्रिय उपाय नहीं किए। ऐसा 24 जून 2016 को ही किया गया, जब सी.आई.एल. ने एकतरफा तौर पर पी.टी.पी.एस. के ए.सी.क्यू. को 66 लाख टन से घटाकर 44.65 लाख टन करने का फैसला किया, इसी प्रकार सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा को भी बदल दिया गया। कंपनी ने सी.आई.एल. के साथ बैठक में जोर दिया (29 जुलाई 2016) कि पी.टी.पी.एस. के लिए सी.सी.एल. का ए.सी.क्यू. बरकरार रखा जाए और इसके एवज में बी.सी.सी.एल. के ए.सी.क्यू. को समान रूप से कम किया जाए। इस बीच, सी.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. ने जून 2016

¹ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.): 33.50 लाख टन, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.): 29.50 लाख टन और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.): 3 लाख टन।

² लागत के आधार पर बिजली की खरीद के लिए डिस्कॉम्स द्वारा तैयार किया गया योग्यता क्रम।

में सी.आई.एल. द्वारा तय किए गए ए.सी.क्यू. के लिए साइड एग्रीमेंट के निष्पादन के लिए कंपनी से अनुरोध किया (जुलाई-अगस्त 2016)।

कंपनी ने राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद (6 जनवरी 2017) 22.65 लाख टन की कम मात्रा के लिए बी.सी.सी.एल. के साथ साइड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया (9 सितंबर 2016)। 22.65 लाख टन के घटाए गए ए.सी.क्यू. के लिए साइड एग्रीमेंट को बी.सी.सी.एल. के साथ निष्पादित किया गया था (18 जनवरी 2017)। सी.आई.एल. ने पी.टी.पी.एस. के कोयला स्रोतों को और अधिक युक्तिसंगत बनाया (मार्च 2017) और सी.सी.एल. के साथ (26.65 लाख टन के घटे हुए ए.सी.क्यू. के लिए) और बी.सी.सी.एल. (आगे घटने वाले 15 लाख टन ए.सी.क्यू. के लिए) साइड एग्रीमेंट्स पर क्रमशः 30 मार्च 2017 और 12 मई 2017 को हस्ताक्षर किए गए, जो 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी थे। इस प्रकार, कम मुआवजे के रूप में कम ए.सी.क्यू. का पूर्ण लाभ 2017-18 से प्राप्त किया जा सका।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कम कोयला उठाने के मुआवजे के रूप में बी.सी.सी.एल. को ₹ 58.07 करोड़ का भुगतान किया। यदि कंपनी ने ए.सी.क्यू. में कमी के लिए दिसंबर 2015 में अपनी यूनिटों की डी-कमीशनिंग के तुरंत बाद सी.आई.एल. के साथ मिलकर मामला उठाया होता और 15 लाख टन की आवश्यकता के दृष्टिगत 1 अप्रैल 2016 से साइड एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए होते तो 2016-17 में कम उठान के लिए ₹ 27.29 करोड़³ के मुआवजे के भुगतान से बचा जा सकता था।

सरकार ने बताया (जून 2019) कि पुरानी यूनिटों को हटाने के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमोदन पूर्व-अपेक्षित था और उसके बाद ही कोयले की अनुबंधित मात्रा को कम किया जा सकता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने दिसंबर 2015 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सितंबर 2015 की सिफारिश के बाद पी.टी.पी.एस. की 1 से 4 इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया था। इसके अलावा, अप्रैल 2016 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी देश की स्थापित क्षमता से सेवानिवृत्त इकाइयों की क्षमता को हटाने के लिए थी, जिसने कंपनी को सी.आई.एल. के साथ ए.सी.क्यू. के संशोधन के मामले को उठाने से नहीं रोका। यह देखा जा सकता है कि कंपनी त्वरित पहलों के साथ अपने हितों को सुरक्षित करने में विफल रही, और पूरी तरह से सी.आई.एल. की पहल पर निर्भर थी। इस निष्क्रिय दृष्टिकोण के कारण वर्ष 2016-17 के दौरान आवश्यक मात्रा में संशोधन नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप सी.आई.एल. के लाभ के लिए जुर्माने का भुगतान किया गया।

यह सिफारिश की जाती है कि मामले में कंपनी की देरी से कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी नियत की जाए।

³ ₹ 58.07 करोड़ (2016-17 के लिए 22 लाख मीट्रिक टन ए.सी.क्यू. के साथ बी.सी.सी.एल. को कम उठाने के लिए भुगतान किया गया वास्तविक मुआवजा) - ₹ 30.78 करोड़ (यदि ए.सी.क्यू. 15 लाख मीट्रिक टन तक कम हो गया होता तो देय मुआवजा)।

3.2 जनरेटर ट्रांसफार्मर की अवैध खरीद

कंपनी ने अपने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन के लिए ₹ 9.35 करोड़ मूल्य के जनरेटर ट्रांसफॉर्मर की अविवेकशील खरीद की।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कंपनी) ने यूनिट-5 के मौजूदा जनरेटर ट्रांसफॉर्मर (जी.टी.)⁴ के खराब हो जाने (अप्रैल 2013) तथा इसकी उपयोगिता अवधि को ध्यान में रखते हुए ₹ 7.64 करोड़ (माल दुलाई और करों को छोड़कर) की लागत से पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) के यूनिट-5⁵ में (यूनिट-6⁶ में उपयोग की वैकल्पिक व्यवस्था के साथ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) से नए जी.टी. की खरीद के लिए खरीद आदेश (पी.ओ.) जारी किया (जून 2014)। पी.ओ. के नियम और शर्तों में बताया गया था कि भेल वितरण कार्यक्रम का सख्त अनुपालन करते हुए जी.टी. की आपूर्ति करेगा और यदि डिलीवरी अवधि के भीतर इसकी आपूर्ति करने में विफल रहा, तो कंपनी को कम दरों पर भी इसकी आपूर्ति को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। भेल को 8 अक्टूबर 2015 तक जी.टी. डिलीवर करना था। लेकिन भेल केवल 15 दिसंबर 2015 को जी.टी. पूर्व-डिस्पैच निरीक्षण के लिए प्रस्तुत कर सका, जोकि निर्धारित वितरण अवधि के उपरांत था।

इस बीच, कंपनी ने यूनिट-5 के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण हेतु बॉयलर टरबाइन जनरेटर के अवशिष्ट जीवन का मूल्यांकन करने के लिए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) को उसकी मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवंबर 2015)। हालांकि, एच.ई.आर.सी. ने कंपनी के प्रस्ताव को खारिज (मार्च 2016) कर दिया, जिसमें बताया गया था कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (दिसंबर 2015) संशोधित उत्सर्जन मानकों के आलोक में इतनी पुरानी यूनिट के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पर किए जाने वाले व्यापक पूंजीगत व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

मई 2016 में कंपनी ने पाया कि कम मांग के कारण पी.टी.पी.एस. की यूनिट-5 और 6 छः से आठ महीने की अवधि के लिए बंद रहीं और जी.टी. की खरीद का उच्च वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, इसलिए, भेल से यह पुष्टि करने के लिए कहा गया (मई 2016) कि क्या इस जी.टी. की आवश्यकता किसी अन्य बिजली उपयोगिता में थी। भेल ने बताया (मई 2016) कि उक्त जी.टी. किसी अन्य बिजली उपयोगिता की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएगा। अतः कंपनी ने अनुबंध की बाध्यता का हवाला देते हुए जी.टी. की डिलीवरी को स्वीकार करने का निर्णय लिया (अगस्त 2016), हालांकि, कंपनी विलंबित प्रस्ताव के कारण इसे स्वीकार करने से मना कर सकती थी। भेल ने 26 अक्टूबर 2016 को जी.टी. की आपूर्ति की। चूंकि जी.टी. की वारंटी अवधि (18 माह) 23 मार्च 2018 को समाप्त होने वाली थी, कंपनी ने पी.टी.पी.एस. में इसकी प्राप्ति के 16 माह बाद यूनिट-6 पर वर्तमान में कार्य कर रहे जी.टी. को हटाकर ₹ 9.35⁷ करोड़ की लागत से नया जी.टी. स्थापित किया (9 मार्च 2018)।

⁴ जनरेटर ट्रांसफार्मर पावर स्टेशन और प्रसारण नेटवर्क के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। यह जनरेटर आउटपुट को ग्रिड से जोड़ता है। प्रत्येक निर्माण यूनिट के लिए एक जी.टी. होता है।

⁵ 28 मार्च 1989 को चालू किया गया।

⁶ 31 मार्च 2001 को चालू किया गया।

⁷ मूल दाम: ₹ 7.64 करोड़, उत्पाद शुल्क: ₹ 95.50 लाख, केंद्रीय बिक्री कर: ₹ 17.19 लाख, माल दुलाई प्रभार: ₹ 22.50 लाख और मौजूदा जी.टी. को हटाना और नए जी.टी. को स्थापित करना, जांचना और चालू करना: ₹ 35.99 लाख।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी इस तथ्य से भली-भांति अवगत थी कि राज्य बिजली वितरण कंपनियों को सस्ती दरों⁸ पर बिजली की उपलब्धता के कारण बिजली की मांग का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया था, जिसके परिणामस्वरूप इस निवेश के बावजूद यूनिट बंद रहती। इसके अतिरिक्त, एच.ई.आर.सी. ने मार्च 2016 में पुरानी यूनिट पर नवीनीकरण और आधुनिकीकरण व्यय को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया और कंपनी पी.ओ. की शर्तों के अनुसार देरी से डिलीवरी की स्वीकृति से इनकार करने का अधिकार रखती थी लेकिन इसने इसका उपयोग नहीं किया। इस प्रकार, घटाई गई वारंटी अवधि के साथ जी.टी. के विलंबित वितरण को स्वीकार करने का कंपनी का निर्णय अनुचित था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.35 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सरकार ने बताया (मई 2019) कि डिलीवरी की निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद जी.टी. को स्वीकार करने के निर्णय की उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण ढंग से समीक्षा की गई थी और प्रबंधन द्वारा यूनिट-5 की तुलना में यूनिट-6 के अधिक चलने के पूर्वानुमान के दृष्टिगत यूनिट-6 में भविष्य के उपयोग हेतु इस जी.टी. की खरीद का निर्णय लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब तक भेल ने पूर्व-डिस्पैच निरीक्षण के लिए जी.टी. प्रस्तुत किया था (दिसंबर 2015), तब तक अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली की उपलब्धता के कारण बिजली की मांग का परिदृश्य बदल गया था। इसके अतिरिक्त, यूनिट-6 के मूल रूप से स्थापित जी.टी. ने कुल 25 वर्षों के उपयोगी सेवाकाल में से केवल 16 वर्ष पूरे किए थे और यह सुचारू ढंग से कार्य कर रहा था। अतः नए जी.टी. की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, आपूर्ति में हुई देरी को स्वीकार करते हुए, कंपनी ने पी.ओ. में दर्ज अधिकारों के साथ-साथ अपने वित्तीय हित की अवहेलना की।

यह सिफारिश की जाती है कि प्रबंधन जी.टी. की अविवेकशील खरीद के लिए उत्तरदायित्व नियत करे।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.3 ठेकेदार को अनुचित लाभ

कंपनी ने अनुबंध में सहमत हुए कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि की गणना के आधार को बदल दिया और ठेकेदार को ₹ 1.97 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया।

कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानि को कम करने के लिए, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने ई-निविदाएं आमंत्रित करने के बाद, रानियां शहर फीडर के ऑपरेशन सर्कल सिरसा के अंतर्गत, एक वर्ष (2016-17) की अवधि के लिए अतिरिक्त राजस्व साझेदारी के आधार पर खुदरा आपूर्ति फ्रेंचाइजी के लिए मैसर्स राज एसोसिएट्स, सिरसा (ठेकेदार) को नियुक्त किया (अप्रैल 2016)। निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.)/कार्य आदेश की शर्तें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करते थे कि:

⁸ सासन पावर लिमिटेड अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की चार यूनिट, जिनमें हरियाणा का आवंटन 445.5 मेगावाट था, अप्रैल 2014, मई 2014, दिसंबर 2014 और मार्च 2015 में चालू की गई थीं। मई 2015 में सासन द्वारा उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत ₹ 1.15 थी जबकि यह पी.टी.पी.एस. की यूनिट 5 और 6 के लिए ₹ 3.71 थी।

- ठेकेदार, मासिक वसूलियों, संग्रह दक्षता और ए.टी. एंड सी. हानि के डाटा को मान्य करने के लिए स्वयं तत्परता रख सकता है और कंपनी तथा ठेकेदार संयुक्त रूप से बेस लाइन डाटा की गणना के लिए कार्य करेंगे।
- बोली प्रस्तुत करने से पहले, बोली लगाने वाले क्षेत्र का निरीक्षण और जांच कर सकते हैं और क्षेत्र की स्थितियों के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकते हैं तथा बोली या नियमों और शर्तों में बदलाव के लिए इस आधार पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा कि दर्ज परिस्थितियां भिन्न थीं।
- बेस हानि के स्तर को अंतिम रूप देने के बाद, पहली तिमाही में यह 10 प्रतिशत कम हो और शेष तीन तिमाहियों में पांच प्रतिशत घट जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी हानि घटाने के लक्ष्य की उपलब्धि/आंशिक उपलब्धि होने की स्थिति में ठेकेदार को 30/20 प्रतिशत वृद्धिशील राजस्व के साथ सांझा करेगी।
- बेस ए.टी. एंड सी. हानि स्तर से हानि में वृद्धि होने पर या कमी प्रक्षेपक के अनुरूप लक्ष्य हानि की गैर-उपलब्धि पर, निर्धारित फार्मुलों के अनुसार ठेकेदार से जुर्माना वसूला जाना था। हानि कम करने के लक्ष्य की उपलब्धि/गैर-उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन/जुर्माना का त्रैमासिक आधार पर मूल्यांकन किया जाना था।

कंपनी और ठेकेदार द्वारा संयुक्त रूप से बेस ए.टी. एंड सी. हानि का स्तर 44.4 प्रतिशत⁹ तय किया गया था। हालांकि, 2016-17 की पहली और दूसरी तिमाही में वास्तविक ए.टी. एंड सी. हानि क्रमशः 58.45 प्रतिशत और 65.16 प्रतिशत थी। इस प्रकार, कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार ठेकेदार पर ₹ 2.53 करोड़¹⁰ का जुर्माना लगाया जाना था। चूंकि तीसरी और चौथी तिमाही में इस तरह की हानि क्रमशः (-) 0.02 प्रतिशत और 13.04 प्रतिशत दर्ज की गई थी, इन तिमाहियों के लिए ठेकेदार के साथ सांझा किया जाने वाला वृद्धिशील राजस्व ₹ 0.40 करोड़¹¹ था। इस प्रकार, ठेकेदार से ₹ 2.13 करोड़ (₹ 2.53 करोड़ - ₹ 0.40 करोड़) की निवल राशि वसूल की जानी थी। कंपनी ने ठेकेदार को 15 दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा करने के लिए कहा (12 अप्रैल 2017)।

ठेकेदार ने भुगतान करने की बजाय यह याचना प्रस्तुत की कि उसे तिमाही विवरण के आधार पर दंडित किया गया है, जबकि अनुबंध का आधार रेखा डाटा पूरे वर्ष के लिए था। कंपनी ने माना कि डिस्कॉम परिचालनों में शामिल मौसमी प्रभाव के मद्देनजर हर तिमाही में हानि के स्तर की पिछले वर्ष की इसी तिमाही के साथ तुलना की जानी चाहिए और केवल ₹ 15.74 लाख का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया (8 दिसंबर 2017) जो ठेकेदार द्वारा जमा किया गया (02 अप्रैल 2018)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने अनुबंध के नियमों और शर्तों को बाद में बदलकर जुर्माना राशि ₹ 2.13 करोड़ से मात्र ₹ 15.74 लाख तक घटाकर ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया। ठेकेदार को अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक के ए.टी. एंड सी. हानि के आंकड़ों के बारे में पता था, जिसके आधार पर ए.टी. एंड सी. हानि को अनुमानित किया गया था, जोकि अनुबंध में भी दर्शाया गया था। एन.आई.टी. की शर्तें ठेकेदार को स्पष्ट रूप से बताती हैं कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले वह पूरी तत्परता के साथ क्षेत्र की

⁹ अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 (10 माह) तक मासिक ए.टी. एंड सी. हानियों का औसत।

¹⁰ पहली तिमाही के लिए ₹ 0.85 करोड़ और दूसरी तिमाही के लिए ₹ 1.68 करोड़।

¹¹ तीसरी तिमाही के लिए ₹ 0.27 करोड़ और चौथी तिमाही के लिए ₹ 0.13 करोड़।

स्थिति का निरीक्षण करे। बाद में, अनुबंध की शर्तों में किसी ढील को अनुचित लाभ समझा जाएगा।

प्रबंधन ने बताया (जून 2019) कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत याचना पर, निदेशक मंडल ने जुर्माना लगाने तथा वृद्धिशील राजस्व साझा करने के लिए बेस लाइन डाटा की बजाय पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ए.टी. एंड सी. हानि के साथ तिमाही ए.टी. एंड सी. हानि की तुलना करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने ए.टी. एंड सी. हानि की गणना के लिए वास्तविक आधार बदल दिया और अनुबंध की शुरुआत में की गई आधार हानि गणना (44.4 प्रतिशत) निरर्थक हो गई, जो अनुबंध का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है।

यह मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (अक्टूबर 2019); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि खुदरा आपूर्ति फ्रेंचाइजी समझौते में प्रवेश करने से पहले कंपनी अनुबंध की शर्तों के औचित्य को सुनिश्चित करे और समझौता होने के बाद उसी का सख्ती से पालन करे।

3.4 सहमत विनिर्देशों के अनुरूप न होने पर केबल की स्वीकृति

कंपनी ने ₹ 53.15 लाख मूल्य के 35.268 कि.मी. केबल स्वीकार किए जो खरीद आदेश में निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।

डी.एच.बी.वी.एन.एल. (कंपनी) ने रेट कॉन्ट्रैक्ट आधार पर ₹ 2.98 करोड़ की कुल लागत पर क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलीन इन्सुलेशन के साथ अलग-अलग विवरण और मात्राओं के लो टेंशन (एल.टी.) एरियल बंड केबल की खरीद के लिए एक फर्म को खरीद आदेश (पी.ओ.) दिया (जनवरी और मार्च 2016)। सामग्री की आपूर्ति ऑर्डर की गई मात्रा के 20 प्रतिशत के पांच बराबर लॉट में सप्लाई की जानी थी। पी.ओ. की नियम एवं शर्तों में यह प्रावधान किया गया था कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज (एन.ए.बी.एल.) एक्रीडिटड लेबोरेटरी द्वारा सैंपल पास करने के बाद ही केबलों के प्रत्येक लॉट को स्वीकार किया जाएगा और फील्ड ऑफिस को जारी किया जाएगा। हालांकि, तात्कालिकता के मामले में, विक्रेता से इस बात की लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले सामग्री जारी की जा सकेगी, कि नमूने की विफलता के स्थिति में वह प्रतिस्थापन लागत वहन करेगा। इसके अतिरिक्त, अस्वीकृत लॉट की लागत के 10 प्रतिशत की दर पर लिक्विडेटेड डैमेज (एल.डी.) लगाया जाना था।

फर्म से ली गई लिखित सहमति (सितंबर 2016) के आधार पर एन.ए.बी.एल. परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले पांच लॉटों में प्राप्त किए गए ₹ 67.53 लाख मूल्य के 56.689 कि.मी. केबल में से ₹ 42.02 लाख के मूल्य के 25.464 कि.मी. केबल फील्ड ऑफिस को जारी किए गए थे। कंपनी के भंडारों में प्राप्त की गई, उपयोग की गई और पड़ी हुई केबलों की

पी.ओ.-वार मात्रा और मूल्य के विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 3.1: भंडारों में प्राप्त, प्रयुक्त और पड़े हुए केबलों के विवरण

पी.ओ. की संख्या और तिथि	कुल प्राप्त सामग्री		एन.ए.बी.एल. परीक्षण रिपोर्ट से पहले फील्ड में प्रयुक्त सामग्री		भंडारों में पड़ी अप्रयुक्त सामग्री	
	मात्रा (किमी)	लागत (₹ लाख में)	मात्रा (किमी)	लागत (₹ लाख में)	मात्रा (किमी)	लागत (₹ लाख में)
डी.एच.-1290 जनवरी 2016	40.786	59.42	23.018	40.77	17.768	18.64
डी.एच.-1313 मार्च 2016	15.903	8.11	2.446	1.25	13.457	6.87
कुल	56.689	67.53	25.464	42.02	31.225	25.51

स्रोत: कंपनी के अभिलेखों से संकलित डाटा

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि इन लॉट्स के केबलों के नमूने विफल हो गए (अक्टूबर 2016) क्योंकि उनका इन्सुलेशन 15 मिनट की निर्दिष्ट समय सीमा से पहले पिघल गया था। हालांकि कंपनी ने उक्त नमूनों की विफलता के बारे में फर्म को सूचित किया (अक्टूबर 2016), किंतु इसने फर्म से केबलों के पूरे स्टॉक अर्थात् प्रयुक्त के साथ-साथ अप्रयुक्त केबलों को बदलने के लिए नहीं कहा। हालांकि, बाद में इसने 31.225 किलोमीटर केबलों की केवल अप्रयुक्त अस्वीकृत सामग्री की लागत (₹ 25.51 लाख) और संपूर्ण अस्वीकृत सामग्री की लागत के 10 प्रतिशत पर एल.डी. जमा करने के लिए फर्म को नोटिस जारी किया (जनवरी 2017)। चूंकि फर्म ने अनुपालन नहीं किया, कंपनी ने उसके ₹ 44.79 लाख की बैंक गारंटी (बी.जी.) का नकदीकरण कर लिया (मई 2017)।

इस बीच, फर्म ने एक मुकद्दमा दायर किया (21 जनवरी 2017) कि कंपनी ने उन्हें दोषों को ठीक करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया और चूंकि कंपनी आंशिक मात्रा को अस्वीकार नहीं कर सकती थी, बी.जी. का नकदीकरण अवैध था। हालांकि, 'कोर्ट से बाहर सेटलमेंट' (जून 2018) में, फर्म संपूर्ण अस्वीकृत सामग्री की लागत का 10 प्रतिशत एल.डी. शुल्क (₹ 6.75 लाख) के लिए और अप्रयुक्त अस्वीकृत सामग्री की लागत (₹ 25.51 लाख) के लिए सहमत हुई जिससे कंपनी द्वारा बी.जी. का प्रतिसंहरण किया जा सके। कंपनी के स्टोर से फर्म द्वारा अस्वीकृत केबल उठाने के दौरान यह पता चला (दिसंबर 2018) कि 9.804 किमी अस्वीकृत केबल (₹ 11.13 लाख के मूल्य का), जिसकी पहले निगम के जींद स्टोर में पड़े होने की सूचना दी गई थी, कंपनी द्वारा इन केबलों को जारी न करने के लिए दिए गए निर्देश (अक्टूबर 2016) के बाद भी फील्ड कार्यालयों को जारी किए गए थे।

कंपनी ने पूरे लॉट की प्रतिस्थापन लागत को वसूल करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता का शपथ-पत्र होने के बावजूद बिछाए गए केबलों सहित नमूना एन.ए.बी.एल. परीक्षण में विफल रहा, और केवल 10 प्रतिशत एल.डी. प्रभारित करके ₹ 53.15 लाख मूल्य के 35.268 कि.मी. अवमानक केबलों को स्वीकार किया गया, जो कि खरीद आदेश की शर्तों के अनुसार, दोषपूर्ण सामग्री के प्रतिस्थापन के अतिरिक्त उद्ग्राह्य था। इसके अतिरिक्त, घटिया केबलों को बिछाकर, कंपनी ने अपनी मूलभूत संरचना की प्रभाविकता और सुरक्षा की अनदेखी की।

कंपनी ने बताया (नवंबर 2019) कि एन.ए.बी.एल. परीक्षण में खराब केबलों को फिर हटाना संभव नहीं था क्योंकि यह ठीक केबलों के साथ मिल गए थे और फील्ड में टुकड़ों में उपयोग

किए गए थे। इसके अतिरिक्त, उक्त केबलों की वारंटी अवधि नवंबर 2017 तक थी और फील्ड से कोई शिकायत नहीं मिली थी। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वारंटी अवधि उस सामग्री की होती है जो मानदंड के अनुरूप हो और अब तक शिकायत प्राप्त न होना इस बात की गारंटी नहीं है कि 25 वर्ष की उपयोग अवधि के दौरान केबल के आंतरिक दोष के कारण कोई समस्या नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा नमूना विफलताओं के मामले में प्रतिस्थापन लागत वहन करने के लिए फर्म के उपक्रम के आधार पर एन.ए.बी.एल. परीक्षण के परिणाम से पहले सामग्री का उपयोग करने के लिए पी.ओ. के अंतर्गत अधिकार का प्रयोग करते हुए, शपथ-पत्रों को लागू करने और अपने हित की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

यह मामला सरकार के पास भेजा गया था (जून 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी अपने वाणिज्यिक हित को पूरा करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त शपथ-पत्रों के प्रवर्तन से संबंधित अपनी मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा करे।

3.5 उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा में संशोधन न होने के कारण हानि

एच.ई.आर.सी. के विनियमों के अनुरूप प्रतिभूति जमा न रखने के कारण कंपनी को ₹ 72.50 लाख का नुकसान उठाना पड़ा।

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2014¹² में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, लाइसेंसधारक (अर्थात् डिस्कॉम) प्रतिभूति जमा (अग्रिम खपत जमा- ए.सी.डी.) की उपयुक्तता के लिए उपभोक्ता के पिछले वर्ष के अप्रैल से मार्च तक के उपभोग पैटर्न की समीक्षा करेगा और ग्राहक को दो बिलिंग चक्रों की अवधि के लिए औसत भुगतान¹³ के बराबर जमा राशि बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) के सिरसा ऑपरेशन सर्कल में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- (i) एक बड़े आपूर्ति उपभोक्ता¹⁴ को 1,100.395 किलोवाट कनेक्टेड लोड का कनेक्शन दिया गया था (फरवरी 2013) जिसे 1,797.159 किलोवाट तक बढ़ाया गया था (अक्टूबर 2013)। इस कनेक्शन के लिए कंपनी ने ₹ 13.49 लाख का ए.सी.डी. जमा करवाया था, हालांकि, एच.ई.आर.सी. के विनियम 2014 के अनुसार, ए.सी.डी. को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वास्तविक बिलों के आधार पर 1 अप्रैल 2014 को संशोधित किया जाना था, जो ₹ 57.49 लाख परिकलित किया गया। उपभोक्ता ने दिसंबर 2014 से बकाया के भुगतान में चूक की और कंपनी ने 30 जनवरी 2015 को कनेक्शन काट दिया। उस समय तक, चूक की राशि बढ़कर ₹ 134.07 लाख हो गई और ₹ 13.49 लाख के उपलब्ध ए.सी.डी. को समायोजित करने के बाद, भुगतान न की गई राशि ₹ 120.58 लाख परिकलित हुई।

¹² 8 जनवरी 2014 को अधिसूचित।

¹³ औसत भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए वास्तविक बिलों के औसत के बराबर होगा।

¹⁴ उपभोक्ता खाता संख्या ए.एच.एच.टी. - 0001

- (ii) इसी प्रकार, एक अन्य बड़े आपूर्ति उपभोक्ता¹⁵ को जून 1992 में 822.766 किलोवाट के कनेक्टेड लोड के साथ कनेक्शन प्रदान किया गया था, जिसे 1,119.301 किलोवाट तक बढ़ाया गया था (सितंबर 2012)। कंपनी का कुल ए.सी.डी. ₹ 20.35 लाख था जो दिसंबर 2013 में परिकलित किया गया था लेकिन नवंबर 2014 तक किश्तों में एकत्र किया गया था। हालांकि, एच.ई.आर.सी. के विनियम 2014 के अनुसार, ए.सी.डी. को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वास्तविक बिलों के आधार पर 1 अप्रैल 2014 को संशोधित किया जाना था, जो ₹ 48.85 लाख परिकलित किया गया। दिसंबर 2014 से उपभोक्ता के भुगतान में चूक हुई और कंपनी ने 30 जनवरी 2015 को कनेक्शन काट दिया। उस समय तक कुल बकाया बढ़कर ₹ 50.24 लाख हो गया और ₹ 20.35 लाख की उपलब्ध ए.सी.डी. को समायोजित करने के बाद कुल भुगतान न की गई राशि ₹ 29.89 लाख परिकलित हुई।

कंपनी ने ₹ 150.47 लाख (₹ 120.58 लाख और ₹ 29.89 लाख) के अपने भुगतान न किए गए बिजली प्रभारों की वसूली के लिए संबंधित कनेक्शनों के संबद्ध जमानतियों को नोटिस जारी किए (4 मार्च 2015)। हालांकि जमानतियों ने कंपनी द्वारा उनके खिलाफ प्रतिरोधात्मक कार्रवाई न करने और बिजली प्रभारों की बकाया चूक राशि को उनके खाते में हस्तांतरित ना करने के लिए अदालत में प्रार्थना की (मार्च 2015), जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी थी (जुलाई 2015)। जमानती भी जनवरी 2017 और नवंबर 2017 के दौरान चूककर्ता बन गए तथा जनवरी 2018 में कंपनी द्वारा उनके भी कनेक्शन काट दिए गए। तब से, कंपनी द्वारा बिक्री नियमावली (निर्देश संख्या 7.3) के पालन में, जिसके अनुसार हरियाणा विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया वसूली का नियम है, अपने बकाया की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि कंपनी को वर्ष 2013-14 के उपभोग पैटर्न के आधार पर 2014-15 के दौरान दोनों उपभोक्ताओं से ₹ 106.34 लाख (₹ 57.49 लाख और ₹ 48.85 लाख) का ए.सी.डी. रखने की आवश्यकता थी, कंपनी के पास केवल ₹ 33.84 लाख (₹ 13.49 लाख और ₹ 20.35 लाख) का ए.सी.डी. था। इसने एच.ई.आर.सी. के विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं से ₹ 72.50 लाख (₹ 106.34 लाख - ₹ 33.84 लाख) का अतिरिक्त ए.सी.डी. प्राप्त नहीं किया। यदि कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के नियमों के अनुसार अप्रैल 2014 में ए.सी.डी. को संशोधित किया होता, तो अवसूली को ₹ 72.50 लाख की सीमा तक कम किया जा सकता था।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2019) कि उपभोक्ताओं के ए.सी.डी. पहले से ही पुराने निर्देशों के अनुसार संशोधन के अधीन थे और नए नियम जनवरी 2014 में अधिसूचित किए गए थे लेकिन ये 1 अप्रैल 2014 को एस.ई./वाणिज्यिक द्वारा परिचालित किए गए थे। फिर, यह अनुमान लगाया गया कि अगला संशोधन 1 अप्रैल 2015 को होगा। तथापि, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक उपभोक्ता के ए.सी.डी. को संशोधित/अद्यतन करना आसान नहीं था, लेकिन अब, ए.सी.डी. को बिलिंग प्रणाली द्वारा स्वचालित रूप से संशोधित किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच.ई.आर.सी. विनियम 2014 (8 जनवरी 2014 को अधिसूचित) ने 2005 के विनियमों को निरस्त कर दिया था और यह अधिसूचना की तिथि

¹⁵ उपभोक्ता खाता संख्या डी.आर.एच.टी. - 0003

से स्वतः लागू थे, एस.ई./वाणिज्यिक द्वारा उसके परिचालन की तिथि से नहीं। इसके अतिरिक्त, कंपनी को अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए बड़े आपूर्ति उपभोक्ता के ए.सी.डी. को मानवीय रूप से संशोधित करना चाहिए था।

यह मामला सरकार के पास भेजा गया था (जून 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि प्रबंधन को ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए कि प्रत्येक उपभोक्ता का ए.सी.डी. अपने नियत समय पर संशोधित हो तथा ए.सी.डी. के संशोधन न करने के लिए संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करे।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.6 मानव-रहित सब-स्टेशनों पर निष्फल व्यय

कंपनी ने मानव-रहित सब-स्टेशनों के निर्माण और बाद में उनके पारंपरिक सब-स्टेशन में रूपांतरण पर ₹ 11.14 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

कंपनी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रस्ताव पर, किसी तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के बिना मानव-रहित सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए अनुमोदन दिया (जनवरी 2007-मार्च 2009) और अगस्त 2008 तथा अप्रैल 2012 के मध्य ₹ 34.46 करोड़ की कुल लागत पर 33 किलोवाट के 15 मानव-रहित सब-स्टेशनों का निर्माण किया। इन सब-स्टेशनों को जनरल पैकेट रेडियो सर्विस¹⁶ राउटर्स का उपयोग करके एक रिमोट नियंत्रित निगरानी स्टेशन से जोड़ा जाना था। कॉन्फिगरेशन सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से परिचालनों को ऑन/ऑफ, इवेंट/डाटा को अपलोड करेगा और लघु संदेश सेवा (एस.एम.एस.), वॉयस कॉल, ई-मेल आदि के माध्यम से कॉल आउट के मामले में संबंधित क्षेत्र के कर्मचारियों को एक संदेश भेजेगा।

कंपनी ने उल्लेख किया (मार्च 2017) कि इन सब-स्टेशनों की देखभाल करने और रख-रखाव के लिए फील्ड कार्यालयों में एक सामान्य समस्या थी क्योंकि फील्ड कार्यालयों में विशेषज्ञता की कमी के कारण सब-स्टेशन में किसी भी फॉल्ट का निदान/मरम्मत करना मुश्किल था। इसलिए, कंपनी ने इनमें से छः मानव-रहित सब-स्टेशनों को पारंपरिक प्रकार में परिवर्तित करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2017) और ₹ 6.22 करोड़ की लागत पर एक कार्य आदेश प्रदान किया गया (मई 2018)। हमने अवलोकित किया कि एक मानव-रहित सब-स्टेशन निर्माण के समय पारंपरिक प्रकार की तुलना में ₹ 41 लाख महंगा था।

इस प्रकार, किसी तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के बिना मानव-रहित सब-स्टेशनों के चालू होने के कारण कंपनी को ₹ 11.14 करोड़¹⁷ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2019) कि राज्य के भीतर मजबूत विद्युत नेटवर्क बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की पूरी कोशिश की गई थी। तथापि, स्थानीय बाजार में

¹⁶ यह एक लागत प्रभावी पैकेट उन्मुख वायरलेस डाटा संचार सेवा है जो निर्धारित दूरसंचार नेटवर्क की तुलना में उच्च डाटा ट्रांसफर गति प्रदान करती है। यह तत्काल कनेक्शन और तुरंत डाटा ट्रांसफर प्रदान करता है। यह मोबाइल पर इंटरनेट एप्लिकेशन भी प्रदान करता है।

¹⁷ छः मानव-रहित सब-स्टेशनों का पारंपरिक प्रकार के सब-स्टेशनों में रूपांतरण पर ₹ 6.22 करोड़ और 2009-10 में पारंपरिक सब-स्टेशन की तुलना में एक स्वचालित सब-स्टेशन की अतिरिक्त लागत होने से 12 सब-स्टेशनों (15 में से तीन सब-स्टेशन डी.एच.बी.वी.एन.एल. को हस्तांतरित किए गए थे) के लिए ₹ 41 लाख की दर पर ₹ 4.92 करोड़।

दोषपूर्ण उपकरणों के प्रतिस्थापन की अनुपलब्धता, मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा अधिक समय और दरों की मांग, वार्षिक रखरखाव अनुबंध से संबंधित मामले और बार-बार ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन के कारण कंपनी ने मानव रहित सब-स्टेशनों के कामकाज को पारंपरिक मोड में बदलने का निर्णय लिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नई तकनीक के लिए जाने से पहले, कंपनी एक व्यवहार्यता अध्ययन कर सकती थी और दोषपूर्ण उपकरणों आदि के प्रतिस्थापन के मुद्दों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था और मूल उपकरण विनिर्माता के साथ अनुबंध में उपयुक्त प्रावधानों के माध्यम से समाधान किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, कंपनी एक बार में 15 सब-स्टेशनों को चालू करने की बजाय पायलट आधार पर एक मानव-रहित सब-स्टेशन को चालू कर सकती थी।

यह मामला सरकार के पास भेजा गया था (जुलाई 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी पायलट आधार की बजाय एक बार में 15 सब-स्टेशनों को चालू करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करे।

3.7 स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर्स की अपर्याप्तता

कार्यात्मक स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर्स की अपर्याप्तता के कारण कंपनी को ₹ 59.83 करोड़ का प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार वहन करना पड़ा।

एक स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर (ए.पी.एफ.सी.) एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट प्रवाह और वोल्टेज को विनियमित करके पावर फैक्टर¹⁸ में सुधार करता है। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड सबसे सुरक्षित, विश्वसनीय, मितव्ययी और कुशल ढंग से विद्युत प्रणाली की योजना, विकास, रखरखाव और संचालन के लिए सिस्टम में प्रतिभागियों से मांग करता है। कंपनी ने मौजूदा ए.पी.एफ.सी. में दोषों की पहचान करने के लिए अपने 33 किलोवाट के सभी 183 सब-स्टेशनों (एस.एस.) का सर्वेक्षण करने के लिए एक परामर्शदाता फर्म को नियुक्त किया (दिसंबर 2013)। परामर्शदाता की रिपोर्ट से पता चला कि केवल 17 एस.एस. में कैपेसिटर बैंक सफलतापूर्वक काम कर रहे थे। कंपनी ने ए.पी.एफ.सी. की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए निविदा जारी की (सितंबर 2014)। तथापि, बोलीदाताओं की भागीदारी न होने के कारण इसे अमल में नहीं लाया जा सका।

इसके बाद, कंपनी ने अपने मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफिस के माध्यम से 309 सब-स्टेशनों में ए.पी.एफ.सी. के कार्यचालन पर एक अन्य सर्वेक्षण करवाया (जुलाई 2018)। इस अध्ययन ने दर्शाया कि केवल 67 सब-स्टेशनों (21.68 प्रतिशत) में ए.पी.एफ.सी. कार्यात्मक थे, जबकि शेष 242 सब-स्टेशनों (78.32 प्रतिशत) में क्षतिग्रस्त थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो सर्वेक्षणों के बाद भी कंपनी ने दोषपूर्ण ए.पी.एफ.सी. की मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई नहीं की (मार्च 2019)। अपर्याप्त कार्यशील ए.पी.एफ.सी. के कारण कंपनी को 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹ 59.83 करोड़ का प्रतिक्रियाशील ऊर्जा¹⁹

¹⁸ एक ए.सी. इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के पावर फैक्टर को सर्किट में बहने वाली स्पष्ट विद्युत को लोड द्वारा अवशोषित वास्तविक विद्युत के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

¹⁹ यह बिजली की आपूर्ति में मौजूद शक्ति है जो कोई उपयोगी काम नहीं करती है लेकिन बिजली प्रणाली लाइनों में आगे और पीछे चलती है।

प्रभार वहन करना पड़ा, जिससे बचा जा सकता था यदि कंपनी ने पर्याप्त ए.पी.एफ.सी. स्थापित करने और क्षतिग्रस्त ए.पी.एफ.सी. की मरम्मत के लिए कार्रवाई की होती।

कंपनी ने बताया (दिसंबर 2019) कि उसने 2009-10 से सभी नव-निर्मित/संवर्धित सब-स्टेशनों में ए.पी.एफ.सी. स्थापित करना अनिवार्य कर दिया था। सभी गैर-परिचालनात्मक ए.पी.एफ.सी. को चालू किया जा रहा है, जिसके लिए मार्च 2020 में नए ए.पी.एफ.सी. पेनलों की खरीद और गैर-कार्यशील ए.पी.एफ.सी. की मरम्मत के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) जारी की गई है।

उत्तर, दोनों सर्वेक्षणों में रिपोर्ट की गई दोषपूर्ण और गैर-कार्यशील ए.पी.एफ.सी. को जारी रखने और सर्वेक्षण रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई के अभाव की व्याख्या नहीं करता है, जिसके कारण 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹ 59.83 करोड़ की प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार की घटना हुई।

यह मामला सरकार के पास भेजा गया था (जुलाई 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों के भुगतान से बचने के लिए कंपनी पर्याप्त ए.पी.एफ.सी. स्थापित करने और क्षतिग्रस्त को ठीक करने के लिए कार्रवाई कर सकती है।

भाग - II
विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त

अध्याय-4
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र
के अतिरिक्त) की कार्यप्रणाली

4.1 31 मार्च 2019 को विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (रा.सा.क्षे.उ.) थे। 1966-67 से 2017-18 के दौरान शामिल किए गए इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 25 सरकारी कंपनियां और दो सांविधिक निगम¹ शामिल थे। सरकारी कंपनियों में सरकारी कंपनियों के स्वामित्व वाली दो² सहायक कंपनियां और चार³ निष्क्रिय कंपनियां शामिल थीं। दो⁴ सरकारी कंपनियों ने 31 मार्च 2019 तक व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी।

राज्य सरकार समय-समय पर इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, राज्य सरकार ने केवल 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निधियों का निवेश किया। शेष छः⁵ संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों की इक्विटी में संबंधित सह-भागीदार/होलडिंग कंपनियों द्वारा योगदान दिया गया था।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

4.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ) में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई तालिका में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और हरियाणा के स.रा.घ.उ. के टर्नओवर का विवरण दिया

¹ हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वित्तीय निगम।

² हारट्रोन इंफोर्मेटिक्स लिमिटेड को हारट्रोन की सहायक कंपनी के रूप में निगमित (8 मार्च 1995) किया गया और पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड को एच.एस.आई.आई.डी.सी. की सहायक कंपनी के रूप में निगमित (27 दिसंबर 2016) किया गया।

³ हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम, हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड और हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड ने क्रमशः 2002-03, 2001-02, 1997-98 और 2002-03 से अपने परिचालनों को बंद कर दिया।

⁴ हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

⁵ हारट्रोन इंफोर्मेटिक्स लिमिटेड, गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और हरियाणा स्टेट हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

गया है:

तालिका 4.1: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं हरियाणा स.रा.घ.उ. के टर्नओवर का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर	8,891.35	4,633.78	4,100.32	4,564.52	4,536.78
हरियाणा का स.रा.घ.उ.	4,41,864.26	4,92,656.90	4,34,607.93	6,08,470.73	7,07,126.33
टर्नओवर के विरुद्ध हरियाणा का स.रा.घ.उ. का प्रतिशत	2.01	0.94	0.94	0.75	0.64

2013-14 के लिए हरियाणा की जी.एस.डी.पी.: ₹ 3,95,747.73 करोड़, 2013-14 के लिए टर्नओवर: ₹ 3,006.57 करोड़।

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार संबंधित वर्षों (उन्नत अनुमान) की वर्तमान कीमतों पर वर्ष-दर-वर्ष की तुलना में कार्यरत सा.क्षे.उ. के टर्नओवर और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों पर आधारित संकलन।

संबंधित वर्षों में उपलब्ध उनके नवीनतम लेखापरीक्षा लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का टर्नओवर पूर्ववर्ती वर्ष में दर्ज टर्नओवर की तुलना में 2014-15 और 2017-18 के दौरान बढ़ा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) द्वारा लेखाओं की तैयारी नकद आधार से संग्रहण आधार अपनाने के कारण वर्ष 2014-15 में उच्च टर्नओवर देखा गया। 2014-19 की अवधि के दौरान टर्नओवर में परिवर्तन दर 195.73 प्रतिशत और (-) 47.88 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य के स.रा.घ.उ. में वृद्धि दर 11.50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर 12.31 प्रतिशत रही। मिश्रित वार्षिक वृद्धि विभिन्न समयावधि में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। स.रा.घ.उ. की 12.31 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 8.58 प्रतिशत की वार्षिक दर से ऋणात्मक वृद्धि हुई है। स.रा.घ.उ. में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी में कमी हुई थी, जो कि 2014-15 में 2.01 प्रतिशत एवं 2018-19 में 0.64 प्रतिशत थी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

4.3 सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम हैं जो राज्य सरकार के साधन के रूप में कार्य करते हैं। वे कुछ निश्चित सेवाएं प्रदान करते हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में भी निवेश किया है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम करते हैं। इसलिए इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति को दो प्रमुख वर्गीकरणों के तहत विभाजित और विश्लेषण किया गया है अर्थात् सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले और प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करने वाले। इसके अतिरिक्त, इनमें से पांच⁶ सार्वजनिक क्षेत्र

⁶ हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड को पुलिस विभाग के भवन निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग कार्य करने के लिए निगमित किया गया; हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को हरियाणा में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं को लागू करने के लिए निगमित किया गया; हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को राज्य सरकार की ओर से दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए निगमित किया गया; हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड को हरियाणा रोडवेज के लिए बस बाँड़ी बिल्डिंग वर्कशॉप के रूप में निगमित किया गया; हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को राज्य सरकार की ओर से रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना और कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया।

उपक्रम जो राज्य सरकार की ओर से कुछ विशिष्ट गतिविधियों को करने के लिए शामिल किए गए थे, उन्हें अन्य के तहत वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2019 तक इन 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी के रूप में निवेश का विवरण और दीर्घकालिक ऋण परिशिष्ट-5 में विस्तृत हैं।

4.4 31 मार्च 2019 तक इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सेक्टर वार निवेश

सेक्टर	सा.क्षे.उ. की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)							
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		अनुदान/सब्सिडी		योग	
		हरियाणा सरकार	अन्य	हरियाणा सरकार	अन्य	हरियाणा सरकार	अन्य	हरियाणा सरकार	अन्य
सामाजिक सेक्टर	9	107.27	31.98	8.15	173.98	2,153.24	226.22	2,751.43	6,430.45
प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में सा.क्षे.उ.	13	420.03	75.21	1.39	5,504.02				
अन्य	5	61.35	28.54	0	390.50				
कुल	27	588.65	135.73	9.54	6,068.50	2,153.24	226.22	2,751.43	6,430.45

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2019 तक इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी, दीर्घकालिक ऋण और अनुदान/सब्सिडी) ₹ 9,181.88 करोड़ था जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा ₹ 2,751.43 करोड़ और अन्य द्वारा ₹ 6,430.45 करोड़ का निवेश शामिल है। निवेश में इक्विटी के लिए 7.89 प्रतिशत, दीर्घकालिक ऋण में 66.20 प्रतिशत और अनुदान/सब्सिडी में 25.91 प्रतिशत शामिल थे। कुल दीर्घकालिक ऋणों में से राज्य सरकार के ऋण केवल 0.16 प्रतिशत (₹ 9.54 करोड़) थे। पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरिक्त के अनुदान/सब्सिडी (₹ 1,380.07 करोड़) के घटक-वार विश्लेषण से पता चला कि अनुदान/सब्सिडी का 86.52 प्रतिशत (₹ 1,194.07 करोड़) परिचालन और प्रशासनिक व्यय और शेष 13.48 प्रतिशत परियोजना निधियों के लिए था।

कुल निवेश 2014-15 में ₹ 4,460.28 करोड़ से 105.86 प्रतिशत तक बढ़कर 2018-19 में ₹ 9,181.88 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान मुख्य रूप से बकाया दीर्घकालिक ऋणों में ₹ 2,711.43 करोड़ से ₹ 6,078.04 करोड़ की वृद्धि के कारण निवेश में वृद्धि हुई। बकाया ऋणों में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का हिस्सा ₹ 5,501.72 करोड़ था।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

4.5 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुनर्गठन या निजीकरण नहीं किया गया था।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता

4.6 हरियाणा सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, बड़े खाते ऋण, और वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किए गए ऋण बजटीय विवरणों का सारांश विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 4.3: वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता के बारे में विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण ⁷	2016-17		2017-18		2018-19	
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
इक्विटी कैपिटल निर्गम (i)	2	3.10	4	7.71	5	25.44
दिए गए ऋण (ii)	-	-	-	-	1	8.15
प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी (iii)	8	445.08	9	188.60	8	358.36
कुल निर्गम (i+ii+iii)		448.18		196.31		391.95
ऋण चुकोती/बड़े खाते ⁸	1	81.24	-	-	1	215.15
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
जारी की गई गारंटियाँ	3	677.62	3	2,030.52	4	1,071.81
गारंटी प्रतिबद्धता	5	1,084.36	5	3,351.48	5	4,359.35

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय विवरण नीचे ग्राफ में दिए गए हैं:

चार्ट 4.1: इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय निर्गम



वर्ष 2018-19 के दौरान अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई ₹ 358.36 करोड़ की बजटीय सहायता मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान, योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासनिक व्ययों के लिए थी।

हरियाणा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए गारंटी प्रदान करती है और बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक

⁷ राशि केवल राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

⁸ यह हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड के संबंध में बड़े खाते डाले गए ऋणों का प्रतिनिधित्व करता है और ऋण चुकोती शून्य है।

क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण पर 0.125 प्रतिशत से दो प्रतिशत की दर से गारंटी फीस प्रभारित करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 45.41 करोड़ के गारंटी कमीशन का भुगतान तीन⁹ सा.क्षे.उ. द्वारा किया गया था।

हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

4.7 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के अनुसार इक्विटी, ऋण और बकाया गारंटी के आंकड़े हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में प्रदर्शित होने वाले आंकड़ों से मेल होने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्त विभाग को इस अंतर को दूर करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2019 को इसकी स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.4: हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के अनुसार इक्विटी, ऋण, बकाया गारंटी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	553.45	588.65	35.20
ऋण	204.08	9.54	194.54
गारंटी	3,903.52	4,359.35	455.83

स्रोत: सा.क्षे.उ. और राज्य वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इस तरह के अंतर पाए गए हैं जैसा कि परिशिष्ट-6 में दर्शाया गया है। आंकड़ों के मध्य ये अंतर पिछले कई वर्षों से जारी हैं। अंतर दूर करने का मुद्दा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और उनके प्रशासनिक विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया है। हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम तथा हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (निष्क्रिय कंपनी) के बकायों में बड़ा अंतर देखा गया है।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को समयबद्ध ढंग से लेखाओं में अंतर को दूर करना चाहिए।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

4.8 31 मार्च 2019 तक इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 23 कार्यरत (21 कंपनियां और दो सांविधिक निगम) हैं और चार निष्क्रिय हैं। उनके लेखाओं की तैयारी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निर्धारित समय-सीमा की स्थिति नीचे दी गई है:

कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

4.8.1 वर्ष 2018-19 के लिए 30 सितंबर 2019 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। तथापि, वर्ष 2018-19 के लिए 21 कार्यरत कंपनियों में से केवल चार कंपनियों ने 30 सितंबर 2019 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के समक्ष लेखापरीक्षा के लिए अपने खाते प्रस्तुत किए।

⁹ हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य के दो सांविधिक निगमों¹⁰ के एकमात्र लेखापरीक्षक नहीं हैं। वर्ष 2018-19 के लिए 30 सितंबर 2019 तक दोनों सांविधिक निगमों के लेखे प्रतीक्षित थे।

30 सितंबर 2019 तक कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया लेखाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.5: कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	सा.क्षे.उ. की संख्या	20	19	21	23	23
2.	वर्तमान वर्ष के दौरान जमा किए गए लेखाओं की संख्या	17	19	14	27	26
3.	वर्तमान वर्ष के लिए लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	1	1	1	3	4
4.	वर्तमान वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिनको अंतिम रूप दिया गया	16	18	13	24	22
5.	लेखाओं में बकाया राशि के साथ कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	19	18	20	20	19
6.	बकाया में लेखाओं की संख्या	34	35	43	38	35
7.	बकाया राशि (वर्षों की संख्या)	1-5	1-5	1-5	1-4	1-5

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित।

लेखाओं को अंतिम रूप देने में बकाया के बारे में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा संबंधित विभागों को तिमाही सूचना दी गई थी।

हरियाणा सरकार ने 23 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से नौ को ₹ 751.25 करोड़ (इक्विटी: ₹ 39.48 करोड़, ऋण: ₹ 8.15 करोड़, अनुदान/सब्सिडी: ₹ 703.62 करोड़) प्रदान किए थे, जिनके वर्ष 2018-19 के लेखाओं को 30 सितंबर 2019 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. वार निवेश का ब्योरा, जिसके लेखे बकाया में हैं **परिशिष्ट-7** में दर्शाया गया है। सा.क्षे.उ. को उनके प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए अनुदान/सब्सिडी प्रदान की गई थी जबकि एच.एस.आई.आई.डी.सी. को परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान किया गया था।

निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

4.8.2 चार निष्क्रिय सा.क्षे.उ. में से, दो सा.क्षे.उ. अर्थात् हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड और हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड परिसमापन के अधीन थे। शेष दो निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना बकाया था, जिनका

¹⁰ हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.6: 30 सितंबर 2019 को निष्क्रिय सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखाओं के बकाया की स्थिति

क्र.सं.	निष्क्रिय कंपनियों का नाम	अवधि जिसके लिए लेखाओं में बकाया था
1.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	2018-19
2.	हरियाणा खनिज लिमिटेड	2018-19

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

4.9 लेखाओं को अंतिम रूप देने में देरी करना संबंधित कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन है, और इसके कई परिणाम हैं जैसे (i) वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक उपक्रमों का वास्तविक योगदान पता नहीं लगाया जा सका है और राज्य में उनके योगदान राज्य विधानमंडल को भी सूचना नहीं दी गई थी, (ii) इसके परिणामस्वरूप प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी और रिसाव हो सकता है, (iii) लेखाओं को अंतिम रूप देने और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षाओं के अभाव में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की निगरानी और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा का उपयोग नहीं किया जा सका, (iv) यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किए गए निवेश और व्यय का सही हिसाब लगाया गया था और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया था, वह प्राप्त किया गया था, संबंधित विधियों के प्रावधानों का उल्लंघन होने के अलावा, वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक उपक्रमों के वास्तविक योगदान का पता नहीं लगाया जा सका। राजकोष में उनके योगदान की सूचना भी राज्य विधानसभा को नहीं दी जा सकी। अपने खातों को अंतिम रूप देने में बकाया वाले 19 कार्यरत सा.क्षे.उ. में से छः कार्यरत सा.क्षे.उ. के पास अपने खातों को अंतिम रूप देने में एक वर्ष से अधिक का बकाया था।

इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि लेखाओं में बकाया को कम करने के लिए प्रशासनिक विभाग को निगरानी करनी चाहिए और दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर भी गौर करे और आवश्यक कदम उठाए।

राज्य विधानमंडल में सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

4.10 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। ये प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानमंडल के समक्ष रखी जानी हैं। 2018-19 के लिए 30 सितंबर 2019 तक दोनों सांविधिक निगमों के लेखाओं को लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त नहीं किया गया था।

सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं और विधानमंडल में उनके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

को प्रस्तुत करने की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 4.7: सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति

निगम का नाम	लेखा वर्ष	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का माह
हरियाणा वित्तीय निगम	2016-17	फरवरी 2019
	2017-18	प्रस्तुत करने के लिए 11 फरवरी 2020 को सरकार के पास भेजा गया
हरियाणा राज्य भंडारण निगम	2015-16	21 फरवरी 2019
	2016-17	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
	2017-18	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं

स्रोत: सा.क्षे.उ. द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर संकलित।


सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

4.11 30 सितंबर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम **परिशिष्ट-8** में विस्तृत है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर उचित लाभ देंगे। 31 मार्च 2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश की राशि ₹ 9,181.88 करोड़ थी, जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 724.38 करोड़, दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 6,078.04 करोड़ और अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में ₹ 2,379.46 करोड़ शामिल थे। इसमें से, राज्य सरकार ने ₹ 2,751.43 करोड़ (इक्विटी: ₹ 588.65 करोड़, दीर्घावधि ऋण: ₹ 9.54 करोड़ और अनुदान एवं सब्सिडी: ₹ 2,153.24 करोड़) का निवेश किया था।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हरियाणा सरकार के निवेश का वर्षवार ग्राफ इस प्रकार है:

चार्ट 4.2: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हरियाणा सरकार का कुल निवेश



2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अलावा अन्य में हरियाणा सरकार का कुल निवेश 1.44 गुना बढ़ा, जैसा कि चार्ट 4.2 में दिखाया गया है।


4.12 किसी कंपनी के वित्तीय निष्पादन और लाभप्रदता का पारंपरिक रूप से निवेश पर रिटर्न (आर.ओ.आई.), इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) और नियोजित पूँजी पर रिटर्न

(आर.ओ.सी.ई.) के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

निवेश पर रिटर्न (आर.ओ.आई.)

4.13 निवेश पर रिटर्न कुल निवेश पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/हानि¹¹ की समग्र स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 4.3: वर्षों के दौरान कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि



नवीनतम वर्ष के लिए विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. से अन्य के वित्तीय परिणाम, जिनके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, को परिशिष्ट-8 में संक्षेपित किया गया है।

2014-15 से 2018-19 के दौरान 31 मार्च 2019 को 23 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से लाभ/हानि अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.8: कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विवरण जिन्होंने लाभ/हानि अर्जित किया

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक उपक्रमों की कुल संख्या ¹²	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने लाभ अर्जित किया	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने हानि उठाई	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने मार्जिनल लाभ/हानि उठाई
2014-15	18	14	4	-
2015-16	18	12	6	-
2016-17	18	11	7	-
2017-18	21	14	7	-
2018-19	23	16	5	2 ¹³

(क) ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर आय

4.14 राज्य सरकार ने राज्य के 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से केवल 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी, दीर्घावधि ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में निधियों का उपयोग किया था। सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 598.19 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 588.65 करोड़ की इक्विटी और ₹ 9.54 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

¹¹ आंकड़े संबंधित वर्षों के नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार हैं।

¹² कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या जिन्होंने लेखाओं को अंतिम रूप दिया।

¹³ पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड तथा हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

निवेश पर आय की गणना¹⁴ हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋणों के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋणों को ही निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और इसलिए सरकार द्वारा प्रदान किए ऋण की प्रवृत्ति इक्विटी निवेश की है, सिवाय उन ऋण अदायगी के जिन्हें नियमों और शर्तों के अनुसार चुकाया जाना है। तथापि, ₹ 9.54 करोड़ के सभी दीर्घावधि ऋण ब्याज वाले ऋण हैं और कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं हैं। इस प्रकार, ऐतिहासिक लागत के आधार पर इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 2,741.89 करोड़¹⁵ (₹ 588.65 करोड़ की इक्विटी और ₹ 2,153.24 करोड़ के अनुदान/सब्सिडी) था और अन्य का निवेश ₹ 110.39 करोड़ था, जो तालिका 4.9 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश का क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.9: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर आय

वर्ष वार	क्षेत्रवार ब्रेक-अप	कुल कमाई (₹ करोड़ में)	ऐतिहासिक लागत पर इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा निवेश की गई निधियां (₹ करोड़ में)	राज्य सरकार के निवेश पर आय (प्रतिशत)
i	ii	iii	iv	v =iii/iv *100
2014-15	सामाजिक क्षेत्र	-12.51	272.29	-4.59
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	804.52	1,296.60	62.05
	अन्य	13.81	117.38	11.77
	कुल	805.82	1,686.27	47.79
2015-16	सामाजिक क्षेत्र	-21.95	345.66	-6.35
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	256.98	1,353.73	18.98
	अन्य	2.58	189.89	1.36
	कुल	237.61	1,889.28	12.58
2016-17	सामाजिक क्षेत्र	-65.19	398.55	-16.36
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	136.25	1,534.38	8.88
	अन्य	0.53	266.92	0.20
	कुल	71.59	2,199.85	3.25
2017-18	सामाजिक क्षेत्र	22.01	466.29	4.72
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	92.52	1,557.07	5.94
	अन्य	1.76	361.19	0.49
	कुल	116.29	2,384.55	4.88
2018-19	सामाजिक क्षेत्र	51.43	554.15	9.28
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	216.34	1,643.70	13.16
	अन्य	4.69	544.04	0.86
	कुल	272.46	2,741.89	9.94

2017-18 की अवधि की तुलना में 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न में मुख्य रूप से वर्ष 2018-19 के दौरान हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) (प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में) और हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) (सामाजिक क्षेत्र में) के लाभ में वृद्धि के कारण सुधार

¹⁴ हालांकि एच.एफ.सी. एक सूचीबद्ध निगम है, निगम ने मई 2010 से नए ऋण को मंजूरी नहीं दी है और निगम के शेयरों का अंतिम कारोबार 13 जुलाई 2011 को ₹ 24.65 के मूल्य पर हुआ। तब से शेयर का मूल्य स्थिर बना हुआ है और वही वर्तमान शेयर का मूल्य अर्थात् ₹ 24.65 है। इसलिए, ब्याज दर की गणना अलग से नहीं की गई है।

¹⁵ ₹ 9.54 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों को ब्याज वाले ऋण होने के कारण लेखे में नहीं लिया गया है और ब्याज मुक्त ऋण नहीं हैं।

हुआ। आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति 2014-15 में 62.05 प्रतिशत थी और 2015-16 में घटकर 18.98 प्रतिशत रह गई, जिसका मुख्य कारण हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम के लाभ में कमी थी। 2017-18 में इस क्षेत्र का निवेश रिटर्न 5.94 प्रतिशत और 2018-19 में 13.16 प्रतिशत था। 2018-19 के दौरान, निवेश पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र रिटर्न तीनों क्षेत्रों में सबसे अधिक था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान रिटर्न 3.25 प्रतिशत और 47.79 प्रतिशत के बीच रही।

(ख) निवेश का वर्तमान मूल्य

4.15 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में, जहां राज्य सरकार द्वारा निधियाँ लगाई गई थी, उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लाभप्रदता का आकलन करने के लिए उनकी आय एवं निवेश का विश्लेषण किया गया। आर.ओ.आई. की पारंपरिक गणना आय की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। इसलिए, इसके अतिरिक्त, आर.ओ.आर.आर. की गणना निवेश की ऐतिहासिक लागत के वर्तमान मूल्य को देखते हुए की जाती है।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अतिरिक्त में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- जहां सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में बदल दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से काट लिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष¹⁶ के लिए सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए संयोजित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए धन के निवेश की दिशा में सरकार द्वारा किए गए खर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर आय की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों और परिदानों को विनिवेश से कम करने के माध्यम से पारंपरिक रूप से वास्तविक रिटर्न की दर पर पहुंचने के लिए माना जाता था।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हरियाणा सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की तुलना में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आय की दर का आकलन करने के लिए सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। प्रत्येक वर्ष के अंत में 31 मार्च 2019 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हरियाणा सरकार के सरकारी निवेशों में पिछले निवेश/वर्ष-वार धनराशि को सरकारी ऋण पर ब्याज की वार्षिक औसत दर पर संयोजित किया गया है, जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार के लिए धन की न्यूनतम लागत माना जाता है। इसलिए, इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2019 तक उन 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध जहां इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/परिदानों के रूप में राज्य सरकार द्वारा धन लगाया गया था, राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई। 2014-15 से

¹⁶ सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को संबंधित वर्ष के लिए राज्य के वित्त (हरियाणा सरकार) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से अपनाया गया था, जिसमें प्रदत्त ब्याज के लिए औसत दर = $\frac{\text{ब्याज भुगतान}}{(\text{गत वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \frac{\text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं}}{2})} \times 100$

2018-19 की अवधि के दौरान, इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश पर सकारात्मक लाभ हुआ। इसलिए इन पांच वर्षों के लिए निवेश पर आय की गणना की गई है और वर्तमान मूल्य के आधार पर दर्शाया गया है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु जब इन 21 कंपनियों में से कुछ घाटे में रही, तो घाटे के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त उपाय है। पैरा 4.18 में सा.क्षे.उ. के निवल के क्षरण पर टिप्पणी की गई है।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक रिटर्न की दर (आर.ओ.आर.आर.)

4.16 1999-2000 से 2018-19 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी के रूप में इन 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार स्थिति **परिशिष्ट-9** में दर्शाई गई है। आगे, इसी अवधि के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के निवल वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की समेकित स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.10: 1999-2000 से 2018-19 तक राज्य सरकार के निवेश पर वर्तमान मूल्य (वास्तविक रिटर्न)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाई गई इक्विटी	प्रचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित आय	वर्ष ¹⁷ के लिए कुल अर्जन
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii+(i+vi)/100}	ix={vii+vi}/100}	x
1999-2000 तक		164.22	49.95	214.17	12.05	214.17	239.98	25.81	8.96
2000-01	239.98	45.48	73.50	118.98	11.4	358.96	399.88	40.92	-0.22
2001-02	399.88	21.04	98.18	119.22	10.5	519.10	573.60	54.51	7.83
2002-03	573.60	28.04	66.87	94.91	10.74	668.52	740.31	71.80	10.22
2003-04	740.31	11.51	16.19	27.70	10.2	768.01	846.35	78.34	-2.92
2004-05	846.35	2.48	22.04	24.52	8.49	870.87	944.81	73.94	2.84
2005-06	944.81	57.78	31.59	89.37	8.95	1,034.18	1,126.74	92.56	49.76
2006-07	1,126.74	12.16	25.90	38.06	9.2	1,164.80	1,271.96	107.16	-25.97
2007-08	1,271.96	72.07	83.03	155.10	7.43	1,427.05	1,533.08	106.03	-81.43
2008-09	1,533.08	95.92	67.39	163.31	7.82	1,696.39	1,829.05	132.66	176.34
2009-10	1,829.05	4.98	41.96	46.94	9.29	1,875.99	2,050.27	174.28	54.25
2010-11	2,050.27	6.41	98.80	105.21	9.22	2,155.48	2,354.22	198.74	138.45
2011-12	2,354.22	21.28	167.40	188.68	9.73	2,542.90	2,790.32	247.42	98.15
2012-13	2,790.32	-21.98	61.71	39.73	9.86	2,830.05	3,109.09	279.04	123.25
2013-14	3,109.09	2.93	94.88	97.81	9.83	3,206.90	3,522.14	315.24	-93.65
2014-15	3,522.14	8.82	153.74	162.56	9.33	3,684.70	4,028.49	343.78	805.82
2015-16	4,028.49	19.1	183.91	203.01	8.64	4,231.50	4,597.10	365.60	237.61
2016-17	4,597.10	3.10	307.48	310.58	8	4,907.68	5,300.29	392.61	71.59
2017-18	5,300.29	7.87	176.82	184.69	8.1	5,484.98	5,929.26	444.28	116.29
2018-19	5,929.26	25.44	331.90	357.34	8.81	6,286.60	6,840.45	553.85	272.46
कुल		588.65	2,153.24	2,741.89					

टिप्पणी: वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण शून्य थे।

¹⁷ वर्ष के लिए कुल कमाई उन 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निवल आय (लाभ/हानि) का योग दर्शाती है, जहां राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। यदि किसी वर्ष के दौरान किसी सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखे लंबित थे, तो संबंधित सा.क्षे.उ. के नवीनतम लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार वर्ष के लिए निवल आय (लाभ/हानि) ली गई है।

2000-01 से 2018-19 के दौरान, वर्ष के लिए कुल आमदनी 1999-2000 से 2007-08, 2009-10 से 2013-14 और 2015-16 से 2018-19 में इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निधियों की लागत वसूलने के लिए न्यूनतम अपेक्षित आय से नीचे रही क्योंकि इस अवधि के दौरान तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को काफी घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त, 1999-2018 की अवधि के दौरान चार अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ को इन चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किए गए नुकसान से समायोजित किया गया, जिसके कारण इन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से कुल आय न्यूनतम अपेक्षित आय से नीचे रही।

वर्तमान मूल्य पर रिटर्न

4.17 वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किए गए निवेश पर सकारात्मक आय थी, ऐतिहासिक लागत और वर्तमान वर्षों में राज्य सरकार की निधियों पर आय की क्षेत्रवार तुलना नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 4.11: राज्य सरकार की निधि पर आय

(₹ करोड़ में)

वर्षवार	क्षेत्रवार ब्रेकअप	कुल आय	ऐतिहासिक लागत पर		वर्तमान मूल्य (पी.वी.) पर	
			हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण, अनुदान/सब्सिडी के रूप में निवेश की गई निधियां	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत)	वर्ष के अंत में हरियाणा सरकार का निवेश	वास्तविक रिटर्न की दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5=3/4*100	6	7=3/6*100
2014-15	सामाजिक क्षेत्र	-12.51	272.29	-4.59	712.61	-1.76
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	804.52	1,296.6	62.05	2,967.10	27.11
	अन्य	13.81	117.38	11.77	348.78	3.96
	कुल	805.82	1,686.27	47.79	4,028.49	20.00
2015-16	सामाजिक क्षेत्र	-21.95	345.66	-6.35	838.51	-2.62
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	256.98	1,353.73	18.98	3,308.41	7.77
	अन्य	2.58	189.89	1.36	450.18	0.57
	कुल	237.61	1,889.28	12.58	4,597.10	5.17
2016-17	सामाजिक क्षेत्र	-65.19	398.55	-16.36	962.71	-6.77
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	136.25	1,534.38	8.88	3,768.19	3.62
	अन्य	0.53	266.92	0.20	569.39	0.09
	कुल	71.59	2,199.85	3.25	5,300.29	1.35
2017-18	सामाजिक क्षेत्र	22.01	466.29	4.72	1113.92	1.98
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	92.52	1,557.07	5.94	4,097.93	2.26
	अन्य	1.76	361.19	0.49	717.41	0.25
	कुल	116.29	2,384.55	4.88	5,929.26	1.96
2018-19	सामाजिक क्षेत्र	51.43	554.15	9.28	1,307.64	3.93
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	216.34	1,643.7	13.16	4,553.22	4.75
	अन्य	4.69	544.04	0.86	979.59	0.48
	कुल	272.46	2,741.89	9.94	6,840.45	3.98

वर्तमान मूल्य पर आधारित रिटर्न ऐतिहासिक लागत के आधार पर आधारित रिटर्न से कम था जैसा कि ऊपर तालिका में दर्शाया गया है।

निवल मूल्य का क्षरण

4.18 निवल मूल्य का अर्थ भुगतान की गई पूंजी, मुक्त संचय और अधिशेष के कुल योग

से संचित घाटा और स्थगित राजस्व व्यय की कुल राशि कम करने के बाद बची शेष राशि से है। वास्तव में, यह इस बात का माप है कि संस्था में मालिकों के लिए उनकी पूंजी का क्या मूल्य है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा किए गए सकल निवेश को संचित घाटे और स्थगित राजस्व व्यय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पूंजी निवेश और लाभ उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार (30 सितंबर 2019 को) क्रमशः ₹ 7,911.61 करोड़ और ₹ 1,150.34 करोड़ थे, जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य ₹ 1,917.65 करोड़ था। इनका विवरण **परिशिष्ट-8** में दिया गया है।

निम्न तालिका 21 कंपनियों की कुल प्रदत्त पूंजी, कुल संचित लाभ/हानि और कुल निवल मूल्य को इंगित करती है, जहां राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष निवेश किया है:

तालिका 4.12: 2014-15 से 2018-19 के दौरान 21 सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य¹⁸

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-)	स्थगित राजस्व व्यय	मुक्त संचय	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6 (2+3-4+5)
2014-15	558.66	709.98	2.85	85.00	1,350.79
2015-16	572.37	830.59	1.06	95.78	1,497.68
2016-17	572.37	770.50	1.06	90.89	1,432.70
2017-18	579.77	923.21	1.01	102.88	1,604.85
2018-19	598.79	1,133.91	0.93	100.30	1,832.07

2014-15 के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, 15 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों¹⁹ ने सकारात्मक निवल मूल्य दिखाया जबकि तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों²⁰ का निवल मूल्य नकारात्मक था। 2015-19 के दौरान 16-18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने सकारात्मक निवल मूल्य दिखाया जबकि तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य नकारात्मक था। 2014-15 से 2018-19 के दौरान नौ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य घट गया जबकि इसी अवधि के दौरान 11 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में वृद्धि हुई और एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के संबंध में यह समान रहा।

लाभांश भुगतान

4.19 राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश तैयार किए थे (अक्टूबर 2003) जिनके अंतर्गत लाभ अर्जित करने वाले सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा योगदान दी गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर चार प्रतिशत की न्यूनतम दर का भुगतान करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, लाभांश को निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में घोषित

¹⁸ संबंधित वर्ष में नवीनतम अंतिम लेखाओं के आंकड़ों के आधार पर परिकल्पित।

¹⁹ हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम, हरियाणा वित्तीय निगम, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

²⁰ हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड, हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड।

किया जाना चाहिए।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (दो निष्क्रिय सा.क्षे.उ. को मिलाकर) से संबंधित लाभांश भुगतान, जहां हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश किया गया था, नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.13: 2014-15 से 2018-19 के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जहां हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश किया गया है		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिन्होंने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार लाभ अर्जित किया		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा घोषित/प्रदत्त लाभांश		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत)
	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश	सा.क्षे.उ. की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा घोषित/प्रदत्त लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2014-15	19	533.14	12	393.46	3	6.25	1.59
2015-16	19	552.24	10	475.18	3	5.64	1.19
2016-17	20	555.33	10	498.85	4	6.85	1.37
2017-18	21	563.20	11	301.13	1	5.00	1.66
2018-19	21	588.65	14 [#]	292.22	1	2.15	0.74

14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के खाते अक्टूबर 2018 से पहले प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त, एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड) ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए तीन खाते प्रस्तुत किए, लेकिन केवल 2015-16 में लाभ अर्जित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया जिन्होंने अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 के दौरान अपने खाते में प्रस्तुत किए (परिशिष्ट 8)।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या 10 से 14 के मध्य रही। इसी अवधि के दौरान, तथापि जिन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने लाभांश घोषित/प्रदत्त किया उनकी संख्या एक से चार के मध्य थी। 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम²¹ ने लाभांश घोषित किया।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार निदेशक मंडल में अपने नामितों के माध्यम से मामले को उठा सकती है।

इक्विटी पर आय

4.20 इक्विटी पर आय वित्तीय निष्पादन का एक उपाय है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन, लाभ कमाने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना शेयरधारकों की निधि द्वारा निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक हैं।

²¹

हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

किसी कंपनी के निवल मूल्य या शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानियों के निवल मुक्त आरक्षित और स्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेची गईं और सभी ऋणों का भुगतान किया गया तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना बचेगा। एक सकारात्मक शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

इक्विटी पर आय की गणना 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में की गई है, जहां राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि और इक्विटी पर आय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 4.14: सा.क्षे. के 21 उपक्रम जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था, से संबंधित इक्विटी पर आय

वर्ष	लाभ उठाना/हानि उठाना	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर आय (प्रतिशत में)
2014-15	लाभ उठाना	868.40	1,645.11	52.79
	हानि उठाना	-62.58	-294.32	-21.26
	कुल	805.82	1,350.79	59.66
2015-16	लाभ उठाना	299.84	1,793.86	16.71
	हानि उठाना	-62.23	-296.18	-21.01
	कुल	237.61	1,497.68	15.87
2016-17	लाभ उठाना	171.97	1,868.44	9.20
	हानि उठाना	-100.38	-435.74	-23.04
	कुल	71.59	1,432.70	5.00
2017-18	लाभ उठाना	137.26	1,773.96	7.74
	हानि उठाना	-20.97	-169.11	-12.40
	कुल	116.29	1604.85	7.25
2018-19	लाभ उठाना	302.40	2,045.58	14.78
	हानि उठाना	-29.94	-213.51	-14.02
	कुल	272.46	1,832.07	14.87

नियोजित पूंजी पर आय

4.21 नियोजित पूंजी पर आय एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिस दक्षता के साथ उसकी पूंजी नियोजित की गई है। नियोजित पूंजी पर आय की गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूंजी²² द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सकारात्मक नियोजित पूंजी वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कुल नियोजित पूंजी पर

²² नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े, नवीनतम वर्ष, जिनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है, के अनुसार हैं।

आय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.15: नियोजित पूंजी पर आय

वर्ष	लाभ उठाना/ हानि उठाना	सा.क्षे.उ. की संख्या	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी पर आय (प्रतिशत में)
2014-15	लाभ उठाना	14	1,657.92	3,847.02	43.10
	हानि उठाना	3	140.64	164.42	85.54
कुल		17	1,798.56	4,011.44	44.84
2015-16	लाभ उठाना	12	671.39	3,806.96	17.64
	हानि उठाना	5	-4.48	168.23	-2.66
कुल		17	666.91	3,975.19	16.78
2016-17	लाभ उठाना	11	563.43	4,356.18	12.93
	हानि उठाना	7	-4.06	108.07	-3.76
कुल		18	559.37	4,464.25	12.53
2017-18	लाभ उठाना	13	684.184	5,921.92	11.55
	हानि उठाना	7	-6,639	222.53	-2.98
कुल		20	677.545	6,144.45	11.03
2018-19	लाभ उठाना	16	1,146.00	8,196.93	13.98
	हानि उठाना	6	-20.10	178.27	-11.28
कुल		22	1,125.90	8,375.20	13.44

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

4.22 सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा 2014-15 से 2018-19 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण उनके द्वारा भुगतान करने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। इसका मूल्यांकन ब्याज भुगतान अनुपात और ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज भुगतान अनुपात

4.23 ब्याज भुगतान अनुपात का उपयोग किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। कम अनुपात, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होती है। एक से नीचे का ब्याज भुगतान अनुपात इंगित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज भुगतान अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया

गया है:

तालिका 4.16: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ब्याज भुगतान अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले अर्जन (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	सरकार तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	एक से अधिक ब्याज भुगतान अनुपात वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	एक से कम या एक के बराबर ब्याज के भुगतान अनुपात वाले सा.क्षे.उ. की संख्या
2014-15	543.21	1,682.35	8	4	4
2015-16	438.22	633.21	8	4	4
2016-17	395.77	443.62	6	4	2
2017-18	540.80	720.77	7	5	2
2018-19	788.42	1,162.04	7	4	3

ऋण टर्नओवर अनुपात

4.24 पिछले पांच वर्षों के दौरान, इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर में (-) 12.59 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जबकि ऋण की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि 21.68 प्रतिशत रही, जिसके कारण ऋण टर्नओवर का अनुपात 2014-15 में 0.25 से घटकर 2018-19 में 1.32 हो गया, जो नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.17: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण	2,247.13	2,073.13	2,500.12	4,046.12	5,993.96
टर्नओवर	8,891.35	4,633.78	4,100.32	4,564.52	4,536.78
ऋण टर्नओवर अनुपात	0.25:1	0.45:1	0.61:1	0.87:1	1.32:1

स्रोत: संबंधित सा.क्षे.उ. के नवीनतम लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर संकलित।

निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करना

4.25 31 मार्च 2019 तक 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से चार निष्क्रिय कंपनियां थी, जिनका कुल निवेश ₹ 21.67 करोड़ पूंजी (₹ 17.98 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹ 3.69 करोड़) था जैसाकि **परिशिष्ट-5** में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2019 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या नीचे दी गई है:

तालिका 4.18: निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
निष्क्रिय कंपनियों की संख्या	4	4	4	4	4

स्रोत: संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.), हरियाणा सरकार में शामिल जानकारी से संकलित।

दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों²³ की परिसमापन प्रक्रिया 15 से 20 साल पहले शुरू हुई थी और पूरी नहीं हुई है। सरकार उनके बंद करने के संबंध में उचित प्रारंभिक निर्णय ले सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

4.26 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान 17 कार्यरत कंपनियों ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा को 24 लेखापरीक्षित खाते अग्रेषित किए। इनमें से 16 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित सांविधिक लेखापरीक्षकों और अनुपूरक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल वित्तीय प्रभाव का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 4.19: कार्यरत कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	8	14.66	6	39.15	-	-	5	25.56
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	6	6.19	-	-
3.	घाटे में वृद्धि	6	40.16	3	4.48	4	8.56	2	1.56
4.	घाटे में कमी	-	-	-	-	-	-	2	0.07
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न होना	6	1,426.81	2	111.17	3	19.44	5	56.62
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	8	188.85	4	49.74	1	10.66	4	71.23

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों से संकलित।

अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 लेखाओं पर योग्य प्रमाण-पत्र जारी किए थे। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन ठीक नहीं था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 13 लेखाओं में लेखा मानकों के अनुपालन न होने के 38 उदाहरण उद्धृत किए हैं।

4.27 राज्य में दो सांविधिक निगम हैं (i) हरियाणा वित्तीय निगम (एच.एफ.सी.) और (ii) हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.)। दोनों ने वर्ष 2017-18 के लिए अपने लेखाओं को अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए अग्रेषित किया, जिसे अंतिम रूप दिया गया है।

²³

हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

दोनों लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वर्ष 2017-18 के लिए एच.एस.डब्ल्यू.सी. के वार्षिक लेखाओं को योग्य प्रमाण-पत्र दिया था तथा एच.एफ.सी. के वार्षिक लेखाओं को अयोग्य प्रमाण-पत्र दिया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों और सांविधिक निगमों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के कुल वित्तीय प्रभाव का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.20: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	3	7.49	3	10.71	-	-	1	1.16
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	2	2.94	1	2.80
3.	घाटे में वृद्धि	-	-	-	-	-	-	1	0.11
4.	घाटे में कमी	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न होना	2	7.07	2	1.23	-	-	2	6.81
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	2	28.82	2	19.99	-	-	1	2.16

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सी.ए.जी. की टिप्पणियों से संकलित।

अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

4.28 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) की प्रतिवेदन के लिए, संबंधित विभागों के अपर-मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को उत्तर देने के अनुरोध के साथ सात अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद जारी किए गए थे। राज्य सरकार से पांच अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 70.12 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

बकाया उत्तर

4.29 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) हैं कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर उसमें शामिल अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) से

किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

तालिका 4.21: सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 अप्रैल 2020 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) का वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तारीख	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) और अनुच्छेद		पी.ए./अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		पी.ए.	अनुच्छेद	पी.ए.	अनुच्छेद
2014-15	14 मार्च 2016	1	7	-	-
2015-16	27 फरवरी 2017	-	5	-	-
2016-17	14 मार्च 2018	1	4	-	2
2017-18	26 नवंबर 2019	-	8	-	6

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक नोटों के आधार पर संकलित।

30 अप्रैल 2020 तक आठ अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक नोट संबंधित चार विभागों के पास लंबित थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की चर्चा

4.30 30 अप्रैल 2020 को कोपू की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में प्रदर्शित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा और पैराग्राफों पर चर्चा की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 4.22: 30 अप्रैल 2020 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट की तुलना में चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2014-15	1	7	1	7
2015-16	-	5	-	1
2016-17	1	4	-	-
2017-18	-	8	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित।

2014-15 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) पर चर्चा पूरी हो गई है।

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

4.31 मार्च 2011 और मार्च 2019 के मध्य राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित कोपू के छः प्रतिवेदनों पर एकशन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुए थे (30 अप्रैल 2020), जैसा कि निम्न तालिका में इंगित किया

गया है:

तालिका 4.23: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू रिपोर्ट का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिनकी ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई
2010-11	1	8	1 (पैरा संख्या 8)
2011-12	1	5	1 (पैरा संख्या 3)
2012-13	1	11	-
2013-14	1	7	2 (पैरा संख्या 5 एवं 6)
2014-15	1	8	1 (पैरा संख्या 5)
2015-16	1	12	-
2016-17	1	8	-
2017-18	1	15	7 (पैरा संख्या 15, 19 से 24)
2018-19	1	2	2 (पैरा संख्या 6, 7)
2019-20	1	5	5 (पैरा संख्या 1 से 4 एवं 9)
कुल	10	81	19

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से कोपू की सिफारिशों पर प्राप्त ए.टी.एन. पर आधारित संकलन।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में उन अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें थीं, जो 2006-07 से 2015-16 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकट हुए थे।

अध्याय-5
विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त -
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

5 विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त - अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र की राज्य सरकार की कंपनियों और सांविधिक निगमों के लेन-देनों की नमूना-जांच से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में शामिल हैं।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

5.1 उच्च दर पर जन संपर्क एजेंसी को काम पर लगाना

कंपनी ने जन संपर्क एजेंसी के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता को नजरअंदाज कर दिया और पुनः निविदाकरण में दूसरे बोलीदाता को काम सौंप दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपने हितधारकों के लिए आउटरीच सुनिश्चित करने और उन्हें राज्य में नीतियों और सुधारों से अवगत कराने के उद्देश्य से पब्लिक रिलेशन (पी.आर.) एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2017)। कार्य के दायरे में रचनात्मक विकास और सभी मीडिया में पी.आर. को काम पर लगाना/मार्केटिंग/अभियान चलाना शामिल था। एक वर्ष की अवधि के लिए पी.आर. एजेंसी को काम पर रखने की ई-निविदा मई 2017 में अपलोड की गई थी। पी.आर. एजेंसी का चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन प्रणाली¹ के माध्यम से किया जाना था। योग्य बोलियों को तकनीकी और वित्तीय स्कोर के लिए क्रमशः 70 और 30 प्रतिशत के वेटेज देने के बाद प्राप्त संयुक्त स्कोर के आधार पर बोली रैंकिंग का निर्धारण किया जाना था।

चार पी.आर. एजेंसियों ने ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत कीं जोकि खोली गईं (16 जून 2017) और इनकी प्रस्तुतियाँ दी गईं थीं। दो बोलीदाताओं (फर्म-ए² और फर्म-बी³) को उनकी वित्तीय बोलियों को खोलने के लिए योग्य घोषित किया गया था, जो 21 जून 2017 को खोली गईं थीं। मूल्यांकन प्रक्रिया में फर्म-ए ने अधिकतम अंक (80.4 अंक) प्राप्त किए और फर्म-बी द्वारा प्राप्त 71.6 अंकों के साथ उद्भूत ₹ 2.30 करोड़ के विरुद्ध ₹ 0.55 करोड़ की वार्षिक फीस उद्भूत की। हालांकि, कंपनी ने फर्म-ए को उसकी वित्तीय बोली को असामान्य रूप से कम मानते हुए अनुबंध देने के बजाय इस बात की आशंका पर री-टेंडरिंग का निर्णय लिया (जून 2017) कि फर्म आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

समान चयन मानदंडों के साथ जुलाई 2017 में आयोजित री-टेंडरिंग में, प्राप्त हुई आठ बोलियों में से फिर इन्हीं दो बोलीदाताओं (फर्म-ए और फर्म-बी) को उनकी वित्तीय बोलियों को खोलने के लिए योग्य घोषित किया गया था। इन दोनों योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली गईं (20 सितंबर 2017)। इस बार, फर्म-ए ने वार्षिक शुल्क ₹ 2.24 करोड़ और फर्म-बी ने ₹ 2.83 करोड़ उद्भूत किया। उच्चतम स्कोर वाली फर्म-बी को ₹ 2.83 करोड़ के वार्षिक शुल्क पर एक वर्ष की अवधि के लिए काम दिया गया (22 सितंबर 2017) जिसे बाद में (मार्च 2018) 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, कंपनी में वित्तीय संकट

¹ गुणवत्ता और लागत आधारित चयन प्रणाली के अंतर्गत, एक बोली के तकनीकी प्रस्ताव के अंकों और वित्तीय प्रस्ताव के अंकों को भारित किया जाता है और फिर अंतिम परिणाम निकालने के लिए सारांशित किया जाता है।

² मैसर्स वर्मिलियन कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

³ मैसर्स मोड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

का हवाला देते हुए 11 अक्टूबर 2018 को उक्त अनुबंध को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी ने अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए पी.आर. एजेंसी को ₹ 1.35 करोड़ का भुगतान किया था। एजेंसी ने अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 तक की अवधि के लिए आज तक बिल जमा नहीं किए हैं (जनवरी 2020)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी की यह आशंका अनुचित थी कि फर्म-ए आवश्यक सेवाएं नहीं दे पाएगी, क्योंकि कंपनी ने स्वयं ही प्रथम निविदा में फर्म-ए को तकनीकी रूप से योग्य मानते हुए मूल्यांकन किया था। इसके बाद, फर्म-बी को ₹ 2.83 करोड़ के उच्च वार्षिक शुल्क पर (री-टेंडरिंग के बाद) कार्य प्रदान किया।

इस प्रकार, फर्म-बी को उच्च दरों पर काम देने के कंपनी के असंगत निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़⁴ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (मई 2019) कि वित्तीय बोली का अंतर बहुत बड़ा था। इसके अतिरिक्त, निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि हमारे अनुमान के अनुसार, लागत लगभग ₹ 2.41 करोड़ होगी। तदनुसार, बोली रद्द कर दी गई और नए सिरे से निविदा शुरू की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रथम निविदा में, तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया में फर्म-ए को योग्य पाया गया था और समग्र मूल्यांकन में अधिकतम अंक थे। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास संसाधन कर्मचारियों को बदलने या सेवाओं में कमी के मामले में किसी भी स्तर पर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार था।

यह मामला सरकार के पास भेजा गया था (मार्च 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि प्रबंधन सबसे कम बोली लगाने वाले की अनुचित आधार पर अनदेखी करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने पर विचार करे।

5.2 मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वित्तपोषण के लिए असंगत संसाधन का संग्रहण

मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वित्तपोषण के लिए सस्ता कैश क्रेडिट/टर्म ऋण की उपलब्धता के बावजूद कंपनी ने अधिक ब्याज वाला हुडको ऋण लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.24 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

गुरुग्राम से मानेसर और बावल के बीच मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता (जून 2016) किया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ने परियोजना की अनुमानित लागत को ₹ 17,328 करोड़ रखा जिसे बहुपक्षीय एजेंसियों जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी, वर्ल्ड बैंक-आई.बी.आर.डी. और घरेलू बाजार से उठाए गए ऋण के द्वारा वित्त पोषित किया जाना था। हरियाणा सरकार को परियोजना के लिए इक्विटी के रूप में ₹ 1,313 करोड़ का नकद और ₹ 1,368 करोड़ के मूल्य की भूमि का योगदान करना था। कंपनी ने भूमि अधिग्रहण और संबद्ध उपयोगों के लिए ₹ 1,313 करोड़ के सावधि ऋण के लिए आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से संपर्क किया (अप्रैल 2016)। हालाँकि, ऋण की

⁴ ₹ 1.35 करोड़ (कुल भुगतान) - ₹ 0.26 करोड़ (आनुपातिक भुगतान) - गणना इस आधार पर की गई है कि यदि अनुबंध फर्म-ए को ₹ 0.55 करोड़ के लिए प्रदान किया गया था, तो मार्च 2018 तक जारी किया गया आनुपातिक भुगतान ₹ 0.26 करोड़ (₹ 1.35 करोड़/₹ 2.83 करोड़ X ₹ 0.55 करोड़) होना चाहिए।

मंजूरी से पहले, कंपनी ने ₹ 1,220.31 करोड़⁵ की लागत से गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी (बावल के लिए) में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 452⁶ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया (अगस्त 2016 और जनवरी 2017) और भूमि मालिकों को भुगतान करने के लिए अन्य उपलब्ध स्रोतों से जिला राजस्व अधिकारी-सह-भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों (डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी.) को यह राशि हस्तांतरित कर दी (सितंबर 2016 से जुलाई 2017)। इस बीच, हुडको ने 10.15 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से ब्याज पर ₹ 876 करोड़ का ऋण कंपनी को राज्य सरकार की गारंटी⁷ और राज्य सरकार के बजट में इसके भुगतान के बजटीय प्रावधान की शर्तों के साथ मंजूर कर दिया (दिसंबर 2016) तथा राज्य सरकार की गारंटी की प्राप्ति (9 मार्च 2017) पर ₹ 250 करोड़ के ऋण की पहली किस्त जारी (17 मार्च 2017) कर दी।

इसके बाद, हुडको ने बार-बार (मार्च 2017 से दिसंबर 2017 के दौरान) कंपनी को राज्य के बजट में बजटीय प्रावधान प्रदान करने के लिए जोर दिया और बताया कि इसके गैर-अनुपालन को चूक माना जाएगा। कंपनी ने हालांकि हुडको के ऋण को चुकाने का फैसला (फरवरी 2018) किया क्योंकि बजट प्रावधान की व्यवस्था नहीं की जा सकी और यहां तक कि हुडको द्वारा प्रभारित ब्याज को अन्य ऋणों की तुलना में अधिक माना गया। कंपनी ने 28 फरवरी 2018 को ₹ 5.04 करोड़ के पूर्व-भुगतान शुल्क के साथ ऋण चुकाया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हुडको ऋण के आहरण (मार्च 2017) से पहले, कंपनी ने पहले ही संबंधित डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी. को ₹ 657.85 करोड़⁸ का भुगतान किया था और मार्च 2017 में केवल ₹ 562.46 करोड़ (₹ 1,220.31 करोड़ - ₹ 657.85 करोड़) का भुगतान देय था। ₹ 562.46 करोड़ का शेष भुगतान करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में बिना-लाभ वाले ऋण/नकद क्रेडिट सीमाएँ थीं जो फरवरी 2017 से फरवरी 2018 के दौरान ₹ 916.81 करोड़ और ₹ 3,337.75 करोड़ के बीच थीं (हुडको ऋण को छोड़कर) जो प्रति वर्ष 8.10 एवं 9.65 प्रतिशत के बीच सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध थी। दिसंबर 2016 में ऋण की गारंटी देते समय राज्य सरकार ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि चूंकि हुडको ऋण की ब्याज दर अधिक थी, इसलिए कंपनी को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम ऋण की राशि लेनी चाहिए। इस प्रकार, कंपनी हुडको ऋण के आहरण से बच सकती थी।

इस प्रकार, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वित्तपोषण के लिए कंपनी द्वारा किए गए असंगत संसाधन जुटाने के परिणामस्वरूप अंतर ब्याज (₹ 1.20 करोड़)⁹, पूर्व-भुगतान शुल्क (₹ 5.04 करोड़) और राज्य सरकार को देय गारंटी शुल्क (₹ पांच करोड़¹⁰) के रूप में ₹ 11.24 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सरकार/कंपनी ने बताया (जून 2019) कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 19 नवंबर 2017 के आदेश के अनुसार भारी-भरकम मुआवजा देनदारियों को पूरा करने के लिए अप्रयुक्त ऋणों/क्रेडिट सीमा को सुरक्षित रखा गया था। इसके अतिरिक्त, यह बताया

⁵ गुरुग्राम - जनवरी 2017 में ₹ 80 करोड़ और जुलाई 2017 में ₹ 234.44 करोड़, मानेसर - सितंबर 2016 से जनवरी 2017 के दौरान ₹ 477.85 करोड़ और मई 2017 से जुलाई 2017 के दौरान ₹ 187.50 करोड़ और रेवाड़ी - जनवरी 2017 में ₹ 100 करोड़ और मार्च 2017 में ₹ 140.52 करोड़।

⁶ गुरुग्राम में 110.5 एकड़, मानेसर में 147.5 एकड़ और रेवाड़ी में 194 एकड़ जमीन है।

⁷ ऋण की राशि का दो प्रतिशत।

⁸ गुरुग्राम - ₹ 80 करोड़, मानेसर - ₹ 477.85 करोड़ और रेवाड़ी - ₹ 100 करोड़।

⁹ 17 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 तक वास्तविक रूप से भुगतान किए गए ब्याज की कुल राशि पर 0.50 प्रतिशत (10.15 प्रतिशत - 9.65 प्रतिशत) की दर पर आनुपातिक रूप से की गई गणना: ₹ 24.26 करोड़ * 0.50 / 10.15 = ₹ 1.20 करोड़।

¹⁰ भुगतान किया जाना है।

गया है कि ब्याज/पूर्व-भुगतान शुल्क और बैंक गारंटी का लेन-देन केवल सरकारी निकायों के बीच हुआ था और पूरी प्रक्रिया में कोई प्राइवेट पार्टी शामिल नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेशों से पहले हुडको ऋण को प्रतिबद्ध किया था और आहरित किया था और इस प्रकार, यह ऋण का लाभ उठाने का कारण नहीं हो सकता।

यह सिफारिश की जाती है कि एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते, कंपनी को अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए।

5.3 गैर-बाधा रहित साइट के आवंटन के कारण हानि

कंपनी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवंटी को बाधा रहित साइट प्रदान करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान प्रक्रिया को स्थगित किया गया जिससे ₹ 45.96 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपनी भूमि होल्डिंग के मुद्दीकरण का (नवंबर 2016) निर्णय लिया और फ्री होल्ड आधार पर बिक्री के लिए गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक भूमि स्थल (17.18 एकड़) की पहचान की। भुगतान के नियमों शर्तों को संशोधित करने के बाद और कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, कंपनी ने 11.76 एकड़ भूमि की ई-नीलामी के लिए बोलियां आमंत्रित (दिसंबर 2017) कीं (एक कार्यालय भवन सहित जो दो किरायेदारों को पट्टे पर था)। बोली दस्तावेजों की धारा 2.3 के अनुसार, साइट स्पष्ट थी और सभी अतिक्रमणों से मुक्त थी। प्लॉट के लिए ₹ 1,496 करोड़ की पेशकश पर सफल बोलीदाता (अलॉटी) को भूखंड आवंटित किया गया था और ₹ 149.60 करोड़ (10 प्रतिशत बोली मूल्य) के जमा पर आवंटन (आरएलए) का एक नियमित-पत्र (9 मार्च 2018) जारी किया गया था। प्लॉट पर कब्जा करने के लिए, आवंटी को आर.एल.ए. के जारी होने के 30 दिनों (8 अप्रैल 2018 तक) के भीतर अन्य भुगतान ₹ 224.40 करोड़ (बोली मूल्य का 25 प्रतिशत पूरा करने के लिए), 60 दिनों के भीतर ₹ 374 करोड़ और आर.एल.ए. के जारी होने के 90 दिनों के भीतर शेष राशि ₹ 748 करोड़ जमा करना आवश्यक था।

हालांकि कंपनी ने सभी अतिक्रमणों से मुक्त साइट की पेशकश की (दिसंबर 2017), लेकिन भूमि पर दो किरायेदारों और मोबाइल टॉवर वाले भवन खाली नहीं थे। परिसर को खाली करने के लिए किरायेदारों को नोटिस 1 सितंबर 2017 को ही जारी किए गए थे, हालांकि कंपनी ने नवंबर 2016 में ही इस जमीन को बेचने का फैसला किया था।

चूंकि भूमि पर भवन खाली नहीं था, इसलिए कंपनी ने शुरू में पहली किश्त जमा करने की नियत तारीख को 8 अप्रैल 2018 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2018 कर दिया था। अतिक्रमणों के न हटाए जाने पर, आवंटियों ने भुगतान समय में विस्तार के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया (26 अप्रैल 2018) और ₹ 224.40 करोड़ (पहले जमा किए गए ₹ 149.60 करोड़ के समायोजन के बाद) जमा किए (1 मई 2018)। उच्च न्यायालय ने कंपनी को सभी अतिक्रमणों को हटाने और संशोधित आर.एल.ए. जारी करने का आदेश दिया (31 मई 2018)। तदनुसार, कंपनी ने संशोधित भुगतान अनुसूची के साथ 3 जुलाई 2018 को संशोधित आर.एल.ए. जारी किया। कंपनी को 30 जुलाई 2018 को ₹ 224.40 करोड़ पहली किश्त की राशि और 1 जनवरी 2019 को ₹ 383.23 करोड़ दूसरी किश्त के रूप में भुगतान प्राप्त हुआ। आवंटियों ने अतिक्रमण मुक्त साइट प्रदान करने हेतु कंपनी को फिर से अनुरोध किया (जनवरी 2019) क्योंकि वह अभी भी स्पष्ट नहीं था और पार्किंग स्लॉट, भूमिगत पानी की टंकी, सीवरेज लाइनों, सीमांकन बिंदुओं के आवंटन से संबंधित कुछ मुद्दे थे

जो ज़ोनिंग प्लान के अनुसार नहीं थे। कंपनी ने हालांकि शेष भुगतान के लिए आवंटी को एक नोटिस दिया (मार्च 2019), जिस पर आवंटी ने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया (अप्रैल 2019)। उच्च न्यायालय ने 26 मार्च 2019 से आर.एल.ए. की अनुसूची के संशोधन के लिए कंपनी को निर्देश दिया (मई 2019)। इसलिए, आवंटियों ने जमीन का कब्जा लेते हुए 50 प्रतिशत शेष राशि के सापेक्ष 19 जून 2019 को ₹ 14.96 करोड़ का टी.डी.एस. काटने के बाद एकमुश्त राशि ₹ 723.81 करोड़ का शेष भुगतान जमा कर दिया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि आर.एल.ए. की अनुसूची के संशोधन के परिणामस्वरूप आवंटियों के भुगतान कार्यक्रम को 113 से 354 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। यदि कंपनी को मूल आर.एल.ए. के अनुसार भुगतान प्राप्त होता, तो वह अपने उधार पर चुकाए गए ₹ 45.96¹¹ करोड़ के ब्याज को बचा सकती थी क्योंकि कंपनी ने अपने परिचालन कार्यों के लिए विभिन्न ऋण प्राप्त किए हैं। कंपनी को किसी भी नुकसान से बचने के लिए भूमि खाली करने हेतु अग्रिम रूप से कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी ताकि आवंटी को बोली दस्तावेज के अनुसार स्पष्ट और अतिक्रमण मुक्त साइट प्रदान की जा सके।

सरकार ने बताया (नवंबर 2019) कि आवंटियों ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग मुद्दों को उठाया और भूमि को कब्जे में लेने के लिए यह मान कर कंपनी से संपर्क नहीं किया कि भूमि अतिक्रमण से मुक्त नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी मार्च 2019 तक आवंटी को अतिक्रमण मुक्त भूमि नहीं दे सकी थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने कंपनी को 26 मार्च 2019 से शुरू होने वाले आर.एल.ए. की अनुसूची के संशोधन हेतु निर्देश दिया था।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी को अपनी बिक्री योग्य भूमि को नीलामी/आवंटन से पहले सभी तरह की बाधाओं से मुक्त रखना चाहिए ताकि कानूनी विवाद और भुगतान प्रक्रिया में देरी से ब्याज की हानि होने से बचा जा सके।

हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

5.4 आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कंपनी ने अग्रिम आयकर जमा नहीं किया और आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.09 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर तब देय होता है यदि उस वर्ष के दौरान निर्धारित की अनुमानित कर देयता ₹ 10 हजार या उससे अधिक है। अधिनियम की धारा 234-ए में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी आकलन वर्ष के लिए आय के रिटर्न को नियत तारीख¹² के बाद भरा जाता है, निर्धारित कर में से कटौती की गई/स्रोत पर संगृहित अग्रिम कर घटाते हुए उस राशि पर प्रति माह एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभार्य होगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 234-बी साधारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है, जहां करदाता द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर अप्रैल के पहले दिन से हर माह एक प्रतिशत की दर से निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है। साथ ही, अधिनियम की धारा 234-सी में यह प्रावधान है कि यदि कोई निर्धारित अग्रिम कर का भुगतान करने में

¹¹ विलंबित प्राप्ति पर 7.90 प्रतिशत की दर से गणना: (113 दिनों के लिए ₹ 224.40 करोड़ (8 अप्रैल 2018 से 30 जुलाई 2018 तक), 238 दिनों के लिए ₹ 374 करोड़ (8 मई 2018 से 1 जनवरी 2019 तक), ₹ 187 करोड़ 354 दिनों के लिए (1 जुलाई 2018 से 19 जून 2019 तक) और 170 दिनों के लिए ₹ 187 करोड़ (1 जनवरी 2019 से 19 जून 2019 तक)।

¹² प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष का 30 सितंबर।

विफल रहता है या 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च (वित्तीय वर्ष का) तक अग्रिम कर का क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से कम भुगतान करता है, तो कमी की राशि पर निर्धारित प्रति माह एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अभिलेखों की जांच से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान, कंपनी ने अग्रिम आयकर जमा नहीं किया था और आयकर रिटर्न को दाखिल करने में भी देरी की जैसा कि नीचे तालिका 5.1 में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.1: कंपनी द्वारा 234 ए/बी/सी के अंतर्गत दिया गया ब्याज

वित्तीय वर्ष	आई.टी.आर. दाखिल करने की नियत तिथि (विस्तारित तिथियाँ) /संशोधित रिटर्न	आई.टी.आर. दाखिल करने की वास्तविक तिथि	कर योग्य आय	कर चुकाया गया ¹³	धारा 234 ए/बी/सी के अंतर्गत भुगतान किया गया ब्याज
					₹ करोड़ में
2014-15	31.10.2015	30.09.16	87.03	29.58	14.38
2015-16	17.10.2016	17.10.16 (मूल)	52.99	18.34	04.80
	31.03.2018	30.03.18 (संशोधित)			
2016-17	07.11.2017	31.10.17 (मूल)	23.89	8.27	0.98
	31.03.2019	30.03.19 (संशोधित)			
कुल					20.16

नोट: वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आयकर विभाग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है।

अग्रिम कर का भुगतान न करने और आयकर रिटर्न भरने में देरी के परिणामस्वरूप, कंपनी को दिसंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान ₹ 20.16 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी के पास पर्याप्त धन होने के बावजूद वैधानिक बकाया चुकाने में देरी की गई। कंपनी अपनी अधिशेष निधियों को फिक्स/सावधि जमा में रख रही थी और यह सोच रही थी कि अग्रिम कर जमा न करने से वह अग्रिम भुगतान नहीं की गई राशि पर ₹ 11.07 करोड़ का ब्याज¹⁴ अर्जित कर सकती थी।

कंपनी ने बकाया अग्रिम कर जमा नहीं करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी के कारण अपने संसाधनों पर ₹ 9.09 करोड़ का अनुचित भार डाला।

कंपनी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2019)।

यह मामला जून 2019 में सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मई 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी इन त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी तय करे और ऐसे मामलों के परिहार के लिए एक यंत्रावली स्थापित करे।

5.5 अविवेकशील वित्तीय प्रबंधन

कंपनी ने अधिशेष निधियों को ब्याज की अधिकतम उपलब्ध दरों पर निवेश नहीं किया और ₹ 40.41 लाख का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) भवनों, सड़कों के निर्माण, डिपॉजिट कार्य के आधार पर राज्य राजमार्गों के उन्नयन में संलग्न है, जिसके लिए इसे राज्य सरकार के विभागों से अग्रिम में निर्माण लागत और सेवा प्रभार प्राप्त होते हैं। ऐसी अवधि के लिए, निष्पादित कार्यों का भुगतान नहीं किया जाता है, प्राप्त अग्रिम धनराशि कंपनी के पास अधिशेष रहती है और इसे वाणिज्यिक बैंकों के पास सावधि जमा में निवेश किया जाता है।

¹³ चुकाए गए कर में ₹ 0.55 करोड़ (मूल्यांकन वर्ष-2015-16), ₹ 0.11 करोड़ (मूल्यांकन वर्ष 2016-17) और ₹ 0.12 करोड़ (मूल्यांकन वर्ष 2017-18) के समायोजित टी.डी.एस. शामिल हैं।

¹⁴ इस अवधि के दौरान विद्यमान एफ.डी.आर. की दर 7.10 से 9 प्रतिशत तक है।

अपने सार्वजनिक उद्यमों द्वारा अधिशेष निधियों के निवेश के लिए राज्य सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए (नवंबर 2013) जिनमें बताया गया था कि उन्हीं बैंकों में निवेश किया जाना चाहिए जो उच्चतम ब्याज दर देते हैं और सूचीबद्ध बैंकों में शामिल हैं। राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड (हरको बैंक) को सूचीबद्ध बैंकों की सूची में शामिल किया (18 जून 2015) और निर्णय लिया कि अधिशेष निधियों का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा हरको बैंक के पास रखा जाए, बशर्ते कि उसके द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर ऐसे पी.एस.यू./संगठनों को दी गई बेंचमार्क जमा दरों को पूरा करती हो।

कंपनी को अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी अधिशेष निधियों का निवेश करना चाहिए था। कंपनी के 2015-18 की अवधि के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि तालिका 5.2 में दर्शाए गए तीन मामलों में कंपनी ने हरको बैंक में अधिशेष निधियों का निवेश नहीं किया जो अन्य बैंकों, जिनमें निधियों का निवेश किया गया था, की तुलना में सबसे अधिक ब्याज दर की पेशकश करता था। परिणामस्वरूप कंपनी ने ₹ 40.41 लाख का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया:

तालिका 5.2: निम्न ब्याज दर की एफ.डी.आर. में निवेश के कारण ब्याज आय की हानि दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹ करोड़ में)	अधिकतम ब्याज दर (प्रतिशत में)	अधिकतम ब्याज दर देने वाला बैंक	निवेशित निधियों की दर (प्रतिशत में)	बैंक, जिसके पास निधियां जमा हैं	अवधि	ब्याज की हानि (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)={3*(4-6)/100}x8
(i)	30.12.2015	46.00	8.05	हरको	7.60	आईसीआईसीआई बैंक	1 वर्ष	20.70
(ii)	01.01.2016	20.92	8.05	हरको	7.60	आईसीआईसीआई बैंक	1 वर्ष	9.41
(iii)	24.05.2016	29.43	8.00	हरको	7.65	यस बैंक	1 वर्ष	10.30
कुल		96.35						40.41

लेखापरीक्षा ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के अपने विश्लेषण में देखा कि कंपनी ने यह तर्क देते हुए हरको बैंक में निवेश नहीं किया था कि हरको बैंक में पहले ही हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित 10 से 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश हो गया था। हालाँकि, राज्य सरकार के जून 2015 के निर्देश राज्य सरकार की एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के लिए थे कि वे अपनी अधिशेष निधियों को किसी अधिकतम सीमा के निर्धारण के बिना हरको बैंक के पास निवेश करें।

कंपनी ने बताया (जुलाई 2019) कि चूंकि हरको बैंक में पहले ही हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित 10 से 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश हो गया था, अतः निवेश अगली उच्च दरें देने वाले अन्य बैंकों में किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नवंबर 2013 के राज्य सरकार के दिशानिर्देशों ने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है कि उन बैंकों में निवेश किया जाना चाहिए जो ब्याज की उच्चतम दर को उद्धृत करते हैं। इस प्रकार, असंगत वित्तीय प्रबंधन के कारण कंपनी ने ₹ 40.41 लाख का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

यह मामला मार्च 2019 में सरकार के पास भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी चूक के लिए उत्तरदायित्व नियत कर सकती है और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने अधिशेष धन का निवेश सख्ती से सुनिश्चित कर सकती है।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम

5.6 लघु अवधि ऋणों पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

एच.ए.आई.सी. और एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने के.एम.एस. 2017-18 के दौरान एफ.सी.आई. से कस्टम मिल्ड राइस पर ब्याज प्रभार का दावा करने में देरी की और उसे ₹ 1.06 करोड़ का परिहार्य ब्याज प्रभार वहन करना पड़ा।

राज्य सरकार, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.) और हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) सहित अपनी खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की ओर से धान की खरीद करती है। एच.ए.आई.सी. और एच.एस.डब्ल्यू.सी. वाणिज्यिक बैंकों से लघु अवधि ऋण (एस.टी.एल.) प्राप्त करके किसानों से धान की खरीद करते हैं। मिलिंग के लिए धान को मंडियों से सीधे मिलर्स के परिसर में ले जाया जाता है और फलस्वरूप चावल, अर्थात् कस्टम मिल्ड राइस (सी.एम.आर.) को एफ.सी.आई. तक पहुंचाया जाता है। प्रत्येक खरीफ विपणन सीजन (के.एम.एस.) के लिए, भारत सरकार (भा.स.) सी.एम.आर. की अनंतिम दरों को सूचित करती है, जिसमें मंडी श्रम प्रभार, सूखाने का प्रभार, ब्याज आदि शामिल हैं, जो एफ.सी.आई. को सी.एम.आर. की सुपुर्दगी के समय कंपनी द्वारा दावा किया जाना है। चूंकि एच.ए.आई.सी. और एच.एस.डब्ल्यू.सी. को अपनी खरीद गतिविधियों को करने के लिए एस.टी.एल. पर ब्याज का भुगतान करना है, ऋण सेवा और ब्याज देयता के लिए नए उधार को कम करने के लिए जितनी जल्दी हो सके, प्रतिपूर्ति का दावा करना उनके वित्तीय हित में है।

i) 2017-18 के दौरान 7.90 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर का लाभ उठाने वाले एस.टी.एल. (₹ 1,150 करोड़) द्वारा एच.ए.आई.सी. ने 5.69 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच किए गए तीन¹⁵ किसान सेवा केंद्रों (एफ.एस.सी.) (आठ में से) ने, एफ.सी.आई. को के.एम.एस. 2017-18 के लिए सी.एम.आर. की डिलीवरी के समय बिक्री बिलों के साथ स्वीकार्य ब्याज का दावा नहीं किया। इन एफ.एस.सी. ने 29 से 405 दिनों की देरी के साथ समेकित पूरक बिलों के माध्यम से एफ.सी.आई. से ब्याज प्रभार का दावा किया और भुगतान प्राप्त किया। ब्याज दरों के लिए दावों को प्रस्तुत करने में एफएससी-वार देरी¹⁶ और परिणामस्वरूप एच.ए.आई.सी. पर ब्याज का बोझ नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 5.3: ब्याज प्रभार के लिए दावा प्रस्तुत करने में एफ.एस.सी.-वार देरी

एफ.एस.सी. का नाम	देरी की सीमा (दिनों में)	ब्याज प्रभार के लिए दावे की राशि (₹ लाख में)	ब्याज भार ¹⁷ (₹ लाख में)
कुरुक्षेत्र	49 से 357	455.76	23.89
करनाल	65 से 405	219.24	14.57
फतेहाबाद	29 से 168	550.87	9.01
कुल		1,225.87	47.47

¹⁵ कुरुक्षेत्र, करनाल और फतेहाबाद।

¹⁶ विलंब की गणना एम.एस.पी. के विक्रय बिल और एफ.सी.आई. को सी.एम.आर. की डिलीवरी से संबंधित अन्य आकस्मिक प्रभार जमा करने की तारीख से लेकर ब्याज प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुपूरक बिल जमा करने की तारीख तक की गई है।

¹⁷ के.एम.एस. 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा लिए गए अल्पावधि ऋणों पर 7.90 प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण औसत ब्याज दर पर गणना की गई है।

के.एम.एस. 2017-18 के दौरान सी.एम.आर. के मूल बिक्री बिल के साथ एफ.सी.आई. से ब्याज के दावों को करने में देरी को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था, जिसके कारण ₹ 47.47 लाख के ब्याज का परिहार्य भार पड़ा।

ii) इसी प्रकार, एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने 2017-18 के दौरान एस.टी.एल. (₹ 914 करोड़) की 7.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का लाभ उठाते हुए 6.65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच किए गए एच.एस.डब्ल्यू.सी. के चार¹⁸ जिला प्रबंधक (डी.एम.) कार्यालयों ने एफ.सी.आई. को के.एम.एस. 2017-18 के लिए सी.एम.आर. की डिलीवरी के समय बिक्री बिलों के साथ-साथ ब्याज के दावे को स्वीकार नहीं किया था। इन एच.एस.सी. ने एफ.सी.आई. से 7 से 317 दिनों तक की देरी के साथ समेकित पूरक बिल के माध्यम से ब्याज प्रभार का दावा किया और भुगतान प्राप्त किया। ब्याज प्रभारों और उन पर ब्याज के दावों को प्रस्तुत करने में डी.एम. कार्यालय-वार देरी¹⁹ को नीचे दी गई तालिका 5.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.4: ब्याज प्रभार के लिए दावा प्रस्तुत करने में डी.एम. कार्यालय-वार देरी

एफ.एस.सी. का नाम	देरी की सीमा (दिनों में)	ब्याज प्रभार के लिए दावे की राशि (₹ लाख में)	ब्याज भार ²⁰ (₹ लाख में)
पानीपत	156 से 307	361.92	16.52
फतेहाबाद	7 से 198	261.17	5.95
कैथल	72 से 268	369.37	15.82
अंबाला	70 से 317	629.78	20.31
कुल		1,622.24	58.60

दावों की वसूली में देरी को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था। इस प्रकार, के.एम.एस. 2017-18 के दौरान सी.एम.आर. के मूल बिक्री बिलों के साथ एफ.सी.आई. से ब्याज का दावा न करने के कारण एच.एस.डब्ल्यू.सी. को ₹ 58.60 लाख के ब्याज के परिहार्य भार का सामना करना पड़ा।

अतः मूल बिक्री बिलों के साथ एफ.सी.आई. से ब्याज का दावा न करने के कारण एच.ए.आई.सी. और एच.एस.डब्ल्यू.सी. को ₹ 1.06 करोड़ की परिहार्य ब्याज देनदारी का सामना करना पड़ा।

यह मामला सरकार और एजेंसियों के पास भेजा गया था (अप्रैल 2019); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि दोनों एजेंसियां अपने अन्य केंद्रों में उन मामलों की जांच के लिए जांच करना पसंद कर सकती हैं जहां एफ.सी.आई. पर देरी के साथ ब्याज के दावे किए गए हैं और ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकती हैं।

¹⁸ अंबाला, फतेहाबाद, कैथल और पानीपत।

¹⁹ विलंब की गणना एम.एस.पी. के विक्रय बिल और एफ.सी.आई. को सी.एम.आर. की डिलीवरी से संबंधित अन्य आकस्मिक प्रभार जमा करने की तारीख से लेकर ब्याज प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुपूरक बिल जमा करने की तारीख तक की गई है।

²⁰ के.एम.एस. 2017-18 के दौरान निगम द्वारा लिए गए अल्पावधि ऋणों पर 7.80 प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण औसत ब्याज दर पर गणना की गई है।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

5.7 कस्टम मिल्ड राइस का दुरुपयोग

एक मिलर, जिसे खरीफ विपणन सीजन (के.एम.एस.) 2017-18 के लिए फतेहाबाद की जिला मिलिंग समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, को धान आवंटित किया गया था, जिसने ₹ 1.28 करोड़ मूल्य के कस्टम मिल्ड राइस का दुरुपयोग किया।

निदेशालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग (निदेशालय) अपने धान खरीद संचालन के लिए खरीद एजेंसियों²¹ को मंडियों का आवंटन करता है। तत्पश्चात, संबंधित जिला मिलिंग समिति²² मिलरों की सूची को अनुमोदित करती है और प्रत्येक मंडी के लिए खरीद एजेंसियों हेतु मिलर्स का आवंटन करती है और प्रत्येक मिलर को धान की अनुमानित मात्रा आवंटित की जाती है। खरीदे गए धान को मिलिंग के लिए मंडियों से सीधे मिलर्स के परिसर में ले जाया जाता है और कस्टम मिल्ड राइस (सी.एम.आर.) को एफ.सी.आई. में पहुंचाया जाता है।

निदेशालय ने हसंगा मंडी, जिला फतेहाबाद को हरियाणा राज्य भंडारण निगम को (19 सितंबर 2017) और बाद में हरियाणा कृषि उद्योग निगम (एच.ए.आई.सी.) को आवंटित किया (27 अक्टूबर 2017)। एच.ए.आई.सी. के जिला कार्यालय, फतेहाबाद ने मैसर्स हरि ब्रदर्स राइस मिल, फतेहाबाद (मिलर) के साथ समझौता किया (6 नवंबर 2017), जो किसी भी मंडी के लिए जिला मिलिंग समिति द्वारा अनुमोदित मिलरों की सूची में शामिल नहीं था। अनुबंध ₹ 4.87 करोड़ के 2,699.175 मीट्रिक टन धान की मिलिंग के लिए था। इसके विरुद्ध मिलर को 4 अक्टूबर 2018²³ तक एफ.सी.आई. को 1,808.45 मीट्रिक टन सी.एम.आर. डिलीवर करना अपेक्षित था।

अनुबंध के अनुसार, मिलर ने एच.ए.आई.सी. के पक्ष में तैयार किए गए पोस्ट-डेटिड चेक के रूप में ₹ 50 लाख की गारंटी प्रस्तुत की। के.एम.एस. 2017 के लिए मिलिंग नीति के अनुसार, एच.ए.आई.सी. को पाक्षिक आधार पर मिलर के परिसर का भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता थी।

इस तथ्य के बावजूद समझौते को निष्पादित किया गया था कि मिलर को किसी भी जिले के लिए अनुमोदित मिलरों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। मिलर ने एफ.सी.आई. को 1,318.76 मीट्रिक टन सी.एम.आर. डिलीवर किया और ₹ 1.42 करोड़ मूल्य का 489.69 मीट्रिक टन शेष सी.एम.आर. डिलीवर करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एच.ए.आई.सी. ने पाक्षिक आधार पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया और सितंबर 2018 में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान मिलर के परिसर को बंद पाया गया और धान उपलब्ध नहीं था।

कंपनी ने तीन महीने की वैधता अवधि के भीतर भुगतान के लिए मिलर से वित्तीय सुरक्षा के रूप में प्राप्त ₹ 50 लाख (दिनांक 1 मई 2018) का पोस्ट-डेटिड चेक प्रस्तुत नहीं किया। मिलर को इस अनुचित लाभ की अनुमति देकर, कंपनी ने नुकसान को आंशिक रूप से ठीक करने का अवसर खो दिया, जो संगठन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की विफलता का संकेत है। इसके अतिरिक्त, मिलर के विरुद्ध इस दुरुपयोग के लिए कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई (दिसंबर 2019)।

²¹ खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग- हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य भंडारण निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन महासंघ लिमिटेड।

²² हर जिले के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी खरीद एजेंसियों के जिला प्रबंधकों से मिलकर।

²³ 31 मार्च 2018 की नियत तारीख को 30 जून 2018, फिर 31 जुलाई 2018 और फिर 4 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

कंपनी ने बताया (अप्रैल 2019 और जनवरी 2020) कि मैसर्स हरि ब्रदर्स राइस मिल, फतेहाबाद का नाम उपायुक्त, फतेहाबाद द्वारा जारी विभिन्न मिलर्स को आवंटित धान स्टॉक के भौतिक सत्यापन के लिए जारी किए गए आदेशों में शामिल था। इसके अतिरिक्त, मिलर और गारंटर्स के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जा रही है और मध्यस्थता की कार्यवाही भी चल रही है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशालय ने इस तथ्य की पुष्टि की थी कि मिलर का नाम उन मिलरों की सूची में शामिल नहीं किया गया था जिन्हें के.एम.एस. 2017-18 के दौरान मंडियां आवंटित की गई थीं। इस प्रकार, एच.ए.आई.सी. ने एक अननुमोदित मिलर को धान आवंटित किया, भौतिक सत्यापन न करने और समय पर नकदी की सुरक्षा में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़²⁴ के मूल्य के सी.एम.आर. का दुरुपयोग हुआ।

यह मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (मई 2019); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी को नियमित रूप से स्टॉक का भौतिक सत्यापन करना चाहिए और उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जिन्होंने धान को एक अननुमोदित मिलर को आवंटित किया।

फैसल

(फैसल इमाम)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

चण्डीगढ़

दिनांक: 20 नवम्बर 2020

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

नई दिल्ली

दिनांक: 8 दिसम्बर 2020

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

²⁴ मिलर द्वारा जमा किए गए एफ.डी.आर. के नकदीकरण की ओर ₹ 10.50 लाख की राशि और कुटाई शुल्क के कारण एच.ए.आई.सी. द्वारा देय ₹ 3.27 लाख के समायोजन के बाद।


परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

नवीनतम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का सारांश
(अनुच्छेद 1.9, 1.14 तथा 1.20 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विद्युत क्षेत्र उपक्रम की गतिविधि और नाम	लेखाओं की अवधि	ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	उत्पादन								
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	1,003.76	209.99	5,462.60	3,051.33	4,422.83	3,212.79	161.46
	उप-योग		1,003.76	209.99	5,462.60	3,051.33	4,422.83	3,212.79	161.46
ख.	प्रसारण								
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2018-19	838.64	196.98	2,154.41	3,520.66	8,601.12	4,011.27	490.61
	उप-योग		838.64	196.98	2,154.41	3,520.66	8,601.12	4,011.27	490.61
ग.	वितरण								
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	1,071.56	185.71	14,165.20	12,681.98	-422.44	-2,932.14	-15,614.12
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	636.97	95.23	15,036.13	11,178.78	318.56	-2,516.38	-13,695.16
	उप-योग		1,708.53	280.94	29,201.33	23,860.76	-103.88	-5,448.52	-29,309.28
	सकल योग		3,550.93	687.91	36,818.34	30,432.75	12,920.07	1,775.54	-28,657.21



कंपनी के परिचालनों को छः प्रसारण प्रणाली (टी.एस.) परिमंडलों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, जो प्रसारण प्रणाली अर्थात् सब-स्टेशनों और प्रसारण लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं, एक राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एस.एल.डी.सी.) बिजली प्रणाली की विश्वसनीयता, मितव्ययिता और दक्षता के लिए राज्य में बिजली प्रणाली के एकीकृत परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं, दो सिविल रख-रखाव-सह-निर्माण (सी.एम.सी.) परिमंडल, सिविल कार्यों के रखरखाव और निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं; और पंचकुला में कंपनी के प्रधान कार्यालय में योजना, सामग्री प्रबंधन, वाणिज्यिक और वित्त विंगों के अतिरिक्त सटीक पैमाइश और सब-स्टेशन/लाइनों में सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दो पैमाइश और संरक्षण परिमंडल उत्तरदायी हैं।

परिशिष्ट 3

2014-19 के दौरान सब-स्टेशन, लाइनों के निष्पादन में विलंब तथा सब-स्टेशन और संबंधित लाइनों के मध्य असंतुलन दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 2.7.2.1 में संदर्भित)

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम	प्रसारण तत्व	योजना विंग के अनुमोदन की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	बैंक चार्ज की तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता लागत (₹ लाख में)	निर्धारित समय से पूरा होने में देरी (माह में)	6 माह की अनुमतिके बाद प्रदानगी की योजना की मंजूरी से लिया गया समय	योजना बनाने से समग्र विलंब	परिकल्पित लाभ की हानि (₹ लाख में)	सब-स्टेशन और लाइन में असंतुलन (माह में)	असंतुलन के कारण 10.28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=4-5	12=10+11	13	14	15	16
1	220 के.वी. सब-स्टेशन, ए-4, फरीदाबाद	सब-स्टेशन	07-03-08	25-05-11	19-10-12	24-11-14	30-12-15	2,500.00	39	33	72	833.11			लाइन संरक्षण को अंतिम रूप देने की प्रारंभिक गतिविधियों को अगस्त 2009 में अनुबंध की प्रदानगी 4 वर्ष बाद सितंबर 2013 में पूरा किया गया था और वन मंजूरी के लिए अनुरोध कार्य शुरू होने के 5 वर्ष बाद (जुलाई 2014) आरंभ किया गया था।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	07-03-08	06-08-09	01-12-10	-	30-12-15	1,359.66	62	11	73	720.22	13	214.17	
2	220 के.वी. सब-स्टेशन, हुक्मावाली	सब-स्टेशन	27-09-10	29-02-12	27-06-13	16-06-14	23-04-16	2,500.00	34	11	46	736.02			कंपनी ने ठेकेदार के निराशाजनक निष्पादन के मद्देनजर विशेष खरीद समिति (एस.पी.सी.) की सिफारिश (मार्च 2013) के बाद लाइन अनुबंध को समाप्त करने के लिए (फरवरी 2014) 1 वर्ष का समय लिया। कंपनी फिर से अनुबंध के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करके समय के भीतर काम पूरा करने की निगरानी करने में विफल रही। कंपनी ने एल.डी. की वसूली के बिना फर्म को भुगतान भी जारी किया (मई से जुलाई 2013), आगे, हालांकि कंपनी ने पांच लाइनों के लिए पूरे अनुबंध के विरुद्ध उपलब्ध बी.जी. को भुनाया (मार्च 2014), अनुबंध की समाप्ति के पांच वर्ष से अधिक समय के बाद भी ₹ 6.02 करोड़ की राशि के एल.डी. को वसूल नहीं किया जा सका और कंपनी के साथ किसी भी वित्तीय कवर के अभाव में इसकी वसूली की संभावना भी दूरस्थ है।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	27-09-10	14-03-12	20-07-13		समाप्त किया		0	12	12	0.00	25	471.17	
			27-09-10	01-07-14	28-10-15		24-06-16	985.00	8	40	48	67.51			
3	220 के.वी. सब-स्टेशन, सोंटा	सब-स्टेशन	09-04-10	29-02-12	27-06-13	26-06-14	31-05-16	2,692.13	36	17	53	821.80			कंपनी ने ठेकेदार के निराशाजनक निष्पादन के मद्देनजर विशेष खरीद समिति (एस.पी.सी.) की सिफारिश (मार्च 2013) के बाद अनुबंध को समाप्त करने (फरवरी 2014) के लिए एक वर्ष का समय लिया।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	09-04-10	14-03-12	20-07-13	-	समाप्त किया		0	18	18	0.00			
			09-04-10	09-07-14	25-10-15		05-05-16	1,733.73	6	46	52	95.55	23	94.40	
4	66 के.वी. सब-स्टेशन, नान्योला	सब-स्टेशन	09-04-10	29-02-12	27-06-13	11-06-14	03-07-15	551.00	25	17	42	115.80			कंपनी ने ठेकेदार के निराशाजनक निष्पादन के मद्देनजर विशेष खरीद समिति (एस.पी.सी.) की सिफारिश (मार्च 2013) के बाद अनुबंध को समाप्त करने (फरवरी 2014) के लिए एक वर्ष का समय लिया।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	09-04-10	14-03-12	20-07-13	-	समाप्त किया		0	18	18	0.00			
			09-04-10	01-07-14	15-07-15		03-07-15	691.00	0	45	45	0.00	13	47.20	

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम	प्रसारण तत्व	योजना विंग के अनुमोदन की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	बैंक चार्ज की तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता लागत (₹ लाख में)	निर्धारित समय से पूरा होने में देरी (माह में)	6 माह की अनुमतिके बाद प्रदानगी की योजना की मंजूरी से लिया गया समय	योजना बनाने से समय विलंब	परिकल्पित लाभ की हानि (₹ लाख में)	सब-स्टेशन और लाइन में असंतुलन (माह में)	असंतुलन के कारण 10.28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=4-5	12=10+11	13	14	15	16
5	220 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर-6, सोनीपत	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	09-07-09 09-07-09	03-01-14 07-01-14	02-05-15 02-05-15	- 10-12-16	16-06-17 10-12-16	2,225.00 462.00	26 20	49 49	75 68	493.04 77.57	6	11.87	सब-स्टेशन के निर्माण के लिए कार्य की प्रदानगी में अकारण देरी हुई, जिसके कारण सब-स्टेशनों और लाइनों के पूरा होने में असंतुलन था।
6	220 के.वी. सब-स्टेशन, मीरपुर कुराली	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	04-10-10 04-10-10	03-01-14 14-05-13	02-05-15 01-10-14	- 27-04-16 (बिना भार के प्रभारित)	29-04-17 27-04-16	2,491.00 1,440.20	24 19	34 26	58 45	517.84 236.06	12	111.04	सब-स्टेशन के निर्माण में देरी हुई क्योंकि ठेकेदार ने अनुबंध के अनुसार कार्य अनुसूची का पालन नहीं किया। अनुबंध शुरू करने के 8 माह बाद साइट कार्यालय खोला गया था (नवंबर 2014)। विक्रेता की मंजूरी, जो मई 2014 तक पूरी होनी चाहिए थी, नवंबर 2016 में पूरी हुई। अनुबंध के अनुसार, सभी आपूर्ति फरवरी 2015 तक पूरी होनी थी, हालांकि, ठेकेदार ने फरवरी 2016 में पहला आपूर्ति बिल प्रस्तुत किया। ठेकेदार के निष्पादन के अत्यधिक खराब होने और पी.ई.आर.टी. चार्ट के पीछे रहने के बावजूद, कंपनी ने अनुबंध के अनुसार कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की।
7	220 के.वी. सब-स्टेशन, पिंजौर	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	13-01-10 13-01-10	25-09-13 27-11-15	23-01-15 15-12-16	30-08-17 अपूर्ण मार्च 2019	20-11-17 31-03-19	2,235.00 1,432.13	34 28	39 65	73 93	658.64 341.88	0	0	संबद्ध लाइनें अभी भी अधूरी हैं। तथापि, वैकल्पिक व्यवस्था के साथ सब-स्टेशन को चालू कर दिया गया था।
8	220 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर-32, पंचकुला	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	13-01-10 13-01-10	25-09-13 27-11-15	23-01-15 15-12-16	24-10-17 अपूर्ण मार्च 2019	22-12-17 31-03-19	2,964.00 651.51	35 28	39 65	75 93	900.56 155.53	0	0	संबद्ध लाइनें अभी भी अधूरी हैं। तथापि, वैकल्पिक व्यवस्था के साथ सब-स्टेशन को चालू कर दिया गया था।
9	132 के.वी. सब-स्टेशन, चंदरखुर्द	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	18-12-08 18-12-08	04-06-10 28-05-10	17-06-11 16-05-11	- -	12-08-14 09-02-15	850.00 388.00	38 46	12 12	50 57	279.62 151.24	6	21.85	कंपनी ने सब-स्टेशन ठेकेदार की खराब प्रगति के बावजूद उसके विरुद्ध प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की। एल.डी. की वसूली नवंबर 2011 और मार्च 2012 में दो बार टाल दी गई थी, जो कार्य पूरा नहीं होने के संबंध में इसकी प्रतिबद्धताओं पर निर्भर थी। कंपनी ने पहले ही वसूल किया गया ₹ 1 करोड़ का एल.डी. भी जारी कर दिया
10	132 के.वी. सब-स्टेशन, बारसी	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	15-12-08 15-12-08	04-06-10 28-05-10	17-06-11 16-05-11	- -	29-09-14 23-05-15	921.00 200.00	40 49	12 12	52 61	315.60 83.84	8	39.45	

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम	प्रसारण तत्व	योजना विंग के अनुमोदन की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	बैंक चार्ज की तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता लागत (₹ लाख में)	निर्धारित समय से पूरा होने में देरी (माह में)	6 माह की अनुमतिकाे बाद प्रदानगी की योजना की मंजूरी से लिया गया समय	योजना बनाने से समय विलंब	परिकल्पित लाभ की हानि (₹ लाख में)	सब-स्टेशन और लाइन में असंतुलन (माह में)	असंतुलन के कारण 10.28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=4-5	12=10+11	13	14	15	16
11	132 के.वी. सब-स्टेशन, मकरानी	सब-स्टेशन	18-03-09	04-06-10	17-06-11		29-07-16	880.00	62	9	71	469.66	43	47.97	(अगस्त 2013)। कंपनी ने अंततः मई 2014 में अनुबंध को समाप्त कर दिया और शेष कार्य को विभागीय रूप से करने का निर्णय लिया (जून 2014), जो कि जुलाई 2016 में 24 माह की देरी से पूरा किया जा सका। ₹ 4.55 करोड़ की जोखिम और लागत राशि भी अप्राप्य रही।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	18-03-09	26-11-10	20-10-11	-	31-01-13	140.00	16	15	30	18.75			
12	132 के.वी. सब-स्टेशन, ताजपुर	सब-स्टेशन	09-07-09	23-04-13	07-06-14	-	14-05-15	1,217.00	11	40	52	118.50	5	7.64	
		संबद्ध प्रसारण लाइन	09-07-09	10-06-13	06-07-14		09-12-14	446.00	0	42	42	0.00			
13	132 के.वी. सब-स्टेशन, खेवड़ा	सब-स्टेशन	01-07-09	23-04-13	07-06-14	-	18-05-16	1,200.00	24	40	64	243.64	3	0	
		संबद्ध प्रसारण लाइन	01-07-09	05-01-15	03-02-16		29-02-16	4,753.00	1	61	62	35.29			
14	66 के.वी. सब-स्टेशन, जमालपुर	सब-स्टेशन	15-03-13	12-02-14	24-03-15		28-04-18	1,250.00	38	5	43	403.70	0	0	वित्तीय बाधाओं के कारण शुरुआत से ही ठेकेदार की प्रगति बहुत खराब थी। हालांकि, कंपनी ने अनुबंध को समाप्त करने के लिए फर्म के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और ठेकेदार के जोखिम और लागत पर कार्य किया।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	15-03-13	26-08-16	12-01-18		28-04-18	42.00	4	36	40	1.27			
15	66 के.वी. सब-स्टेशन, मोहम्मदपुर अहीर	सब-स्टेशन	15-03-13	12-02-14	24-03-15		06-03-18	1,213.00	36	5	41	373.40	36	121.09	
		संबद्ध प्रसारण लाइन	15-03-13	30-01-14	28-02-15		14-03-15	430.00	0	5	5	0			
16	66 के.वी. सब-स्टेशन, माजरी	सब-स्टेशन	25-03-13	12-02-14	24-03-15		14-06-16	887.00	15	5	20	113.47	15	158.72	इन सब-स्टेशनों के मामले में बिजली ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा की जानी थी। हालांकि, कंपनी समय पर ठेकेदार को बिजली ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति करने में विफल रही और इसके परिणामस्वरूप इन सब-स्टेशनों के कार्यों में देरी हुई।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	25-03-13	30-01-14	28-02-15	18-03-15	28-03-15	1,544.00	0	4	4	0.00			
17	66 के.वी. सब-स्टेशन, सरदाहेड़ी	सब-स्टेशन	01-04-13	12-02-14	24-03-15		15-07-16	749.00	16	5	21	102.45	17	43.78	
		संबद्ध प्रसारण लाइन	01-04-13	30-01-14	28-02-15		08-03-15	365.00	0	4	4	0.83			
18	66 के.वी. सब-स्टेशन, पिलखनी	सब-स्टेशन	14-05-13	12-02-14	24-03-15		13-08-16	837	17	3	20	121.42	16	78.74	
		संबद्ध प्रसारण लाइन	14-05-13	30-01-14	28-02-15		18-04-15	707	2	3	4	9.89			

सा.क्षे.उ. (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) पर वर्ष 2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम	प्रसारण तत्व	योजना विंग के अनुमोदन की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	बैंक चार्ज की तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता लागत (₹ लाख में)	निर्धारित समय से पूरा होने में देरी (माह में)	6 माह की अनुमतिका बाद प्रदानगी की योजना की मंजूरी से लिया गया समय	योजना बनाने से समय विलंब	परिकल्पित लाभ की हानि (₹ लाख में)	सब-स्टेशन और लाइन में असंतुलन (माह में)	असंतुलन के कारण 10.28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=4-5	12=10+11	13	14	15	16
19	132 के.वी. सब-स्टेशन, भंडेरी	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	03-05-12 03-05-12	01-11-13 14-05-13	30-06-14 03-07-14		28-06-14 28-06-14	1,107.00 323.00	0 0	12 7	12 6	0.00 0.00	0	0	
20	66 के.वी. सब-स्टेशन, रूढी	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	18-08-09 18-08-09	06-12-12 07-03-11	07-09-13 04-02-12		06-11-14 30-12-14	580.00 25.00	0 35	34 13	34 48	0.00 7.57	2	0	
21	66 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर-4, गुडगांव	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	25-08-10 25-08-10	02-09-13 20-09-13	30-12-14 31-03-15		25-11-15 16-11-15	1,300.00 743.00	11 8	31 31	42 39	122.50 48.80	0	0	
22	66 के.वी. सब-स्टेशन, लाहा, पंचकूला	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	12-12-11 12-12-11	01-11-13 25-09-13	31-10-14 20-10-14		31-08-15 03-09-14	848.00 70.00	10 0	17 16	27 16	73.61 0.00	12	5.40	पूर्व-बोली गतिविधियों के पूरा न होने के कारण सब-स्टेशन के कार्य में देरी हुई। मार्च 2014 में जी.ई.एल.ओ. की संशोधित मंजूरी पर 4 माह से अधिक समय के बाद 14 मार्च 2014 को स्पष्ट साइट उपलब्ध कराई जा सकी और जनवरी 2015 में साइट से एच पोल और पेड़ को हटाने से देरी हुई। प्रारंभिक गतिविधि के विलंबित होने से परियोजना के पूरा होने में देरी हुई।
23	132 के.वी. सब-स्टेशन, उरलाना, पानीपत	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	05-10-12 05-10-12	01-11-13 25-09-13	31-10-14 20-10-14		22-12-15 26-11-14	1,200.00 700.00	14 1	7 6	21 7	142.89 7.40	13	59.97	
24	66 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर-20, पंचकूला	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	15-11-12 15-11-12	01-11-13 10-07-14	03-11-14 24-01-15	30-05-2015	30-12-15 25-12-15	1,352.00 335.00	14 11	6 14	20 25	162.92 32.05	7	11.48	
25	132 के.वी. सब-स्टेशन, भट्टू सोडर	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	21-09-10 21-09-10	04-05-12 15-06-12	12-06-13 28-08-13		26-03-16 13-03-16	690.00 454.00	34 31	14 15	48 46	200.58 120.31	0	0	

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम	प्रसारण तत्व	योजना विंग के अनुमोदन की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	बैंक चार्ज की तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता लागत (₹ लाख में)	निर्धारित समय से पूरा होने में देरी (माह में)	6 माह की अनुमतिकाे बाद प्रदानगी की योजना की मंजूरी से लिया गया समय	योजना बनाने से समय विलंब	परिकल्पित लाभ की हानि (₹ लाख में)	सब-स्टेशन और लाइन में असंतुलन (माह में)	असंतुलन के कारण 10.28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=4-5	12=10+11	13	14	15	16
26	220 के.वी. सब-स्टेशन, पंचगांव	सब-स्टेशन	14-08-12	17-02-14	15-05-15		18-07-17	4,320.00	27	12	39	980.71	34	45.41	शुरुआत से ही ठेकेदार की प्रगति बहुत खराब थी। हालांकि, कंपनी ने अनुबंध को समाप्त करने के लिए फर्म के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और ठेकेदार के जोखिम और लागत पर कार्य किया।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	14-08-12	15-05-13	01-10-14		01-10-14	171.00	0	3	3	0.00			
27	220 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर 33, गुडगांव	सब-स्टेशन	16-11-10	28-02-14	04-06-15		20-07-17	4,264.00	26	34	60	946.08	27	226.16	कंपनी ने अनुबंध के प्रावधानों को लागू नहीं किया, हालांकि ठेकेदार का निष्पादन स्थापना के बाद से ही खराब था और निर्धारित पूर्णता अवधि (जून 2015) तक इसने केवल 24 प्रतिशत सिविल कार्य और 35 प्रतिशत सामग्री की आपूर्ति पूरी की। जनशक्ति की विलंबित आपूर्ति एवं जनशक्ति की अपर्याप्त गतिशीलता और ठेकेदार की वित्तीय कमी, धीमी कार्य प्रगति के मुख्य कारण थे। यह भी देखा गया था कि मार्च 2016 में, कंपनी ने न केवल मई 2016 तक 90 प्रतिशत एल.डी. की वसूली को स्थगित कर दिया, बल्कि मई 2016 तक कार्य पूरा करने के ठेकेदार के आश्वासन पर पहले से ही वसूल किए गए (मार्च 2016 और मई 2016) ₹ 3.97 करोड़ के एल.डी. को वापस कर दिया। चूंकि ठेकेदार उपर्युक्त निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा नहीं कर सका, कंपनी ने सितंबर 2016 तक फिर से 60 प्रतिशत एल.डी. की वसूली और फिर नवंबर 2016 में दिसंबर 2016 तक 90 प्रतिशत एल.डी. की वसूली को स्थगित करके ठेकेदार को जमानत दे दी। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2017 में चालू किए गए सब-स्टेशन को कंपनी के संबंधित टी.एस. परिमंडल द्वारा जारी किए जाने वाले उपभोग विवरण और पूर्णता प्रमाण-पत्र के अभाव में मार्च 2019 तक कैपिटल नहीं किया जा सका।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	16-11-10	31-01-14	30-04-15		30-04-15	1,200.00	0	33	33	0.00			

सा.क्षे.उ. (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) पर वर्ष 2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम	प्रसारण तत्व	योजना विंग के अनुमोदन की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	बैंक चार्ज की तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता लागत (₹ लाख में)	निर्धारित समय से पूरा होने में देरी (माह में)	6 माह की अनुमतिका बाद प्रदानगी की योजना की मंजूरी से लिया गया समय	योजना बनाने से समय विलंब	परिकल्पित लाभ की हानि (₹ लाख में)	सब-स्टेशन और लाइन में असंतुलन (माह में)	असंतुलन के कारण 10.28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=4-5	12=10+11	13	14	15	16
28	220 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर 20, गुडगांव	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	14-05-08 14-05-08	14-01-13 19-05-09	31-07-14 12-09-10		29-05-17 31-01-15	6,208.00 5,233.00	34 53	51 6	85 60	1,831.23 2,393.89	28	1,120.73	
29	220 के.वी. सब-स्टेशन, आर.जी.ई.सी. सोनीपत	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	20-05-11 20-05-11	03-10-13 13-03-12	28-02-15 12-03-13		05-02-19 29-02-16	3,500.00 4,753.00	48 36	23 4	71 40	1,437.20 1,471.25	36	1,343.67	आर.ई.जी.ई.सी. का प्रस्तावित भार 66 के.वी./33 के.वी. लेवल पर अप्रयुक्त रूप से पूरी क्षमता के रूप में नहीं आया।
30	220 के.वी. जी.आई.एस. सब-स्टेशन, बरही	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	09-07-09 31-07-12	07-10-13 14-05-13	31-12-14 31-07-14		16-02-19 14-07-17	3,500.00 505.00	50 36	46 4	96 40	1,507.16 155.60	19	69.22	
31	66 के.वी. सब-स्टेशन, हसनपुर खादर	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	31-03-14 31-03-14	20-02-17 27-11-17	20-06-18 30-08-18		29-03-19 10-03-19	930.00 539.00	9 6	29 39	39 45	74.89 29.55	1	0	
32	220 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर-57, गुडगांव	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	30-06-08 30-06-08	07-10-13 19-05-09	31-12-14 10-09-10		14-04-18 29-02-12	4,184 52	40 18	58 5	98 23	1,433.72 7.97	75	32.07	
कुल								95,018.36				22,801.58		4,383.20	
													27,184.78		

परिशिष्ट 4

2018-19 तक पाँच वर्षों के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम
(अनुच्छेद 2.10.1 में संदर्भित)

क. वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
I. इक्विटी और देयताएं					
क. इक्विटी					
अन्य इक्विटी सहित इक्विटी शेयर पूंजी	2,368.38	2,721.24	3,054.45	3,479.80	4,310.31
ख. देयताएं					
गैर-वर्तमान देयताएं	6,370.9	6,238.5	5,882.78	5,411.80	5,450.15
वर्तमान देयताएं	1,154.24	1,267.11	1,499.35	1,860.22	1,208.32
कुल (I)	9,893.52	10,226.85	10,436.58	10,751.82	10,968.78
II. परिसंपत्तियां					
क. गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (सी.डब्ल्यू.आई.पी. सहित)	6,400.6	6,526.87	6,611.16	6,580.33	7,107.04
वित्तीय परिसंपत्तियां *	2,792.57	2,842.93	2,913.53	3,018.91	2,926.48
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	114.72	82.73	87.62	70.96	64.27
ख. वर्तमान परिसंपत्तियां					
मांग सूची	102.3	76.97	92.05	105.61	73.99
वित्तीय परिसंपत्तियां #	251.98	365.05	250.35	485.20	429.10
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	231.35	332.3	481.87	490.81	367.90
कुल (II)	9,893.52	10,226.85	10,436.58	10,751.82	10,968.78
ऋण/इक्विटी अनुपात	2.69	2.29	1.93	1.56	1.26
निवल मूल्य	2,550.10	2,736.85	2,839.51	3,222.98	4,011.27
नियोजित पूंजी	8,518.28	8,321.99	8,016.94	7,768.36	8,409.55
कर देने से पूर्व लाभ	-8.42	316.12	381.23	534.25	457.13
ब्याज और वित्त प्रभार	476.46	521.79	476.2	430.58	381.51
कुल रिटर्न	468.04	837.91	857.43	964.83	838.64
नियोजित पूंजी पर रिटर्न की प्रतिशतता	5.49	10.07	10.70	12.42	9.97

* वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, व्यापार प्राप्य, ऋण और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं।

वर्तमान निवेश, व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समतुल्य बैंक शेष, ऋण और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

ख. कार्यचालन परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
I. राजस्व					
परिचालन से राजस्व	1,377.61	1,697.46	1,698.23	2,006.57	2,154.41
अन्य आय	111.67	193.03	231.51	268.88	198.28
कुल राजस्व	1,489.28	1,890.49	1,929.74	2,275.45	2,352.69
II. व्यय					
क. नियत लागत					
कर्मचारी लाभ व्यय	433.62	465.31	480.63	620.17	636.37
वित्त लागत	476.45	521.79	476.2	430.58	381.51
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	272.29	340.04	369.97	382.93	397.79
कुल नियत लागत	1,182.36	1,327.14	1,326.8	1,433.68	1,415.67
ख. परिवर्तनीय व्यय					
विद्युत उत्पादन*	218.13	-	-	-	-
अन्य व्यय	97.21	247.24	221.71	307.52	479.90
कुल परिवर्तनीय व्यय	315.34	247.24	221.71	307.52	479.90
कुल व्यय	1,497.7	1,574.38	1,548.51	1,741.2	1,895.57
कर से पहले लाभ और हानि	-8.42	316.11	381.23	534.25	457.12
कर खर्च	0	67.71	81.36	114.02	98.50
कर के बाद लाभ और हानि	-8.42	248.4	299.87	420.23	358.62
प्रेषित निवल विद्युत (एम.यू. में)	45,260.42	46,580.35	48,042.08	49,721.78	50,456.03
वसूली (₹ प्रति इकाई)	0.304	0.364	0.353	0.404	0.427
नियत लागत (₹ प्रति इकाई)	0.261	0.285	0.276	0.288	0.281
परिवर्तनीय लागत (₹ प्रति इकाई)	0.070	0.053	0.046	0.062	0.095
कुल लागत (₹ प्रति इकाई)	0.331	0.338	0.322	0.350	0.376
अंशदान (₹ प्रति इकाई)	0.235	0.311	0.307	0.342	0.332
लाभ (+)/हानि (-) (₹ प्रति इकाई)	-0.027	0.026	0.031	0.054	0.051

* उत्पादन लागत को 2015-19 की अवधि के दौरान अन्य खर्चों में शामिल किया गया है।

परिशिष्ट 5

31 मार्च 2019 को राज्य सा.क्षे उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋण की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 4.3 तथा 4.25 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह और वर्ष	वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क	सामाजिक क्षेत्र										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	02-जनवरी-71	26.14	23.92	0	50.06	0	0	10.91	10.91
2	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	10-दिसंबर-80	45.14			45.14	0	0	77.11	77.11
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	महिला एवं बाल विकास	31-मार्च-82	15.51	1.1	0	16.61	0	0	0	0
4	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	कृषि एवं किसान कल्याण विकास हरियाणा	12-सितंबर-74	2.76	1.13	1.11	5	0	0	0	0
5	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा	27-मार्च-74	1.37	0	0.2	1.57	0	0	0	0
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा	30-मार्च-67	2.54	1.6	0	4.14	0	0	16.56	16.56
कुल क-I				93.46	27.75	1.31	122.52	0	0	104.58	104.58
	II. सांविधिक निगम										
7	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	कृषि	01-नवंबर-67	2.92	2.92		5.84	8.15		69.4	77.55
कुल क-II				2.92	2.92	0	5.84	8.15	0	69.4	77.55
	III. अकार्यरत सरकारी कंपनियां										
8	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	कृषि	09-जनवरी-70	10.89	0	0	10.89	0			0

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह और वर्ष	वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2018-19की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
9	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	उद्योग	19-जून-00	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल क-III				10.89	0	0	10.89	0	0	0	0
कुल क (I+II+III)				107.27	30.67	1.31	139.25	8.15	0	173.98	182.13
ख	प्रतिस्पर्धी माहौल में सा.क्षे.उ.										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
10	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	वन	07-दिसंबर-89	0.2		0	0.2			0	0
11	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	08-मार्च-67	48.86		0	48.86			5,501.72	5,501.72
12	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	13-मई-99	122.04		0	122.04			0	0
13	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	पर्यटन एवं लोक संपर्क	01-मई-74	34.07		0	34.07			0	0
14	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स	15-मई-82	9.9		0	9.9			0	0
15	हारटोन इन्फोमेटिक्स लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स	08-मार्च-95	0		0.5	0.5			0	0
16	गुडगांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड	नगर एवं ग्राम आयोजना	14-फरवरी-96	0		14.72	14.72			0	0
17	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	उद्योग	27-दिसंबर-16	0		0.1	0.1			0	0
18	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नगर एवं ग्राम आयोजना	30-सितंबर-16	0.05		0.05	0.1			0	0
19	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	नगर एवं ग्राम आयोजना	05-सितंबर-17	0		50	50			0	0
कुल ख-I				215.12		65.37	280.49			5,501.72	5,501.72
	II. सांवाधिक निगम										
20	हरियाणा वित्तीय निगम	उद्योग	01-अप्रैल-67	202.01	-	5.65	207.66	0	0	0	0
कुल ख-II				202.01	0	5.65	207.66	0	0	0	0

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह और वर्ष	वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2018-19की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
III. अकार्यरत सरकारी कंपनियाँ											
21	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड	उद्योग	29-नवंबर-73	2.9	0	3.95	6.85	1.39	0	2.3	3.69
22	हरियाणा खनिज लिमिटेड	खदान एवं भू-विज्ञान	02-दिसंबर-72	0	0	0.24	0.24	0	0	0	0
कुल ख-III				2.9	0	4.19	7.09	1.39	0	2.3	3.69
कुल ख (I+II+III)				420.03	0	75.21	495.24	1.39	0	5,504.02	5,505.41
ग	अन्य										
23	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	05-जून-14	5	0	0	5	0	0	0	0
24	हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	परिवहन	27-नवंबर-87	6.75	0	0	6.75	0	0	0	0
25	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	22-अगस्त-17	10.2	14.7	0	24.9	0	0	0	0
26	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	29-दिसंबर-89	25	0	0	25	0	0	390.5	390.5
27	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	24-मार्च-12	14.4	0	13.84	28.24	0	0	0	0
कुल ग				61.35	14.7	13.84	89.89	0	0	390.5	390.5
कुल क+ख+ग				588.65	45.37	90.36	724.38	9.54	0	6,068.5	6,078.04

परिशिष्ट 6

31 मार्च 2019 को इक्विटी, ऋणों और गारंटी के शेषों के संबंध में हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं और राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के मध्य अंतर को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 4.7 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सा.क्षे.उ. का नाम	हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2.54	18.3	3.72	2.54	0	0	0	18.3	3.72
2	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	1.37	0.73	0	1.37	0	0	0	0.73	0
3	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2.75	0.21	0	2.76	0	0	-0.01	0.21	0
4	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	0.2	0	0	0.2	0	0	0	0	0
5	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	33.85	0.38	10.91	26.14	0	10.91	7.71	0.38	0
6	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	45.56	0	77.06	45.14	0	77.11	0.42	0	-0.05
7	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	14.86	0	0	15.51	0	0	-0.65	0	0
8	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	76.14	0	3351.93	48.86	0	3351.93	27.28	0	0
9	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	69.82	0	390.5	25.00	0	850	44.82	0	-459.5
10	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	70.12	0	0	122.04	0	0	-51.92	0	0
11	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना लिमिटेड	0	0	0	10.2	0	0	-10.20	0	0
12	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	0	0	0	34.07	0	0	-34.07	0	0
13	हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	8.31	0	0	6.75	0	0	1.56	0	0
14	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	9.9	0	0	9.9	0	0	0	0	0

क्र.सं.	सा.क्षे.उ. का नाम	हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	हारट्रोन इन्फोमेटिक्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कापरिशन लिमिटेड	0	0	0	14.4	0	0	-14.4	0	0
18	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	0	0	0	5.00	0	0	-5.00	0	0
19	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2.92	8.15	69.4	2.92	8.15	69.4	0	0	0
20	हरियाणा वित्तीय निगम	204.22	0	0	202.01	0	0	2.21	0	0
21	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम	10.89	176.31	0	10.89	0	0	0	176.31	0
22	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड	0	0	0	2.9	1.39	0	-2.9	-1.39	0
24	हरियाणा खनिज लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0.05	0	0	-0.05	0	0
27	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		553.45	204.08	3903.52	588.65	9.54	4359.35	-35.20	194.54	-455.83

परिशिष्ट 7

कार्यरत राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 4.8.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	जिस वर्ष तक लेखाओं को अंतिमकृत किया गया	अवधि जिसके लेखे बकाया हैं	अंतिमकृत नवीनतम लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	वर्ष, जिसके लेखे बकाया हैं, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	अन्यों को निर्दिष्ट (सब्सिडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	कार्यरत सरकारी कंपनियां							
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	48.11	1			6.75
			2016-17	0	0			80.27
			2017-18	0	0			18.49
			2018-19	0	0			10.94
2	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	22.47	1.25			3.5
			2015-16	0	13.24			3.5
			2016-17	0	2.17			44.44
			2017-18	0	2.5			5.25
		2018-19	0	2.27			8.25	
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	16.61	0			2.5
			2017-18	0			6.8	
			2018-19	0	0		2.1	2.8
4	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	1.56	0			4.32
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	48.85	0.01		83.47	
6	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	30.92	3.15		17.82	
7	हरियाणा पुलिस आवास निगम	2014-15	2015-16	25	0		72.46	
			2016-17	0	0		77.03	
			2017-18	0	0		90.09	
			2018-19	0	0		162.84	
8	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	1	13.89		0	
	कुल क (कार्यरत सरकारी कंपनियां)			194.52	39.48	0	505.81	197.81
ख	कार्यरत सांविधिक निगम							
1	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	2017-18	2018-19	5.84		8.15		
	कुल ख (कार्यरत सांविधिक निगम)			5.84	0	8.15	0	0
	कुल योग (क + ख)			200.36	39.48	8.15	505.81	197.81

परिशिष्ट 8

नवीनतम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिमकृत किया गया था, के लिए राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के सारांशकृत वित्तीय परिणाम

(अनुच्छेद 4.11, 4.13, 4.18 तथा 4.19 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र, प्रकार और नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क	सामाजिक क्षेत्र									
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां									
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड #	2014-15	2018-19	0.93	0.73	1.3	48.11	61.42	57.05	8.94
2	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड #	2013-14	2017-18	0.68	-0.79	3.57	22.47	37.63	9.71	-12.76
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2019-20	-0.57	-0.57	3.04	16.61	15.11	15.11	-2.37
		2015-16	2019-20	0.14	0.14	3.82	16.61	15.25	15.25	-2.23
4	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	2.7	-0.42	106.94	5	5.79	5.79	0.79
		2018-19	2019-20	10.4	4.8	143.23	5	10.06	10.06	5.06
5	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.84	-1.19	87.3	1.56	6.52	6.52	4.96
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड #	2015-16	2018-19	87.94	0.92	2,131.60	4.14	-98.67	-117.71	-121.85
कुल क-I				99.25	4.61	2,370.82	97.89	32.21	-19.12	-117.88
	II. सांविधिक निगम									
7	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2017-18	2018-19	92.31	46.87	121.62	5.84	80.99	4.91	0
कुल क-II				92.31	46.87	121.62	5.84	80.99	4.91	0
	III. अकार्यरत सरकारी कंपनियां									
8	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	-0.05	-0.05	0	10.89	-343.44	-343.44	-354.33

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र, प्रकार और नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड ^	31 अगस्त 2001 को समाप्त	2003-04	0	0	0	0	0	0	0
कुल क-III				-0.05	-0.05	0	10.89	-343.44	-343.44	-354.33
कुल क (I+II+III)				191.51	51.43	2,492.44	114.62	-230.24	-357.65	-472.21
ख. सांविधिक निगम										
प्रतिस्पर्धी माहौल में सा.क्षे.उ.										
I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
10	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	0.86	0.62	34.99	0.2	48.9	48.9	48.7
11	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	962.25	216.34	1,563.68	48.84	7,268.51	1,631.10	1,482.82
12	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	26.97	17.74	1.8	122.04	232.43	232.43	110.39
13	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	1.52	1.09	255.95	28.06	56.61	56.61	28.55
		2016-17	2019-20	-5.84	-5.39	270.55	29.79	52.95	52.95	23.16
		2017-18	2019-20	-14.37	-14.3	270.94	30.92	39.78	39.78	8.86
14	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	16.12	9.55	37.51	9.9	89.47	89.47	79.59
15	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड ^	2017-18	2018-19	1.08	0.77	1.11	0.5	4.85	4.85	4.35
16	गुडगांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड ^	2017-18	2018-19	4.45	3.42	0.69	14.72	34.02	34.02	18.25
		2018-19	2019-20	2.2	1.41	1.86	14.72	35.43	35.43	19.66
17	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड ^	2018-19	2019-20	-0.01	-0.01	0	0.1	0.09	0.09	-0.01
18	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17	2018-19	-0.04	-0.03	0	0.10	0.07	0.07	-0.03
		2017-18	2018-19	-1.18	-1.19	0	0.1	0.1	0.1	0
19	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड ^	2017-18	2018-19	0.06	0.05	0	50	50.05	50.05	0.05

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र, प्रकार और नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल ख-I			993.98	230.98	1,911.89	277.32	7,769.61	2,132.2	1,754.41
II. सांविधिक निगम										
20	हरियाणा वित्तीय निगम	2017-18	2018-19	-4.38	-4.45	1.39	207.66	94.15	94.15	-113.51
	कुल ख-II			-4.38	-4.45	1.39	207.66	94.15	94.15	-113.51
III. अकार्यरत सरकारी कंपनियां										
21	हरियाणा कंक्रेट लिमिटेड	1997-98	1998-99	-7.97	-7.97	0	6.85	-16.64	-20.33	-27.18
22	हरियाणा खनिज लिमिटेड ^	2017-18	2018-19	-0.09	-0.09	0	0.24	-4.84	-4.84	-7.64
	कुल ख-III			-8.06	-8.06	0	7.09	-21.48	-25.17	-34.82
	कुल ख-(I+II+III)			981.54	218.47	1,913.28	492.07	7,842.28	2,201.18	1,606.08
ग	अन्य									
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां									
23	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड #	2015-16	2018-19	1.39	1.27	3.09	5	4.77	4.77	-0.23
24	हरियाणा परिवहन अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	-2.08	-2.85	44.73	6.6	21.77	21.77	15.17
		2017-18		5.08	2.54	55.22	6.65	24.35	24.35	17.7
25	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.04	0.03	0	20	19.91	19.91	-0.09
26	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	2018-19	25.9	0.59	72.75	25	249.31	23.86	-1.14
27	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.27	0.26	0	1	1.23	1.23	0.23
	कुल ग			32.68	4.69	131.06	57.65	299.57	74.12	16.47
	कुल (क+ख+ग)			1,205.73	274.59	4,536.78	664.34	7,911.61	1,917.65	1,150.34

अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 के दौरान चार कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (क्रम संख्या 1, 2, 6 और 23) ने कोई लेखा नहीं जमा किया। इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विवरण पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार है।

^ (क्रम संख्या 9, 15, 16, 17, 19 और 22) छः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संदर्भ देता है जहां राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य द्वारा निवेश किया गया है।

परिशिष्ट 9

ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी के रूप में राज्य सरकार के निवेश की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार स्थिति

(अनुच्छेद 4.16 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
क. सामाजिक क्षेत्र																					
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	0	28.17	28.67	29.17	15.69	15.94	17.13	18.64	20.29	21.69	23.49	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	26.15	26.14	26.14	26.14
2	हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	7.91	8.31	8.51	8.96	9.46	9.96	11.16	12.66	13.66	16.07	17.58	19.52	20.52	21.52	22.77	24.97	38.2	40.37	42.87	45.14
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	3.85	4.1	4.15	4.65	5	6.2	9.34	12.48	14.81	15.51	15.51	16.61	16.61	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51
4	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2.76	2.76	2.76	2.9	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
5	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	1.37	1.37	1.37	1.56	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.36	1.36	1.37	1.37	1.37
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54
7	हरियाणा भण्डारण निगम	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92

क्र. सं.	कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
8	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89
	कुल क	32.24	61.06	61.81	63.59	50.63	52.58	58.11	64.26	69.24	73.75	77.06	81.75	82.75	82.65	83.9	86.09	100.33	102.5	105	107.27
ख. प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र																					
9	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	0.6	0.6	0.61	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
10	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	62.75	62.84	62.86	67.81	67.82	67.82	70.68	70.69	70.69	70.69	70.7	70.7	70.7	48.82	48.82	48.84	48.84	48.84	48.85	48.86
11	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड		7.88	26.94	47.6	70.6	70.6	113.7	113.7	113.7	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04
12	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	12.71	14.4	15.53	16.59	18.05	18.58	19.86	19.86	20.19	20.19	20.19	21.4	21.46	21.46	22.46	24.06	28.86	29.79	30.92	34.07
13	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	7.74	7.74	7.81	7.81	7.81	7.81	7.82	8.82	8.83	9.83	9.84	9.85	9.86	9.86	9.88	9.89	9.9	9.9	9.9	9.9
14	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0.05	0.05
15	हरियाणा वित्तीय निगम	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	28.28	33.28	99.03	179.9	181.35	181.85	201.86	201.86	202.01	202.01	202.01	202.01	202.01	202.01

सा.क्षे.उ. (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) पर वर्ष 2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2

क्र. सं.	कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
16	हरियाणा कंक्रीट लिमिटेड	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	कुल ख	111.98	121.64	141.93	168.19	192.66	193.19	243.44	249.45	315.54	405.75	407.22	408.94	429.02	407.14	408.31	409.94	414.75	415.68	416.87	420.03
	ग. अन्य																				
17	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					5	5	5	5	5
18	हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	2	2	2	2	2	2	4	4	5	6.2	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.65	6.65	6.75	6.75
19	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.08	10.2
20	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	18	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
21	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	14.4
	कुल ग	20	27	27	27	27	27	29	29	30	31.2	31.4	31.4	31.6	31.6	32.11	37.11	37.16	37.16	41.34	61.35
	सकल योग	164.22	209.70	230.74	258.78	270.29	272.77	330.55	342.71	414.78	510.70	515.68	522.09	543.37	521.39	524.32	533.14	552.24	555.34	563.21	588.65

शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली	
ए.ए.डी.	मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम
ए.सी.डी.	अग्रिम खपत जमा
ए.सी.क्यू.	वार्षिक अनुबंधित मात्रा
ए.ई.एल.	अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
ए.जी.एम.	वार्षिक आम बैठक
ए.पी.एफ.सी.	स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर
ए.आर.आर.	कुल राजस्व आवश्यकता
ए.टी. एंड सी.	कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक
ए.टी.एन.	एक्शन टेकन नोट्स
बी.बी.पी.पी.	बस-बार सुरक्षा पैनल
बी.सी.सी.एल.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
बी.जी.	बैंक गारंटी
बी.एच.ई.एल.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बी.ओ.डी.	निदेशक मंडल
कैपेक्स	पूंजीगत व्यय
सी.सी.एल.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
सी.ई.ए.	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सी.ई.आर.सी.	केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग
सी.आई.एल.	कोल इंडिया लिमिटेड
सी.एम.सी.	सिविल रखरखाव-सह-निर्माण
सी.एम.आर.	कस्टम मिल्ड राइस
कोपू	सार्वजनिक उपक्रम समिति
सी.एस.ए.	कोयला आपूर्ति अनुबंध
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डिस्कोम्ज	वितरण कंपनियां
डी.एम.	जिला प्रबंधक
डी.टी.	वितरण ट्रांसफार्मर
ई.बी.आई.टी.	ब्याज एवं करों से पहले कमाई
ई.एम.एस.	ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली
एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम
एफ.डी.आर.	सावधि जमा रसीद
एफ.एस.सी.	किसान सेवा केंद्र
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद
जी.ओ.एच.	हरियाणा सरकार
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी.टी.	जनरेशन ट्रांसफॉर्मर
एच.ए.आई.सी.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
हरको	हरियाणा राज्य को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड

संकेताक्षरों की शब्दावली	
एच.ई.आर.सी.	हरियाणा बिजली विनियामक आयोग
एच.एफ.सी.	हरियाणा वित्तीय निगम
एच.पी.जी.सी.एल.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
एच.एस.आई.आई.डी.सी.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
एच.एस.डब्ल्यू.सी.	हरियाणा राज्य भंडारण निगम
हुडको	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड
एच.वी.डी.सी.	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट
एच.वी.पी.एन.एल.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
आईडिया	इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालाइसिस
जे.के.टी.पी.एल.	झज्जर के.टी. ट्रांसको प्राइवेट लिमिटेड
के.एम.एस.	खरीफ विपणन सीजन
के.वी.	किलो वोल्ट
के.डब्ल्यू.	किलोवाट
के.डब्ल्यू.एच.	किलोवाट घंटा
एल.डी.	लिक्विडेटेड डैमेज
लिलो	लूप-इन लूप-आऊट
एल.टी.	लो-टेंशन
एम.ओ.पी.	विद्युत मंत्रालय
एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एम.टी.	मीट्रिक टन
एम.टी.एल.	मध्यम अवधि ऋण
एम.यू.	मेगा यूनिट
एम.वी.ए.	मेगा वोल्ट एम्पीयर
एम.वी.ए.आर.	मेगा वोल्ट एम्पीयर (रिएक्टिव)
एम.डब्ल्यू.	मेगा वाट
एम.वाई.टी.	मल्टी ईयर टैरिफ
एन.ए.बी.एल.	नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज
एन.आई.टी.	निविदा आमंत्रण नोटिस
एन.आर.एल.डी.सी.	उत्तर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र
ओ.पी.जी.डब्ल्यू.	ऑप्टिकल ग्राउंड वायर
पी.जी.सी.आई.एल.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पी.ओ.	खरीद आदेश
पी.ओ.सी.	प्वाइंट आफ कनेक्शन
पी.आर.	जन संपर्क
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)
पी.टी.	विद्युत ट्रांसफार्मर
पी.टी.पी.एस.	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन
पी.वी.	वर्तमान मूल्य

संकेताक्षरों की शब्दावली	
आर. एंड एम.	मरम्मत एवं अनुरक्षण
आर.ई.सी.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
आर.एल.ए.	आवंटन का नियमित पत्र
आर.ओ.सी.ई.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न
आर.ओ.ई.	इक्विटी पर रिटर्न
आर.ओ.आई.	निवेश पर रिटर्न
आर.ओ.आर.आर.	वास्तविक रिटर्न की दर
एस.ए.आर.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस.ए.एस.	सब-स्टेशन ऑटोमेशन प्रणाली
एस.सी.ए.डी.ए.	पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण
एस.एल.डी.सी.	राज्य लोड डिस्पैच केंद्र
एस.एस.	सब-स्टेशन
एस.टी.एल.	लघु अवधि ऋण
टी.डी.एस.	स्रोत पर कर कटौती
टी.एस.	प्रसारण प्रणाली
टी.एस.ए.	प्रसारण प्रणाली उपलब्धता
यू.डी.ए.वाई. (उदय)	उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
यू.एल.डी.सी.	यूनिफाईड लोड डिस्पैच एवं संचार
यू.एस.डी.	यूनाइटेड स्टेटस डॉलर

© भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghry.nic.in